राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दसवें सत्र, १९६० का प्रथम दिवस [संख्या १

सोमवार, २२ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, राजस्व, शिक्षा, खनिज विद्युत, विकास समाज कल्याण एवं नागरिक रसद-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर जिले में जल विद्युत योजना

१. **श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या चम्बल नदी से प्राप्त होने वाली जल विद्युत भरतपुर जिले में भी पहुँच सकेगी ?

(ख) यदि हां, तो कहां कहां और कब तक पहुँचेगी ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या भरतपुर जिले में जल विद्युत लाने की कोई और योजना है ?

(घ) यदि हां, तो कौनसी और वह कब तक कार्यान्वित हो सकेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) धौलपुर सब-डिविजन में मोरेना से बिजली लाने की सम्भावना है। कब तक यह कार्य हो सकेगा, इसको अभी निश्चित् रूप से नहीं कहा जा सकता। भरतपुर नगर में चम्बल से बिजली १९६४-६५ तक पहुंचने की आशा है। वहां से डीग कुम्हेर आदि कस्बों को भी बिजली दी जा सकेगी। किस किस जगह पर वितरण व्यवस्था की जावेगी, इसका निश्चय लोड सर्वे के आधार पर होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.2

(श्री हरिश्चन्द्र)

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह धौलपुर सब-डिविजन में बिजली लानी है मोरेना से, क्या औद्योगिक बस्ती बन रही है ६६ तक ? उस समय तक सम्भावना की जा सकती है बिजली आने की ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं ।

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर में बिजली धौलपुर होकर आयेगी या किसी दूसरे मार्ग से ?

श्री हरिश्चन्द्र : दूसरे रास्ते से आयेगी ।

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : किधर से ?

श्री हरिश्चन्द्र : जयपुर से जायेगी ?

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : जयपुर से होकर चम्बल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां ।

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या १९६३ तक चली जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : राणप्रताप सागर का काम खत्म हो जायेगा और उससे बिजली आयेगी, तब वहां आयेगी ।

श्री श्रीभानसिंह(बयाना): Why the Hon'ble Minister is indefinite in making a statement ? What are the obstacles in making a definite statement that by such and such date...

श्री हरिश्चन्द्र : Unless the power position is adequate, I cannot make any commitment at this stage. From Chambal, it will not be possible to supply to Bharatpur. The only method will be there when Rana Pratap Sagar starts generating. What has made me not to make any commitment in this House as to when will it start, I am not in aposition to say...

श्री श्रीभानसिंह : As regards Bharatpur the Government has decided but what are the obstacles before the Government about the electricity supply to Dholpur from Madhya Pradesh ?

श्री हरिश्चन्द्र : I was under the impression that you are asking about Bharatpur...

श्री श्रीभानसिंह : I asked for Dholpur.

श्री हरिश्चन्द्र : As far as possible for Dholpur, we will supply from Gwalior but I am not in a position to say...

श्री श्रीभानसिंह : Has the Government entered into a contract with Madhya Pradesh that the Madhya Pradesh will along those transmitters give to the Rajasthan Government all supply of electricity of Sawai Madhopur and Dholpur ?

श्री हरिश्चन्द्र : सवाई माधोपुर से चलती जायगी, वह ग्वालियर जायगी व ग्वालियर से मोरेना होकर धौलपुर जायगी ।

Page No.3

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : सवाई माधोपुर से करौली, हिंडोन, बयाना होकर जाने में कोई रुकावट है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिए नहीं कह सकता।

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : जो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी वह तहसीलों में पहुंचने के लिए काफी होगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

कोटा जिले में कम तोल के बांटों के पंजीबद्ध मामले

२. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि शहर कोटा, मोहल्ला रामपुरा के श्री ओंकारलाल नाथूलाल घी वाले के पास नाप–तोल निरीक्षक के द्वारा कम वजन के १ मन के बांट पकड़े गये हैं ?

(२) यदि हां, तो इस विषय में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(३) कोटा जिले में अब तक इस प्रकार के कितने केस कब कब रजिस्टर हुए हैं तथा उनमें क्या कार्यवाही हुई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां।

(२) निरीक्षक, बाट व माप, कोटा ने राजस्थान बाट व माप अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत इस केस को चालान करने की स्वीकृति मांगी थी। किन्तु चूंकि उपरोक्त अधिनियम कोटा जिले में राजस्थान बाट व माप (प्रवर्त्तन) अधिनियम, १९५८ द्वारा निरस्त कर दिया गया, यह स्वीकृति नहीं दी जा सकती थी। अतः अब निरीक्षक, बाट व माप को इस केस को कोर्ट में चालान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(३) दो। दिनांक ३०. ८. ५९ व दिनांक ७. ९. ५९ को रजिस्टर हुए जिनके सम्बन्ध में उक्त वर्णित कार्यवाही की जा रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह केस कब पकड़ा गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह करीब करीब १।। साल पहले की बात है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसकी आज्ञा निरीक्षक ने कार्यालय से कब मांगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पकड़ने के बाद ही मांगी थी। लेकिन नियम के अनुसार चूंकि उपरोक्त अधिनियम कोटा जिले में अधिनियम, १९५८ द्वारा निरस्त कर दिया गया यह स्वीकृति नहीं दी जा सकती थी। बाद में उनसे कह दिया कि कार्यवाही करें और कार्यवाही की।

श्री दयाकृष्ण विजय : इतना समय क्यों लगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हमारे यहां कोई ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने पर्मिशन मांगी। उसके बाद में केस को एग्ज़ामिन

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कर वाया और उसके बाद नियम की तहत में उसका चालान किया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कोर्ट में चालान कौनसी तारीख को पेश किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : चालान पेश करने की तारीख मेरे पास नहीं है। यह जरूर है कि स्वीकृति दे दी गई और कार्यवाही करेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि किसी प्रकार का चालान पेश अभी तक नहीं किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३.

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दयाकृष्ण विजय।

डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकॉड्स के पद पर नियुक्ति

४. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ की धारा १० के अनुसार राज्य सरकार के डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकॉर्ड्स के पद पर किसी की नियुक्ति कर रखी है ?

(२) यदि हां, तो किसकी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकार्ड्स के पद पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नियुक्ति की है तो डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकॉर्ड्स की अपील रेवेन्यू बोर्ड को होती है ? अगर उनको अलग नहीं करते हैं तो उनके अपील के राइट कहां पर रहते हैं ? डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकॉर्ड्स की अपील किस प्रकार हो सकती है ? रेवेन्यू बोर्ड में जा सकते थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : डाइरेक्टर हाइएस्ट ऑथोरिटी है, वही मुकर्रर करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि लैण्ड रेकॉर्ड की अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लाइ करती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कानून का प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भी कानून समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री किशनाराम।

Page No.5

तहसील रतनगढ़ की शिक्षण संस्थाएं

५. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार रतनगढ़ नगर में मिडिल स्कूल के भवन का विस्तार करा कर इसे कब तक हाई स्कूल बनवाने का इरादा रखती है ?

(ख) सरकार रतनगढ़ नगर की आबादी व जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए वहां कब तक डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) रतनगढ़ तहसील के किस किस ग्राम में कुल कितने प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूल्स हैं ?

(घ) सन् १९६० व ६१ में रतनगढ़ तहसील के कितने ग्रामों में सरकार नये स्कूल खोलना चाहती है व कितने मिडल स्कूलों को हायर सेकिन्डरी स्कूल्स बना रही है और कितने प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल बनाया जा रहा है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) (क) रतनगढ़ की माध्यमिक शाला का भवन अभी माध्यमिक शाला के लिए पर्याप्त नहीं है। भवन का विस्तार करने के लिये १०,००० रू० की धन राशि स्वीकृत की गई थी। क्योंकि वहां पर एक सहायता प्राप्त बहुद्देशीय उच्चत्तर माध्यमिक शाला चल रही है, अतः दूसरी उच्चत्तर माध्यमिक शाला खोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

(ख) अभी विचार नहीं है।

(ग) सूची संलग्न है।

(घ) सन् १९६० व ६१ में रतनगढ़ तहसील में कोई भी प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में या माध्यमिक शाला से उच्चत्तर माध्यमिक शाला में परिवर्त्तित नहीं हुई। निम्न प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं :

(१) प्राथमिकशाला, भारपालसर
(२) ,, बुधावाली
(३) ,, नौसेरियां बीदावतान
(४) ,, बतान
(५) ,, दीपसर
(६) ,, खारिया
(७) ,, मोचरी
(८) ,, जैतसर

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६

श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

गांधी अध्ययन केन्द्र, कोटा को सूतांजलि की भेंट

७. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा नगर के किन किन स्कूलों

Page No.6

(श्री दयाकृष्ण विजय)

से सन् १९६० में गांधी अध्ययन केन्द्र को कितनी कितनी घुंडियों की सूतांजलि भेंट की गई ?

(२) क्या इस भेंट की रसीद भी दी जाती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नान्ता ट्रेनिंग स्कूल के छात्राध्यापकों द्वारा सुन्दर रूप से काती हुई १०० घुंडियों की भेंट की रसीद गांधी अध्ययन केन्द्र द्वारा नहीं दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि खादी भंडार (रामपुरा गेट) कोटा, के एक कार्यकर्त्ता उन घुंडियों को बेच कर लगभग ५०) रु० हजम कर गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) कोटा नगर के किसी भी स्कूल से सन् ६० में गांधी अध्ययन केन्द्र को घुंडियों की सूतांजलि भेंट नहीं की गई ।

(ख) जी हां । रसीद दी जाती है । नान्ता ट्रेनिंग स्कूल से छात्राध्यापकों द्वारा काती हुई २ सेर घुंडियां खादी भंडार, रामपुरा, कोटा के श्री रामेश्वर नाम के व्यक्ति को दिनांक १५. १. ६० को रसीद लेकर दी गई ।

(ग) उन घुंडियों का खादी भंडार ने क्या किया, यह बताना विभाग के लिए संभव नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह रसीद कौन देता है और किसके खिलाफ पर देता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिसको लेने का अधिकार है ।

डॉ० चन्द्रकला : किसको रसीद देने का अधिकार है और किसके नाम से दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गांधी अध्ययन केन्द्र को अधिकार है और वही रसीद देता है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम है कि गांधी अध्ययन केन्द्र को सूतांजलि लेने का कोई अधिकार नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस संबंध में सरकारी आज्ञा संख्या एफ. २ (२) एजु०/बी/ ६०, दिनांक ११-२-६० से यह स्पष्ट है :

It is understood that Gandhi Smark Nidhi on 12th. Fabruary, 1960, the Sarvodai Day, is to Collect offerings of Sutanjli. The basic schools in the State may be asked to give their fullest Co-operation.

(Sd/-A. L. Roonta I. A. S.)

Deputy Secretary to Government.'

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या खादी उद्योग और गांधी अध्ययन केन्द्र परस्पर सम्बन्धित हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा है कि रामेश्वरप्रसाद, महेन्द्रनाथ संयोजक की चिट्ठी लेकर गये और उनको हुँडियां दी ।

Page No.7

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि महेन्द्रनाथ नहीं, रामेश्वरप्रसाद ही उस समय संयोजक थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि महेन्द्रनाथ ने बेच कर ११ रुपये दिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह गलत है ।

डॉ० चन्द्रकला : सूतांजलि की भेंट का सदुपयोग नहीं हुआ तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सूत खादी भंडार में ....

श्री दयाकृष्ण विजय : जो व्यक्ति सूत की घुंडियां बना कर आपको देता है उसको आप सदस्य बना लेते हैं, इसीलिये चोरी से घुंडियें लेकर सदस्य बन गये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

तहसीलदार किशनगंज द्वारा ग्राम छत्रपुरा की पड़त जमीन का अलॉटमेंट

८. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा—सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है ग्राम छत्रपुरा, तहसील किशनगंज के माल की लगभग ३०० बीघा पड़त जमीन तहसीलदार, किशनगंज द्वारा अन्य ग्रामों के लोगों को दे दी गई है जबकि ग्राम छत्रपुरा में भूमिहीन लोग विद्यमान हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि जिन परिवारों को भूमि दी गई है उनके पास पहले भी जमीन थी तथा उन्हें भूमि दूसरे नामों से दी गई है ?

(३) यदि हां, तो क्यों तथा छत्रपुरा निवासियों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई ?

राजस्व मंत्री : (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

रतनगढ़ से राजलदेसर, चूरू, सालासर तथा सुजानगढ़, राजलदेसर से डूंगरगढ़ तथा रींगस से खादू तक की सड़कों की निर्माण योजना

९. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या सरकार रतनगढ़ से राजलदेसर, रतनगढ़ से चूरू, रतनगढ़ से सालासर और राजलदेसर से डूंगरगढ़ तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री किशनाराम)

(ख) रतनगढ़ से सुजानगढ़ जाने वाली सड़क डामर डाल कर कब तक सम्पूर्ण कर दी जावेगी ?

(ग) क्या रींगस से खाटू तक सड़क बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या सरकार के ध्यान में है कि खाटू में श्री श्यामजी का मंदिर होने के कारण हर माह वहां हजारों यात्री जाते-आते हैं जिन्हें सड़क न होने के कारण आवागमन में भयंकर दिक्कत रहती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) रतनगढ़ से चूरू सड़क का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ होने को है । सर्वे हो चुका है और एस्टीमेट्स, एस. ई., बीकानेर के पास जांच के लिए पहुंच चुके हैं । बाकी अन्य सड़कें अभी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थान नहीं पा सकी हैं ।

(ख) रतनगढ़ से सुजानगढ़ रोड किसी योजना में स्वीकृत नहीं है । अतः निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

(ग) जी हां, ध्यान है ।

श्री किशनाराम : तो वहां सड़क पर डांबर छिड़काने के सम्बन्ध में है, न कि सड़क बनाने की बात है ?

श्री अध्यक्ष : रतनगढ़ से राजगढ़ की सड़क पर डांबर छिड़कने का प्रश्न है, न कि सड़क बनाने का ।

श्री हरिश्चन्द्र : वैसे स्वीकृति नहीं है । रीपेअर्स की जितनी ग्रान्ट होती है उतनी ही रीपेअर्स होती है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सन् १६५६ में जिला टोंक में अति वृष्टि तथा अनावृष्टि से खरीफ की फसल को हुई क्षति

१०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि जिला टोंक में अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण सन् १६५६ में खरीफ की फसल नष्ट हो गई ?

(२) अगर हां, तो कौन कौन सी तहसीलों में और कितने कितने प्रतिशत किस किस प्रकार के अनाज की ?

(३) क्या सरकार ने इस खरीफ की फसल के नष्ट होने का सर्वेक्षण कराया है ?

(४) क्या सरकार ने काश्तकारान को तात्कालिक राहत देने का कोई कदम उठाया है ? अगर हां, तो क्या ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, यह सही है कि जिला टोंक में अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण सन् १६५६ ई० में खरीफ का फसल नष्ट हुई है ।

(२) तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी हां, राजस्व अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण हुआ है ।

Page No.9

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(४) जी नहीं, फसल को अतिवृष्टि या अनावृष्टि से ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ ताकि काश्तकारान को फौरन राहत देने की आवश्यकता प्रतीत होती।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि नुकसान नहीं हुआ। अवश्य ही नुकसान तो हुआ है। आखिरकार कितना कितना हुआ, क्या हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह अर्ज किया कि जो इस संबंध में नियम बने हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए केवल नुकसान होना आवश्यक नहीं है। यह तो नुकसान की मिकदार पर है। अगर नुकसान ८ आने से नीचे होता है तो कोई राहत नहीं दी जाती है और कोई किसान लेना भी नहीं चाहता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किसी अधिकारी ने कब जाकर वहां पर निरीक्षण किया कि कितना नुकसान हुआ है और कब जाकर देखा ? १५ दिन बाद या दो महीने बाद या ६ महीने बाद जाकर निरीक्षण किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फौरन ताकीद करके निरीक्षण करवाया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपकी जानकारी में है। नुकसान के लिये न तो तहसीलदार ने जाकर वहां पर देखा और दो-तीन महीने बाद जाकर देखा उस समय ... व ढांढे चर गये तब जाकर देखा होगा और कहा कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। काश्तकारों ने दरख्वास्त अधिकारियों के पास भेजी तो उनको यह कह कर टाल दिया कि नुकसान नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम जिलों में एक ही प्रकार से कानून लागू होता है। तमाम जिलों की सूचना रखते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है कि तीन महीनों के बाद वहां पर निरीक्षण किया गया। मैं यह कहूंगा कि वहां खतौनी मुरतबी ? उन पटवारी और नायब तहसीलदार के निरीक्षण के बाद हुई। इसके लिये नियम साफ है। अगर कोई नुकसान दर्ज नहीं करता है तो उसके लिये आगे उजरदारी कर सकता है और जब किसी ने उजरदारी नहीं की तो उसका मतलब यह है कि जो रेकॉर्ड में दर्ज किया है वह सही माना जावेगा। अच्छा होता, यह सही सलाह और मशविरा और वाजिब बात थी तो उन काश्तकारों को देते।

श्री दलपतसिंह (आबू) : लेकिन कितना नुकसान हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सदन की मेज पर सूची रख दी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मानना न मानना तो सरकार की मर्जी पर है। आपकी कॉन्स्टिट्युएन्सी है वहां खराबी है ही।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य की बात मान ली।

श्री अध्यक्ष : यह दोनों तरफ लागू होता है।

(हंसी)

श्री दलपतसिंह : कितना पर्सेन्टेज का नुकसान हुआ है ? कितना नुकसान होना चाहिये हिसाब से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ तहसीलों में ६ आना और एक कॉन्स्टिट्युएन्सी है देवली माननीय सदस्य की उसमें ८ आना से नीचे नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी।

उच्च तथा उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं में प्रधानाध्यापकों की नियुक्तियां

११. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या गत वर्ष उच्च तथा उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों के चुनाव के सिलसिले में अस्थायी नियुक्तियों के लिये कोई सुरक्षित सूची (रिज़र्व्ड लिस्ट) बनाई गई थी ?

(ख) यदि हां, तो उक्त सूची में उल्लिखित अध्यापकों की पृथक पृथक योग्यतायें क्या हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखी जाये।

(ग) क्या एक सूची के कुछ नामों के शेष रहते हुए कोई दूसरी सूची भी उक्त पदों के लिये बनाई गई थी ? यदि हां, तो उसके प्रत्याशियों की पृथक पृथक योग्यताएं क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(घ) क्या प्रथम सूची में जिन प्रधान अध्यापकों की अस्थाई नियुक्तियां की गई थीं, वे यथावत् अपने पदों पर कायम हैं या उनको परिवर्तित किया गया है ?

(ङ) यदि प्रथम सूची के प्रत्याशी की योग्यता दूसरी सूची के प्रत्याशी के समान अथवा उससे अधिक है, तो क्या सरकार प्रथम सूची के प्रत्याशी को तरजीह देने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां। गत वर्ष केवल उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पद पर नियुक्ति के लिए सुरक्षित सूची बनाई गई थी।

(ख) ऐसे अध्यापकों की सूची मय योग्यता के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी हां। पहली सूची के कुछ नामों के शेष रहते हुए एक दूसरी सूची भी उक्त पदों के लिए बनाई गई थी जिसमें पहली सूची के व्यक्तियों के नाम भी सम्मिलित हैं। दूसरी सूची के समस्त अध्यापकों के नामों की मय योग्यता के सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पहली सूची जब तक रिलेक्स्ड क्वालिफिकेशन के अनुसार साक्षात्कार होकर अन्तिम सूची न बन जावे तब तक के लिए ही प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर अस्थाई तौर पर नियुक्तियां करने के लिए बनाई गई थी।

Page No.11

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(घ) प्रथम सूची से जिन प्रधानाध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति की गई थी वे यथावत अपने पदों पर कायम रखे गये।

(ङ) क्योंकि प्रथम व द्वितीय सूची के समस्त अध्यापक प्रधानाध्यापकों के पद पर नियुक्त कर दिये गये हैं अतः प्रथम सूची के अध्यापकों को समान व अधिक योग्यता होने पर तरजीह देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : पहली सूची बनी थी उसमें कितने प्रत्याशी थे और कितने लेने के बाद सूची बदली गई थी ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न यह था कि दूसरी सूची वालों को तरजीह दी है या नहीं और माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि दोनों सूची वालों को दी गई है।

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : एक साल का अंतर पड़ता है। एक सूची पहले बनाई, उसमें से कुछ को ले लिया और कुछ को ड्रॉप कर दिया गया और दूसरी सूची बनाई गई।

श्री अध्यक्ष : ड्रॉप किसी को नहीं किया गया, ले लिया गया।

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : लिस्ट में हो गया ....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य को इसे जरा समझने की जरूरत है कि पहली सूची और दूसरी सूची बनाने की आवश्यकता क्यों हुई ? पहली सूची में क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई थी, मिडिल स्कूल के अध्यापकों के लिये हाई स्कूल में कुछ आधार रखा गया था। इस पर उन्होंने रिप्रेज़ेन्टेशन किया था और गवर्नमेंट को कहा था कि हमको डिबार करना मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट ने भी इसको ठीक समझा कि यह रिलेक्सेशन हो जाना चाहिये। तब ही पहली लिस्ट से हो जाना चाहिये था लेकिन जुलाई का महीना आ गया था, नये स्कूल खुलने वाले थे और हैडमास्टर्स की तकरुरी जरूरी थी। इसलिए २१ अध्यापकों का अपॉइन्टमेंट किया गया। तब दूसरी फाइनल लिस्ट तैयार हुई और उसमें पहली लिस्ट के अध्यापकों को सम्मिलित कर लिया गया। ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी में पी० एस० सी० ने स्वीकार कर लिया उसी आधार पर लिस्ट बनी थी और सिलेक्शन लिस्ट में जितने थे उनको स्वीकार कर लिया गया।

श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी : दोनों सूचियों के अध्यापकों की नियुक्ति में कितना समय लगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहली सूची में अप्रेल–जून में और दूसरी में अक्टूबर में। पहली में २१ को चुन लिया था और दूसरी लिस्ट में ज्यों ज्यों नम्बर आता गया त्यों त्यों।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उस सूची में एक, दो नियुक्तियां तो जुलाई–अगस्त में जाकर हुईं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह हो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सकता है। लेकिन जब तक सब्स्टेन्टिव अपॉइन्टमेंट पी० एस० सी० नहीं कर लेती तो पहले एप्रूव्ड लिस्ट से ही अपॉइन्टमेंट कर लेते हैं। It is not only the Education Department but it is in every Department and we do it everyday.

हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को वाइड पॉवर्स न हो, लेकिन पी० एस० सी० के सीनियर मेम्बर को उसमें ले लेते हैं, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट होता है, मैं समझता हूं कि जस्टिस करने का इससे और अच्छा तरीका नहीं हो सकता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जुलाई, १९५९ में पहली लिस्ट के अनुसार प्रधानाध्यापक हुए और कुछ ६० में आकर हुए तो. जूनियर लोग हो गये तो इससे हार्ट बर्निंग होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हार्ट बर्निंग का सवाल नहीं है। सीनियोरिटी में जहां नम्बर जिसका आना चाहिये वह आया है और प्रायोरिटी किसी को नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : Next question please. RaoRaja Shri SardarSingh.

डिग्री कॉलेज, टोंक

१२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि टोंक सिटी में इन्टरमीजियेट कॉलेज को डिग्री कॉलेज बना दिया गया है ? अगर हां, तो कब से ?

(ख) क्या यह सही है कि इस वर्ष बी.ए. प्रीवियस और फाइनल में बहुत कम छात्र उत्तीर्ण हुए ?

(ग) अगर हां, तो कितने कितने छात्र बैठे थे और कितने उत्तीर्ण हुए ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) इन्टरमीजियेट कॉलेज, टोंक को जुलाई १९५९ में डिग्री कॉलेज बना दिया गया था।

(ख) हां, इस वर्ष तृतीय स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम बहुत खराब रहा है।

(ग) तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष कला की परीक्षा में १२ लड़के बैठे और उनमें से केवल १ लड़का पास हुआ और परीक्षा-फल ९ प्रतिशत रहा। इसी प्रकार इसी कक्षा में वाणिज्य में ७ लड़के बैठे और उनमें से १ लड़का पास हुआ और परीक्षाफल १३ प्रतिशत रहा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार ने इसका कारण भी तलाश करने की कोशिश की है कि दिन-ब-दिन राजस्थान में शिक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, परीक्षा-फल खराब निकलता है, तो कमेटी नियुक्त कर क्या कोई परिणाम निकाला गया है कि ऐसा क्यों होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सब का ही परिणाम खराब नहीं निकलता। एक संस्था के परिणाम को देख कर सब के लिए

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह नहीं कहा जा सकता। इसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट पता लगा रही है कि अध्यापक या परीक्षार्थी अथवा किस कारण से इसका परिणाम खराब रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इसके लिए कोई कमेटी नियुक्त की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी अवश्यकता नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कमेटी नियुक्त करनी चाहिए थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : सुझाव के लिए धन्यवाद। लेकिन कमेटी की आवश्यकता नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : टोंक ही कोई एक कॉलेज नहीं है, इतना ही परिणाम और कॉलेजों का भी रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरों के लिए सवाल पूछिये, मैं जवाब दूंगा।

प्रश्न संख्या १३

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४

श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

१५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक कुल कितने राजनैतिक पीड़ितों को सहायता दी गई है और किस किस प्रकार है ?

(२) क्या सहायता दिये जाने से पूर्व आवश्यक जांच हरएक के मामले में की गई थी ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक कुल ७१ राजनैतिक पीड़ितों को सहायता दी गई है। उक्त सहायता निम्न प्रकार से दी गई है :—

(क) ५८ राजनैतिक पीड़ितों को २५) रु० माहवार पेन्शन से लेकर ७५) रु० माहवार पेन्शन के रूप में दी गई।

(ख) ६ राजनैतिक पीड़ितों को इकट्ठी धन-राशि ५००) रु० से लेकर ५,०००) रु० तक दी गई।

(ग) ३ राजनैतिक पीड़ितों को फिर से नौकरी पर ले लिया गया।

(घ) १ राजनैतिक पीड़ित को २० बीघा जमीन खेती के लिये दी गई। कुल ७१.

(२) सहायता दिये जाने से पूर्व हर एक के मामले में जांच की गई थी। जांच सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा कराई गई थी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर सहायता देने के कार्य पर कार्यवाही की गई थी। राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता कानून सन् १६५६ के अन्तर्गत हरेक खंड में एक एक कमेटी की नियुक्ति हो गई है और हर एक की जांच इन कमेटियों द्वारा हो जाने के पश्चात् कमेटी की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जांच कलेक्टर करते हैं या कमेटी करती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : Collector and the Committee both.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी आई है कि कलेक्टर्स के पास राजनैतिक पीड़ितों का पूरा रेकॉर्ड नहीं है?

श्री दामोदरलाल व्यास : रेकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं। जो प्रार्थना-पत्र के साथ डिटेल्स आते हैं उसी के आधार पर सम्बन्धित विभागों से-जेल हो, पुलिस हो या अन्य विभाग हो उनसे जानकारी कर ली जाती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कलेक्टर्स से यह लिखा हुआ आता है कि फलां राजनैतिक पीड़ित का कोई भी रेकॉर्ड हमारे पास नहीं है और इसी कारण उनको सहायता नहीं मिली है?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पर्टिक्युलर केस के लिये अलग से सवाल पूछिये, तो मैं बता सकता हूँ। ७१ राजनैतिक पीड़ितों को सहायता दी गई है, सब के बारे में जानकारी मेरे पास नहीं हो सकती।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : राजनैतिक पीड़ित मानने का आधार क्या है?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह रूल्स के अन्दर दिया हुआ है।

प्रश्न संख्या १६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

आयर्न ओर पर रॉयल्टी की दर

१७. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister in-charge of Mines be pleased to state:—

(1) What are the rates at which royalties on Iron-ore are charged from various lease holders who export the ore outside the State? The names of the firms and the places where they export the ore may be given?

(2) What is the total quantity of Iron ore exported outside the State?

(3) What is the estimated deposits of iron ore in the State and what is the concentration of iron in he ore?

(4) Is there any possibilities of testablishing a steel plant in the State

Page No.15

(श्री पी. के. चौधरी)

and if so, what step the Government has so far taken in this direction ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

1. The Royalties on Iron ore are charged from various lease, who export the ore outside the State at the rates as givenin Schedule I, Item 4 of M.C. R, 1949 and M. M.& R. D. Act 1957-

(a) Used for extraction of Iron within the country.	Five percent of the sale price at the pit's mouth subject to a minimum of fifty Naya Paise per ton.
(b) Used for other purpose.	Five percent of the sale price at the Pit's mouth subject to a minimum of one rupee per ton.

(c) List has been placed on the table of the House.

2. The quantity figures for last three years are as follows:-

1957-	1,02,224 tons.
1958-	88,450 „
1958-	79,200 „

3. A rough estimate of the reserves of iron ore known deposits in Rajasthan is 20 million tons. The grade varies from 55% to 67% Fecontent.

4. In order to examine the possibility of establishing pig iron plant in Rajasthan the State Govt. has sent a large tonnage of sample of iron ore and lime stone to the National Metallugical Laboratory for pilot experiments on pig iron manufacture in low shaft pilot plant established there.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : आपने जो क्वेश्चन का जवाब दिया है उसके अनुसार सन् ५७ से आइरन ओर का एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, इसका कारण क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The reasons aremany. जहां मार्केट के अन्दर डिमान्ड भी कम हो सकता है उसके अलावा क्वालिटीज़ में ५५ पर्सेन्ट से ६३ पर्सेन्ट तक की गिरावट आदि कई कारण हो सकते हैं। जहां डिमान्ड कम होती गई एक्सपोर्ट भी कम होता गया।

श्री पी० के० चौधरी : अब तो जापान के साथ एग्रीमेन्ट भी हो गया है, वैसी हालत में एक्सपोर्ट डिमान्ड की कमी की वजह से तो कम नहीं होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : पिग आइरन मेन्युफेक्चर के बारे में आपने कब लिखा है, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I said that there may be so many reasons. I have not received a report so far. The

Page No.16

(श्री दामोदरलाल व्यास)

State Govt. has sent a large tonnage of sample of iron ore and limestone to the laboratory. वहां से रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने उनके पास कब भेजा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That date is not available with me at the moment.

श्री पी० के० चौधरी : उनकी रिपोर्ट फेवरेबल है क्या कि यहां प्लान्ट लग सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Well I cannot answer such a hypothetical question. If I receive a reply, we will certainly consider and try...

श्री पी० के० चौधरी : उसके लिये आपने लोगों से स्कीम वगैरह इन्वाइट की है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Let a report come from the Laboratory. It will be too premature and uncertain at present.

सवाई माधोपुर होकर गांधी सागर और जयपुर के बीच टॉवर्स लगाने के आदेश

१८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Minister for Power be pleased to state :-

(1) Is it a fact that the order for Erection of Towers between Ghandhi Sagar and Jaipur via Sawai Madhopur has been placed with M/s Cromption Engineering Co; Private Ltd., Madras on 18. 4. 59 ? If so, a copy of the order be placed on the table of the House along with the copy of the specifications and the tender, submitted by the above firm.

(2) Is it also a fact that these tenders were invited only for the Erection work while actually the said firm has been given order for other works also such as unloading, transportation, stocking, storing and handling ? If so, why this deviation from the specification ?

(3) Is it a fact that the firm has not yet executed the agreement as required ?

(4) Is it also a fact that the said firm has also not given any Bank Guarantee as required ?

(5) Is it also a fact that the said firm has been given possession of the materials ? If so, of how much material and why ?

(6) Is it also a fact that huge payments in lieu of work have been made to this firm ? If so, for how much and why ?

(7) Is it also a fact that the firm has also not sent the acceptance of the said work as required ?

Page No.17

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(8) Why the erection work was not done Departmentally ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र):
1. Yes.

2. The tenders were invited for erection against specifications No.PS/Chambal/T-108 which includes unloading, transporting, stocking, storing and handling etc. Hence the question of deviation from the specification does not arise.

3. Yes.

4. Bank Guarantee is required after completion of the work.

5. Yes. About Rs.95,74, 731. 08 in accodrance with the erection order.

6. Running Bills have to be paid in accordance with the terms of the Contract. A sum of Rs. 3, 22, 818. 49np. has been paid.

7. No.

8. Because it was not possible to do so.

The Hon'ble Member had asked for copies of tenders as well as specifications but these documents are so bulky and if the Hon'ble member wants to see, it can be shown to him in my chamber.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न के भाग २ में पूछा गया था कि जो ऑर्डर प्लेस किया गया उसमें अनलोडिंग, ट्रान्सपोर्टेशन, स्टोकिंग, स्टोरिंग एन्ड हैन्डलिंग, क्या इनके लिये अलग से ठेका दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो ऑर्डर प्लेस किया गया था उसमें ये चार्जेज़ इन्क्लुज़िव थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब ये चार्जेज़ शामिल थे तो उनको इसके लिये अलग से चार्जेज़ क्यों दिये गये ?

श्री हरिश्चन्द्र : हैन्डलिंग के चार्जेज़, जो सामान दूसरी जगह से आता है उसके लिये दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब कि अनलोडिंग, ट्रान्सपोर्टेशन, स्टोकिंग, स्टोरिंग एन्ड हैन्डलिंग, ये सब आ गये हैं, वैसी हालत में हैन्डलिंग कोई दूसरी बची नहीं रहती; वैसी हालत में हैन्डलिंग के चार्जेज़ क्यों दिये गये ?

श्री हरिश्चन्द्र : इरेक्शन के वक्त जो सामान दूसरे मेन्युफेक्चरार्स से आते हैं उस सामान को लाइन तक पहुँचाने के लिये हैन्डलिंग के चार्जेज़ दिये गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हैन्डलिंग के अलावा स्टोरिंग, स्टोकिंग आदि का सेपरेट ठेका क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो कॉन्ट्राक्ट में इन्क्लुज़िव है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एग्रीमेन्ट को जल्दी से जल्दी एक्ज़ीक्यूट कराया जावे ताकि बाद में किसी प्रकार की कानूनी पेची-

Page No.18

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दगियां हों, तो राज्य सरकार के हित सुरक्षित रहें।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये चम्बल केनाल बोर्ड को कह दिया है कि वह जल्दी से जल्दी इसको एक्ज़ीक्यूट कराये।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा कि बैंक के असेट्स एक्ज़ीक्यूशन के बाद में होते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : वर्क्स ऑपरेशन के बाद में होते हैं।

That will come into operation if the work is found faulty.

श्री अध्यक्ष : But it must be given along with the order.

श्री हरिश्चन्द्र : They have agreed.

विद्यालयों में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य रक्षा के हेतु प्राकृतिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेने के सम्बन्ध में

१६. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या शिक्षा विभाग विद्यालयों में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु एलोपेथी विज्ञान का सहारा लेती है ? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य वृत्त शिक्षण के सम्बन्ध में प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद चिकित्सा का भी सहारा लिया जाता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या सरकार भविष्य में ऐसा करने का विचार रखती है ?

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) अभी तक विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षा हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। किन्हीं किन्हीं विद्यालयों में डॉक्टरों व वैद्यों द्वारा अलाउन्स पर छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षा ली जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समस्त विद्यालयों में छात्रों की स्वास्थ्य-परीक्षा की योजना सरकार के विचाराधीन है जिसे फाइनेलाइज़ करते समय वैद्यों द्वारा भी छात्रों की स्वास्थ्य-परीक्षा की व्यवस्था करने के प्रश्न को ध्यान में रखा जायेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इसमें स्वास्थ्य-परीक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि स्वास्थ्य रक्षा के लिये पूछा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : हैल्थ एग्ज़ामिनेशन का मतलब ही स्वास्थ्य परीक्षा है। इसके अलावा आप कुछ और चाहें तो और पूछ लीजिये।

हनुमानगढ़ जंकशन से हनुमानगढ़ टाउन तक सड़क

२०. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No.19

(श्री धर्मपाल पंवार)

(क) हनुमानगढ़ जंकशन से हनुमानगढ़ टाउन को आने वाली सड़क के निर्माण पर सर्व प्रथम कितना रुपया खर्च हुआ ?

(ख) उक्त सड़क की मरम्मत पर सन् १९५५ से कितना रुपया प्रति वर्ष लगता रहा है ?

(ग) क्या यह सही है कि लगभग पांच साल से लगातार इस रोड पर मरम्मत कार्य चालू रहता है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि इस सड़क की हालत खराब हो जाने से यातायात ठप्प हो जाता है और जनता को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक पूर्ण रूप से ठीक करवाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) १, ३६, ७१६ रु० ।

(ख)

वर्ष	वार्षिक मरम्मत	वर्षाकालीन मरम्मत
१९५४-५५	२,२९५ रु०	
१९५५-५६	२,८१४ रु०	
१९५६-५७	२,०५२ रु०	६,२२८ रु०
१९५७-५८	....	४,३६० रु०
१९५८-५९	८३१ रु०	५,७३१ रु०
१९५९-६०	१,०९८ रु०	६,२०१ रु०

(ग) जी हां, मरम्मत प्रति वर्ष की जाती है ।

(घ) सड़क की हालत खराब नहीं है बल्कि पंजाब की ओर से आने वाली नाली के पानी से ग्राम चक ज्वालासिंहवाला को खतरे से दूर रखने के लिये सड़क को तोड़ना पड़ता है :

श्री धर्मपाल पंवार : इस समय यातायात चालू है ?

श्री हरिश्चन्द्र : थोड़ा बहुत चालू है ।

श्री धर्मपाल पंवार : तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि आये साल इतने रुपये खर्च करने के बजाय एक मुश्त ही खर्च करके पुख्ता इन्तजाम कर दे और जनता की असुविधा को और सरकारी धन के अधिक व्यय को रोके ।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये जैसा आपको मालूम है वहां अभी एक या दो ब्रिजेज बनाई गई हैं और वे इसी वास्ते बनाई गई हैं । पर झगड़ा वहां इस बात का है कि वहां एक ही जगह है जहां से ट्राफिक भी पास होता है और सड़क भी बनती है और डेवीएशन बनाने की कोई जगह और है नहीं, अगर हो तो सड़क जल्दी बन सकती है ।

श्री धर्मपाल पंवार : जिस वक्त नाले का मोशन कम होता है और पानी की भी डिमान्ड कम होती है उस समय उस पर कोई काम आप क्यों नहीं करवाते हैं ? जब मोशन होता है और पानी पूरे जोर से आता है तभी क्यों काम करवानायाद आता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : काम नहीं हो रहा है, यह तो आप नहीं कह सकते । काम जितनी तेज रफ्तार से हो सकता है, हो रहा है ।

Page No.20

श्री धर्मपाल पंवार : काम नहीं हो रहा है, यह तो नहीं कहता मैं भी, पर काम होता आपका उस वक्त है जब मोशन में होता है नाला और तब वह सड़क पानी से टूट जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र : काम चालू है, ब्रिज तैयार हो गई है। अब सड़क बनाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : रामनारायण वर्मा।

विकास खण्ड लाडपुरा (कोटा) द्वारा सिंचाई हेतु मोरियों तथा पुलियों का निर्माण

२१. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा—सु०) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पंचायत समिति की स्थापना के पूर्व विकास खण्ड लाडपुरा (कोटा) द्वारा ग्राम पदमपुर, बक्सपुरा, हरिपुरा, रावठा के तालाब व लड़कों की तलाई पर सिंचाई हेतु मोरियां बनाई गई थीं ?

(ख) क्या यह सही है कि इसी समय काल्या खेड़ी की नदी पर भी कई स्थानों पर सिंचाई के लिए पुलियां बांधी गई थीं ?

(ग) यदि हां, तो उक्त मोरियों एवं पुलियाओं पर पृथक पृथक कितना व्यय हुआ ?

(घ) उक्त तालाबों एवं नदी से वर्तमान में कहां कहां कितनी कितनी सिंचाई होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन स्थानों पर वर्तमान में सिंचाई का कार्य बिल्कुल नहीं होना बताया गया है उन स्थानों पर मोरियां एवं पुलियाएं बनाने का कार्य पिछले वर्ष की वर्षा के बाद पूरा हुआ था। इन स्थानों इस वर्ष सिंचाई का कार्य आरम्भ हो जाने की सम्भावना है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जब पिछले वर्ष की वर्षा ऋतु के बाद काम कराया हुआ था तो उस समय रबी की फसल को सिंचाई के वास्ते पानी क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पानी तो इस साल वर्षा से भरेगा; इस साल वर्षा से भरेगा तो अगले साल ही तो सिंचाई होगी। पहले कैसे होगी ?

पाली जिले का सैटलमेन्ट रेकॉर्ड

२२. श्री वेनाराम गहलोत (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या पाली जिले का सैटलमेन्ट का रेकॉर्ड पाली कलेक्टोरेट में आ चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(श्री बेनाराम गहलोत)

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त रेकॉर्ड की कॉपीज़ मांगने पर नहीं दी जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) उपरोक्त रेकॉर्ड के संबंध में कॉपीज के लिये दी गई दरख्वास्तें कितनी और कब से पेन्डिग हैं ?

(घ) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त रेकॉर्ड अभी तक बोरों में सीलबन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) उपरोक्त रेकॉर्ड से सम्बन्धित कौन क्लर्क काम करता है और वह उस कार्यालय में कितने समय से काम करता आ रहा है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कोई दरख्वास्त पेन्डिग नहीं है ।

(घ) जी नहीं । रेकॉर्ड रेकों में जमा है ।

(ङ) श्री जमनालाल पटवारी रेकॉर्ड-कीपर का कार्य गत तीन वर्षों से कर रहे हैं ।

श्री बेनाराम गहलोत : यह सैटलमेंट विभाग से रेकॉर्ड कब आया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री बेनाराम गहलोत : तारीख तो पूछी गई है (क) भाग के अन्दर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने यह पूछा है कि 'क्या पाली जिले के सैटलमेंट का रेकॉर्ड पाली कलेक्टोरेट में आ चुका है'.... जी, तारीख भी आपने पूछी है । तारीख मेरे पास नहीं है (अल्प विराम के अनन्तर) जी, है मेरे पास तारीख । तहसील सोजत से ६–७–५६, तहसील बाली से ८–७–५६ को, तहसील देसूरी से १४–७–५६ को, तहसील जैतारण से १४–७–५६ को तहसील रायपुर से १४–७–५६ को ।

प्रश्न संख्या २३

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

चेटन्स आयात करने का लाइसेन्स

२४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही कि चेटन्स आयात करने का लाइसेन्स निम्नांकित तीन व्यक्तियों को दिया गया है :

(क) नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी ।

(ख) राजस्थान फैन्सी कंगन कोऑपरेटिव इन्डस्ट्री, सोसाइटी ;

(ग) एन. के. आचार्य ?

(२) इस वर्ष कुल कितने रुपयों का माल इन लोगों ने मंगाया और किस प्रकार से वह माल वितरित करवाया गया ?

(३) क्या यह सही है कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संचालक की अनुमति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्राप्त करने से पूर्व ही यह माल इन लोगों ने वितरित कर दिया ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत आई थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) (क) जी हां।

(ख) इस वर्ष कुल ३५,०००) रु० का चेटन्स निम्नलिखित पार्टियों के द्वारा आयात किया गया :—

१.	नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी	१०,७१०)
२.	राजस्थान फैन्सी कंगन कोऑपरेटिव इन्डस्ट्रीज़ सोसाइटी	२,८६०)
३.	श्री एन. के. आचार्य	२१,४३०)
	योग	३५,०००)

इस माल में से कुछ माल का वितरण तो वितरण समिति जो इस कार्य के लिए बनाई गई है किया जा चुका है। शेष का वितरण अभी बाकी है।

(ग) केवल नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जयपुर ने संचालक महोदय, उद्योग और रसद विभाग की बिना आज्ञा के ही आयात किये गये माल को काम में ले लिया।

(घ) जी हां, नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध शिकायत आई थी। इस समिति के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने के लिये रजिस्ट्रार महोदय, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लिखा जा चुका है तथा डिप्टी चीफ कन्ट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स को भी लिखा जा रहा है कि इस समिति को आगे कोई कोटा जब तक इस विभाग से दुबारा न लिखा जाय न दिया जावे।

श्री जमनालाल अग्रवाल का प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स

२५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि श्री जमनालाल अग्रवाल जिसका इलाका सरदारगढ़ (भीलवाड़ा) की ओर है को पूसालाल के फ्री एरिया सरगढ़ी और जिलोली में १,२०० एकड़ का प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स मिल गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा इन्जीनियर के ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री ख्यालीलाल ने उक्त श्री जमनालाल को बिना सूचना किये उसके पी० एल० को कैंसिल करने अथवा किसी अन्य पार्टी को पी० एल० दिये जाने के लिये सिफारिश डाइरेक्टर, माइनिंग को कर दी ? यदि हां, तो क्यों ? यह पी० एल० किसको और कब मिला ? श्री जमनालाल की सिफारिश कब और किसने की थी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां, केवल स्वीकृति हुई थी।

(ख) खनि अभियन्ता के मुख्य लिपिक द्वारा पी० एल० स्वीकृति को रद्द किए जाने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

का प्रश्न ही नहीं उठता, कारण कि यप उसके अधिकार में ही नहीं है। श्री अग्रवाल द्वारा निश्चित् अवधि में एग्रीमेन्ट का संपादन नहीं करने से मिनरल कन्सेशन रूल्स, १९४९ की धारा १७ अ. के अनुसार स्वीकृति रद्द हुई और उसकी सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को खनि अभियन्ता द्वारा भेजी गई। अभी तक उक्त क्षेत्र को किसी अन्य पार्टी को दिलाए जाने के विषय में संचालक, खनि एवं भौमिकी विभाग के पास खनि अभियन्ता ने सिफारिश नहीं भेजी है। अतः वह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है कि उक्त क्षेत्र किसको और कब दिया गया। श्री जमनालाल अग्रवाल को उक्त क्षेत्र पी० एल० पर स्वीकृति करने हेतु सन् १९५८-५९ में राज्य सरकार के पास संचालक के कार्यालय से की गई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह पी० एल० की स्वीकृति की सूचना जमनालाल को दी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दी जानी चाहिये थी और दी गई होगी जरूर।

श्री भैरोंसिंह : चाहिये थी और दे दी गई होगी, इससे काम नहीं चलेगा। आप निश्चित कहिये कि सूचना दी गई या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं दी जाने की और दिये जाने के विरूद्ध मेरे पास कोई सूचना है नहीं। मैं कहता हूँ, इसको सूचना हुई थी। वह किस तारीख को हुई, किस तारीख को नोटिस मिला, यह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि सैंक्शन की सूचना पार्टी को दी गई और बाद में उसने कार्यवाही नहीं की इसलिये कैंसिल हुई, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख को उसको सैंक्शन की सूचना दी गई और किस तारीख को पजेशन लेने की इत्तला दी गई ? इसके बिना उसको क्या मालूम कि उसकी पी० एल० की दर्ख्वास्त मन्जूर हुई भी या नहीं और इस सूचना के अभाव में वह कैसे पजेशन लेता और एग्रीमेंट करने की कार्यवाही करता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्वीकृति मिली तो सूचना मिली होगी। नोटिस एक्चुअली सर्व हुआ या नहीं, इसकी सूचना नहीं है।

समाज कल्याण विभाग बांसवाड़ा द्वारा आदिवासी बस्तियां बसाना

२६. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) समाज कल्याण-विभाग, बांसवाड़ा द्वारा सन् १९५९-६० तक जिले में कितनी आदिवासियों की बस्तियां बसाई गई हैं ? उनके नाम मय आदर्श गांवों के की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) सरकार ने जिन जिन आदर्श बस्तियों को बसाया उन बसनेवाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा कितने कितने रुपये दिये गये ? क्या वे व्यक्ति उन बस्तियों में बस गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाली) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No.24

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(ख) उपरोक्त बस्तियों में बसने वाले व्यक्तियों को दी गई सहायता की सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है। कुछ परिवार इन बस्तियों में कृषि की भूमि न मिलने के कारण नहीं बसे।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री मोगजी भाई : बसनेवाले परिवारों को जमीन न मिलने का क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो नहीं बता सकता। पर या तो जमीन नहीं होगी या दूसरों के पजेशन में होगी या अन्य प्रकार की कोई दिक्कत आई होगी।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि बसाये गये परिवारों को सब को रकम भी समाज कल्याण विभाग द्वारा एलॉट कर दी गई थी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर उनको दे दी गई थी और बसे नहीं तो वापिस जमा करा दी ?

श्री मोगजी भाई : ऐसे किन किन बस्तियों की वापिस दी गई रकम ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह बस्ती सुन्दर गांव मचाड़िया में ७५ परिवारों को बसाने के लिये रकम दी गई। पर इस बस्ती में ३३ परिवार बसे। बाकी ३० परिवारों को अन्य प्रोजेक्ट में स्थानान्तरित कर दिया गया और १२ परिवार प्रोजेक्ट पर गये ही नहीं। उनकी रकम पीछी जमा करा दी गई है।

आदर्श बस्ती, अलोकेश्वर में आवास हेतु ३६ परिवारों को रकम स्वीकृत हुई। १२ नहीं बसे और उनकी रकम वापिस जमा करा दी गई।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि बागड़ी तहसील में छीछ गांव के पास पाटन गांव में समाज कल्याण विभाग की ओर से ३० परिवारों की बस्ती बसाई गई थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह दूसरा सवाल है। अगर आप इसको अलग से पूछते तो मैं इसका जवाब दे देता कि वहां पर बस्ती बसाई गई थी या नहीं। इससे इस प्रश्न का क्या सम्बन्ध है ?

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जिन आदिवासियों को बसाया जाता है तो पहले उनको जमीन, बैल, बीज आदि क्यों नहीं दिए जाते और पहले उनको मकान क्यों बनवाने के लिए पैसे दे दिए जाते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विवरण से ही साफ मालूम होता है कि कई आदमी बस गये हैं और जो आदमी नहीं बस पाये हैं उनको दूसरी जगह भेज दिया गया है। और जो नहीं बसे हैं उनसे पैसे वापिस ले लिए गए हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो लोग बस्ती में बताये गये थे वे लोग छोड़ कर चले गए। इसका कारण यह है कि न तो समय पर जमीन मिलती है और न उनको बीज आदि लेने के लिए सब्सिडी मिलती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा नहीं

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कहा जा सकता। आखिर एक जगह से दूसरी जगह बसने के अन्दर काफी दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो लोग उसमें बसना नहीं चाहते और कितनी ही बातें ऐसी हैं कि जो इन सब का कारण बन सकती हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह तो एक वेस्ट ऑफ मनी है कि उनको पहले मकान बनाने के लिए पैसे दे दिए जाते हैं और जमीन, हल, बैल वगैरह के लिए पहले उनको नहीं दिए जाते ताकि वे अपनी आजीविका ठीक तरह से चला सकें। अगर उनको पहले ये चीजें दे दी जाती तो वे जमीन पर एक झोंपड़ी बना कर अपनी खेती करते ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रुपया वेस्ट करने की धारणा आपकी हो सकती है, लेकिन सरकार की ऐसी धारणा नहीं है। समाज कल्याण विभाग की ओर से समाज की पिछड़ी हुई जातियों के लिए जो कुछ काम किया जा रहा है उसके अन्दर बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। उनमें जो कुछ काम किया जा रहा है या किया गया है और उसके अन्दर जो कुछ धन खर्च किया गया वह सही तौर पर किया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : केवल मकान में रह कर आदमी कैसे जी सकता है जब कि उसके पास काम करने के लिए जमीन, बैल, बीज वगैरह नहीं होंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल मेम्बर प्रश्न को जनरलाइज़ कर रहे हैं। अगर किसी खास बात का उत्तर लेना चाहें तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं।

श्री मोगजी भाई : मैंने यह प्रश्न पूछा है कि जो बस्ती बसाई गई थी १६५०-६० में पाटन गांव में, उसके परिवारों को रकम दे दी गई थी। वहां जमीन कायम थी उसके बावजूद भी रकम समाज कल्याण की ओर से नहीं दी गई या दी गई और वहां बस्ती बसाई गई है या नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि आपने इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा था।

श्री मोगजी भाई : ५ बस्तियां बसाई गईं और पाटन गांव में की जो बस्ती है....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा है कि इन पांच बस्तियों में बसने वाले व्यक्तियों को दी गई सहायता की सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है। कुछ परिवार इन बस्तियों में कृषि की भूमि नहीं मिलने के कारण नहीं बसे। इन पांच बस्तियों में जिसका जिक्र आप करना चाहते हैं वह मौजूद नहीं है। अगर आप किसी खास जगह के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप दूसरा सवाल पूछें, मैं उसका जवाब दे दूंगा।

श्री मोगजी भाई : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि एक बस्ती में ७५० रुपये दिए जाते हैं अर्थात् ५०० रुपये और दिए जाते हैं। दूसरी बस्ती में ४५० रुपये दिए गए हैं और दो साल के बाद रकम दी

श्री मोगजी भाई)

जाती है तो बस्तियों में नहीं बसने का कारण तो समाज कल्याण विभाग की कमजोरी है। जमीन का आपने कहा है कि जमीन नहीं मिलने से लोग नहीं बसते हैं। तो जमीन तो वहां है और उन्हें नहीं बसाया जाता। जमीन उन्हें मिली थी, लेकिन समाज कल्याण विभाग की ओर से उन्हें रकम नहीं दी गई है और जिन लोगों को दी है वे बसते नहीं हैं और बसने वाले लोग जितने बसे हुए हैं वे परिवार कायम हैं, उनको रकम नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि रकम दी गई थी और उनसे वापिस जमा कर ली गई, जब कि जमीन नहीं मिलने की वजह से वे नहीं बस सके। इसलिए रकम तो बराबर उनको दी गई और नहीं बसने की वजह से जमा करा दी वापिस।

श्री मोगजी भाई : अभी जो २५ परिवार पाटन गांव में बसे हुए हैं और जिनको रकम नहीं मिली है समाज कल्याण विभाग की ओर से वहां उन परिवारों ने कुंआ बनाया, लेकिन कोई रकम उनको नहीं मिली। जिन परिवारों को गलत तरीके से समाज कल्याण ने जो रकम एलॉट की है उसके बारे में आपने सही जानकारी नहीं दी है जो कि रकम अभी वसूल नहीं हो रही है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बस्ती के अन्दर तो कुछ फैमिली ही बस सकती हैं। अगर बसने वाले लोग कहीं ज्यादा हैं तो वे या तो गांव में बसें या दूसरी जगह बसें, लेकिन जिन बस्तियों में बसने के लिए जो परिवारों को जमीन नहीं मिलने की वजह से नहीं बस सके हैं उनसे रुपया वापिस ले लिया गया है।

श्री मोगजी भाई : जो बस्तियां कि बी० डी० ओ० के द्वारा बसाई गई हैं उनका नम्बर मेरे पास नहीं है, ऐसा जो आपने कहा तो अभी जो लोग बसे हैं उनको बसाया जायेगा या हटा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आप तो यह प्रश्न मंत्री महोदय को दे दें और वे उन पर उचित कार्यवाही करेंगे।

(विराम)

नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

भिक्षुक समस्या

२७. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में भिखारियों की समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या भिखारियों की स्थिति का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो जयपुर शहर की सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) भिखारियों तथा उनके बच्चों की भिक्षा वृत्ति से मुक्त करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(डॉ० चन्द्रकला)

(४) क्या सरकार महसूस करती है कि भिखारी छूत के भयंकर रोगों के फैलाने का बहुत बड़ा कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) भिखारियों की समस्या को हल करने के लिए सरकार राज्य व्यापी स्तर पर कार्य करने के लिए 'राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ बैगिंग' बिल पर विचार कर रही है। जयपुर में एक भिक्षुक गृह भी खोल दिया गया है। जिसमें प्रयोगात्मक रूप से भिक्षुओं को स्वेच्छा से भर्ती किया जाता है और काम दिलाया जाता है।

(२) सरकार द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना में और भिक्षुक गृह खोले जाने वाले हैं व उनको पुनः स्थापित करने के वास्ते प्रावधान रखा गया है।

(४) इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण न होने से निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार ने भिखारियों की सही स्थिति जानने के लिए कोई प्रांत व्यापी स्तर पर सर्वेक्षण कराया है या कराने का विचार कर रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि सरकार ने सर्वेक्षण नहीं कराया है। जयपुर शहर है उसके लिए जरूर सर्वेक्षण कराया है और जयपुर में भिखारियों के सर्वेक्षण की बुकलेट भी है। जितने जयपुर के भिखारी हैं उनका सर्वेक्षण स्टेट्स्यु सर्किल से किया गया है लेकिन सारे राजस्थान का ऐसा सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

डॉ० चन्द्रकला : तो बिना सर्वेक्षण के, भिखारियों की सही स्थिति जाने बिना, कानून बनाकर सरकार समस्या कैसे हल कर सकती है जब तक कि सरकार को सही स्थिति की जानकारी न हो ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : भिखारियों की समस्या आज मौजूद है। यह आप जानते हैं और सभी जानते हैं कि भिखारियों को सही रूप में किस प्रकार से काम में लगाया जाये, किस प्रकार से उनको भिक्षा-वृत्ति से हटाया जाये। यह जो स्थिति है यह देशव्यापी है। तो ऐसी सूरत में बैगिंग एक्ट दूसरी जगह बने हुए हैं और सरकार विचार कर रही है कि राजस्थान के अन्दर भी ऐसा एक्ट बनाया जाये। उस पर विचार करने के बाद फिर सही स्थिति मालूम हो सकेगी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : भिखारियों में लेबर्स कितने हैं और जयपुर का जो भिखारियों का सर्वेक्षण है उसमें लेप्रोसी से इफेक्टेड कितने हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राजस्थान का तो सर्वे नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट उनको बता दें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रिपोर्ट में सब है। लेप्रोसी के कितने हैं और हाथ कटे हुए और पैर कटे हुए कितने हैं, सब दिया हुआ है।

Page No.28

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिनका एक हाथ कटा हुआ है वह भी शामिल हैं क्या इसमें ?

श्री पी० के० चौधरी : I wanted specifically about the Leprosy effected people.

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह ।

श्री पूसाराम बिश्नोई, जैतपुरा द्वारा डेगाना में चीनी का विक्रय

२८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि डेगाना में १६-१-६० को ६ बोरी चीनी जैतपुरा पंचायत के सरपंच के फर्जी दस्तखत करके श्री पूसाराम बिश्नोई, जैतपुरा ने डेगाना के श्री काशीराम कुर्वा को ४८) रु० मन के हिसाब से बेची जिनका इन्द्राज श्री काशीराम की बहियों में मौजूद है ?

(ख) क्या यह सही है कि ८-२-६० की रात्रि को ११ बजे श्री काशीराम ६ कट्टे चीनी वज़नी अन्दाज १२ मन ग्राम किरोरा भेजता हुआ पकड़ा गया ?

(ग) क्या यह सही है कि तहसीलदार द्वारा जांच पर मालूम हुआ कि श्री काशीराम जो चीनी का रिटेल सेलर है. के पास इस समय रजिस्टर के अनुसार ८६॥) मन चीनी होनी चाहिए थी परन्तु उसके पास ३ बोरी चीनी व २ बोरी खुली जो करीब १० मन होती है मिली ?

(घ) क्या यह सही है कि स्थानीय तहसीलदार ने श्री काशीराम से मिल कर इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया तथा उसका रजिस्टर व पकड़ी गई चीनी छोड़ दी ?

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगी ?

नागरिक रसद मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी हां । ऐसी शिकायत आई थी । उसकी जांच जारी है ।

(ख) जी हां । लेकिन यह चीनी परमिट होल्डर्स को भेजना पाया गया और श्री काशीराम का किसी प्रकार का मुनाफाखोरी करना नहीं पाया गया ।

(ग) यह सही नहीं है ।

(घ) यह सही नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : जांच किसके द्वारा की जा रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कलेक्टर ने तहसीलदार द्वारा जाच कराई है और कलेक्टर की यह रिपोर्ट आई है कि उसने मुनाफाखोरी की नीयत से नहीं भेजा है लेकिन परमिट होल्डर्स को देने की नीयत से भेजा है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि तहसीलदार की ऐसी शिकायत थी और आपने तहसीलदार द्वारा जांच करवाई है तो सरकार इस पर किस प्रकार से इत्मिनान करती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह जो कुछ भी इसकी जांच करवा ने का सवाल था तो कलेक्टर ने जांच करवाकर सारे कार्य का विवरण भेजा है। कलेक्टर ने तहसीलदार से जांच करवाई है। यह मुझे नहीं मालूम है कि तहसीलदार के खिलाफ भी कोई शिकायत इसमें आई है। ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि इन तीन प्रश्नों: (ख), (ग) और (घ) के जो उत्तर दिये गये हैं वे जांच पूर्ण होने के बाद जांच के आधार पर दिये हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर है। कलेक्टर ने यह रिपोर्ट भेजी है कि यह जो कुछ भी भेजी है कट्टों के अन्दर शूगर, वह परमिट होल्डर्स को भेज रहा था न कि मुनाफाखोरी की नीयत से।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न (क) के उत्तर में आपने कहा है कि जांच करा रहे हैं। तो जांच पूर्ण हो चुकी है या और जांच के आधार पर कह रहे हैं या कलेक्टर ने जो सूचना भेजी है उसके आधार पर कह रहे हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तहसीलदार ने जांच की और जांच करने के बाद नतीजा निकाला। नतीजा निकालने के बाद जो इन्फॉर्मेशन भेजी है उसके आधार पर कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : जिस जांच के आधार पर प्रश्न (ख), (ग) व (घ) का उत्तर दिया है तो उस जांच के आधार पर प्रश्न (क) का क्या उत्तर आया है? जांच में यह उल्लेख आया है कि वहां पर फर्जी दस्तखत कराये थे?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपकी इन्फॉर्मेशन आई थी, शिकायत आई थी तो जांच कराई गई।

श्री भैरोंसिंह : उसका नतीजा क्या निकाला? आपने कहा कि जांच पूर्ण हो चुकी है। मैं पूछ रहा हूं कि जांच पूर्ण हो चुकी है तो फिर (क) का उत्तर यह क्यों दिया गया है कि जांच अभी तक हो रही है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन यह किया है कि आपका प्रश्न जब आया इस तरह से उसकी जांच के बारे में तो जांच कराई गई। तो तहसीलदार ने जांच करके कलेक्टर को रिपोर्ट दी। कलेक्टर ने यह रिपोर्ट भेजी है कि वे मुनाफाखोरी की वजह से नहीं भेजे गये थे बल्कि परमिट होल्डर्स को देने के लिए भेजे गये थे। उसमें भी क्या; ४, ५ कट्टे ही तो सारे थे।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या समझा जाय कि प्रश्न भेजने के कारण से सरकार ने जांच करवाई थी या स्थानीय जनता ने कलेक्टर को शिकायत की थी उस आधार पर जांच हुई है?

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

मकराना मार्बल्स पर रॉयल्टी की दर में वृद्धि

२६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डॉ० चन्द्रकला)

(क) क्या मकराना मार्बल्स पर रॉयल्टी की रेट्स बढ़ा दी गई हैं ? यदि हां, तो कब से और कितनी कितनी ?

(ख) मकराना संगमरमर के विभिन्न सामानों पर पहले की रॉयल्टी की दरें क्या थीं ? उन पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई ? यह वृद्धि किस आधार पर की गई ?

(ग) क्या यह सच है कि संगमरमर को चीरने के लिए काम में आने वाली बजरी पर नये सिरे से रॉयल्टी लगा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सच है कि जहां मकराना की खानें हैं वहां पर रेलवे का क्षेत्र ५० फीट से बढ़ा कर १५० फीट किया जा रहा है ? क्या इससे बहुत सारी खानों पर अत्यधिक असर नहीं पड़ता है ?

(ङ) क्या सरकार मकराना की संगमरमर की खानों पर से बापी राइट्स को खत्म कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(च) क्या एक प्रतिनिधि मण्डल द्वारा संगमरमर के खान व्यापारियों की यह मांग सरकार के समक्ष रखी जा चुकी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां, दिनांक २५-१-६० से बढ़ाई गई। जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है और बाद में रॉयल्टी की दरें कम की उसकी भी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रखी है जिसको देखने से ज्ञात होगा कि करीबन २५ प्रतिशत दरों में वृद्धि की गई, क्योंकि मार्बल के विक्रय मूल्य में वृद्धि होने से रॉयल्टी की दरें भी बढ़ाई गई ।

(ग) जी नहीं, बजरी पर रॉयल्टी एम. एम. सी. आर., १९५५ के अनुसार चार आने टन पहले से ही लागू थी ।

(घ) भारत सरकार के चीफ इन्सपेक्टर ऑफ माइन्स द्वारा माइन्स एक्ट यहां हाल ही में लागू किया है । उसके अनुसार रेल की पटरी से १५० फीट की दूरी में खान खोदना निषिद्ध है । जिन खानों पर इसका प्रभाव पड़ेगा उनकी संख्या पैमाइश द्वारा शीघ्र निर्धारित की जायेगी । कुल खानों की संख्या का १० प्रतिशत होने का अनुमान है ।

(ङ) जी हां, क्योंकि नियम १८ एम. एम. सी. आर., १९५६ के अन्तर्गत राज्य सरकार ही मिनरल के निकालने की स्वीकृति दे सकती है । किसी को इस विषय में अधिकार हो तो किसी कोर्ट द्वारा निर्णय देने पर ही वह उसे प्रयोग में ले सकता है ।

(च) मांगें स्वीकृत की तथा दरों में कमी की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

डॉ० चन्द्रकला : तो यह जो मार्बल की रॉयल्टी की दर पहले बढ़ाई गई और फिर घटाई गई तो पहले किस आधार पर बढ़ाई गई और फिर क्यों घटाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बढ़ने का आधार मैंने अर्ज किया कि मार्बल की सेल प्राइस बढ़ गई है इसलिए रॉयल्टी बढ़ी है। इसका सरकार को अधिकार है। मार्बल के व्यापारियों ने रिप्रेजेन्टेशन किया सरकार को और सरकार ने पुनर्विचार करके जिस तरह से कम कर सकती थी उसको कम किया।

डॉ० चन्द्रकला : भारत सरकार का माइन्स एक्ट जब लागू किया गया जिसके अनुसार रेल पटरी से १५० गज तक की जमीन को छोड़ना पड़ता है और पहले ५० गज का नियम था तो जब सरकार ने इस एक्ट को स्वीकार किया उसके पहले क्या यह देख लिया था कि इसका कितनी माइन्स पर असर पड़नेवाला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। इसको स्वीकार करने का सवाल नहीं है। प्रोविज़न १५० गज का नहीं, १५० फीट का है जो कि आपके कहने के अनुसार ५० गज ही आ जाता है।

डॉ० चन्द्रकला : भारत सरकार एक नियम बना देती है और वह लागू होता है। लेकिन अपने यहां प्रान्त की विशेष स्थिति होती है। संगमरमर और लोहे की खानों में अन्तर हो सकता है। यहां पर लाइन छोटी है। क्या यह सब देखते हुए सर्वे करा कर स्थिति की जानकारी भारत सरकार को नहीं करा सकती थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें एक्जेम्पशन नहीं हो सकता है। यह रेलवे का नियम है कि रेल पटरी से इतनी दूर पर माइन्स होनी चाहिए सिक्योरिटी के लिहाज़ से।

डॉ० चन्द्रकला : यह एक्ट कब से लागू हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तारीख अर्ज कर दी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

अजमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के लिये सब-डिविजन की स्थापना

३०. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Public Works be pleased to state :-

(1) Whether a Sub-Division at Abu has been created for P. W. D., B. & R. for Abu Road and Pindwara Tehsils as per the Cabinet decisions for Sirohi District ?

(2) If so, has the financial sanction for the aforesaid Sub-Division been accorded ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : Yes. The financial sanction for the aforesaid Sub-Division has also been accorded.

विजयसागर ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत पाठशाला, तालाब गांव (लालसोट) को ग्रान्ट-इन-एड

३१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि विजयसागर

Page No.32

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत पाठशाला, तलाब गांव (लालसोट) को मिलनेवाली ग्रान्ट-इन-एड की रकम सन् १६५४-५५ में ५१०) रु० व १६५५-५६ के ७००) रु० एरियर के अभी तक भी नहीं मिले हैं ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त एरियर की स्वीकृति के कागजात निरीक्षक, शिक्षणालय, जयपुर (पूर्व) ने चार वर्ष पूर्व डाइरेक्टर, एज्युकेशन, बीकानेर के पास भेज दिये थे परन्तु वहां उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में विलम्ब के कारणों की जांच करवाने का विचार रखती है ? उक्त सहायता की रकम कब तक स्वीकृत करवा कर दिला दी जायेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) मामला अवश्य पुराना है लेकिन यह बात सत्य नहीं है कि उस पर कार्यवाही नहीं की गई।

(३) सहायता की रकम वित्तीय वर्ष में दिला दी जायेगी ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : इस आश्रम से कितने मेम्बर फायदा उठा रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस आश्रम से आपका मतलब है ?

श्री दलपतसिंह : ब्रह्मचर्याश्रम से।

श्री अध्यक्ष : यह संस्कृत पाठशाला है, साहब ।

(हंसी)

श्री दलपतसिंह : पाठशाला के अन्दर ब्रह्मचर्याश्रम होने की तरह से कुछ न कुछ होना, लेकिन कुछ फायदा उठाते होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग से आप प्रश्न पूछें तो आपको पूरी जानकारी देंगे। यहां पर सहायता का सवाल है, फायदे का सवाल नहीं है।

श्री दलपतसिंह : सहायता देने के बाद उनके फिज़िक्स में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह देख कर सहायता दी जाती है। अगर पूरी जानकारी करना चाहते हैं तो अलग से सवाल पूछ लें। आश्रम और विद्यालय में फर्क समझ लें।

प्रश्न संख्या ३२

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

वैदिक कन्या पाठशाला, आबूरोड को दी गई अर्थ-सहायता एवं उसे हाई स्कूल बनाना

३४. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) :

Page No.33

(श्री मोहब्बतसिंह)

Will the Education Minister be pleased to state:-

What is the grant-in-aid given to the Vedic Kanya Pathshala, Abu Road per annum ?

Whether in pursuance of the demand for Abu Road people before the Cabinet Meeting held for Sirohi District steps have been taken by the Arya Samaj, Abu Road, for getting recognition for raising the Vedic Kanya Pathshala to a High School ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

1. Rs. 2,102/—was giveu in the last financial year 1959-60.

2. Yes Sir.

१२.६ म. प.

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

(१) राजस्थान विद्युत प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) अध्यादेश, १९६०

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार विद्युत प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) अध्यादेश, १९६० (अध्यादेश सं० ५, सन् १९६०) सदन की मेज पर रखता हूँ।

स्थगन प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी की गई है। सरकार से तथ्य आने पर निर्णय दिया जायगा।

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

(२) राजस्थान पशु रोग (संशोधन) अध्यादेश, १९६०

श्री नाथूराम मिर्धा (पशुपालन एवं कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पशु रोग (संशोधन) अध्यादेश, १९६० (अध्यादेश सं० ५, सन् १९६०) को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(३) अत्यावश्यक वस्तु (राजस्थान सशोधन) अध्यादेश, १९६०

श्री अध्यक्ष : एसेन्शियल कॉमोडिटीज़।

श्री नाथूराम मिर्धा (पशुपालन एवं कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यावश्यक वस्तु (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, १९६० (अध्यादेश सं० ६, सन् १९६०) को सदन की मेज पर रखता हूँ।

(४) राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन संशोधन अध्यादेश, १९६०

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ज़मींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन संशोधन अध्यादेश, १९६० (अध्यादेश सं० ७, सन् १९६०) सदन की मेज रखता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ऑन

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

ए प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं समझता हूं माननीय राजस्व मंत्री महोदय, श्री रामचन्द्र के स्थान पर जो कि आबकारी एवं कर मंत्री हैं, राजस्थान मनोरंजन कर अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एफ ७ (८) ई० टी० ६०, दिनांक १. ४. १९६० को सदन की मेज पर रख रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो लिस्ट है उसमें आप देखिये।

श्री अध्यक्ष : खाली अध्यादेश रखे जा रहे हैं।

(५) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, १९६०

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, १९६० को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान मनोरंजन कर अधिनियम, १९६० के अंतर्गत जारी की गई अधि-सूचना

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) . अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें एक आपत्ति है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): किस में ? इसी बिल में जो मूव किया है।

श्री भैरोंसिंह : आपका नहीं है। मनोरंजन कर के संबंध में ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। मूव करने से पहले मैं इसमें आपत्ति उठाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : अभी तो केवल लेकर रहे हैं, उसके बाद आपत्ति उठाइयेगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसे टेबल पर ले करने के संबंध में आपत्ति उठा रहा हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Under what Rules of the Rules of Procedure the Hon. Member is raising the objection to the Bill being laid on the Table of the House ? He cannot object.

श्री भैरोंसिंह : If the Hon'ble Member has some patience he will know.

श्री श्रीभानसिंह : The objection will come when it is taken into consideration. At the time of laying the Bill on the Table of the House no objection can be raised.

श्री अध्यक्ष : Let us hear the Hon Member.

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon. Member must rise on some Rule of our Procedure.

श्री अध्यक्ष : Let him explain.

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of Order, Sir, the Hon'ble Member should rise under some Rule of Procedure.

Page No.35

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान मनोरंजन कर....

श्री श्रीभानसिंह : मेरा यह निवेदन है कि....

(श्री भैरोंसिंह और श्री श्रीभानसिंह दोनों के एक साथ बोलने पर)

श्री श्रीभानसिंह : कोई आपत्ति उठाई जाती है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कौनसे नियम के अंतर्गत उठाई गई है, यह बताना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह उनको बताना पड़ेगा।

श्री श्रीभानसिंह : पॉइन्ट ऑफ आर्डर खड़ा करके आधा घंटे तक भाषण दे दिया।

श्री अध्यक्ष : अभी तो दो मिनिट भी नहीं हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह आपकी सच्चाई है! आधा घंटा और दो मिनिट में आपको अंतर समझना चाहिये।

मैं अर्ज कर रहा था कि ओरीजिनल एक्ट में मनोरंजन पर अतिरिक्त कर लगाये जाने का जो ऑर्डर गवर्नमेन्ट की तरफ से हुआ उसको सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन किस समय पेश किया जाता उस समय पर मेरी आपत्ति है, न कि कागज़ सदन की मेज पर रखने पर।

इसमें लिखा है कि मनोरंजन पर अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है। इसके लिये धारा ६ है उसमें लिखा हैं 'धारा ४ के अधीन भुगतान योग्य मनोरंजन के अलावा, एक अतिरिक्त मनोरंजन कर, ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति के जरिये तदर्थ नियत करे तथा ऐसी दर जो प्रति १०० सीट अथवा उसके भाग, जैसा कि उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, पर दो रुपये से अधिक नहीं हो, लगाया, वसूल किया और राज्य सरकार को अदा किया जायगा।'

इसके आगे जो प्रोविजो रखा है उसमें लिखा है: 'किन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक ऐसी विज्ञप्ति राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, तदनुवर्ती सत्र में रखी जायेगी और उक्त सदन के संकल्प के जरिये अपलंडित या रूपान्तरित की जा सकेगी और तद्रूपेण किया गया अपलंडन या रूपान्तरण सरकारी गजट में विज्ञप्ति के अधीन उसका प्रकाशन होने पर प्रभाव में आया हुआ समझा जायगा।'

इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय यह ऑर्डर सरकार की तरफ से जाया किया गया और लागू किया गया उसके इमीजियेटली बाद में जो सेशन था उसमें यह विज्ञप्ति प्लेस की जा सकती थी। यह ऑर्डर निकला है १.४.६० को और उस समय विधान सभा का सत्र चालू था। उस सत्र की कार्यवाही १८.४.६० को बंद हुई है। इमीजियेटली आफ्टर यदि सरकार उसे रखती तो उस समय जो सेशन चल रहा था उसमें रखती। इस आज्ञा के जारी करने और सत्र बंद होने के बीच में जो १८ दिन का गेप था उसके बीच में सदन की मेज पर इसे रखा जा सकता था। क्योंकि वह सत्र निकल गया, उसके बाद दूसरे सत्र में इसको रखने

Page No.36

(श्री भैरोंसिंह)

का कोई प्रावधान नहीं है । इसलिये मेरी आपत्ति है कि सदन की मेज पर इसे रखने की आज्ञा नहीं दी जाय ।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी व कर मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी....

श्री अध्यक्ष : पहले आप इनकी आपत्ति का उत्तर दीजिये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जब एडीशनल टैक्स लगाया गया उस समय सत्र चल रहा था लेकिन कितना कर लगाया जाय यह बाद में तय होना था और जब यह तय, हुआ उस समय विधान सभा का सत्र चल नहीं रहा था इसलिये अब उसे रखा जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : १. ४. ६० से इसे लागू कर दिया था उस समय विधान सभा का सत्र चल रहा था ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : लागू तो १. ४. ६० से किया गया, लेकिन तय बाद में किया गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : But the application can be with retrospective effect. This is what the Hon'ble Minister is oxplaining. The application was with retrospective effect but the actual decision was taken when the Assembly was not in Session.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : नोटिफिकेशन १. ४. ६० को जारी किया गया था । क्या यह माना जाय कि १. ४. ६० से वह प्रभावशील नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेबल पर रखने में आपत्ति नहीं हो सकती । लीगल इम्प्लीकेशन क्या हुआ, क्या नहीं; यह दूसरी बात है । It is a different matter. आपका यह कहना है कि सेशन चल रहा था, उसमें रखना था लेकिन इसमें यह है कि "immediately in next Session". What will be the legal consequences that will be decided by the Court of law but so far as the laying on the table of the House is concerned neither any permission is necessary nor any objection can be taken to it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके कहने का तात्पर्य यह है...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : One point. When the House is in Session, no Ordinance can be passed.

श्री दामोदरलाल व्यास : This is not an Ordinance. It is only a Notification.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसा कि कानून का हवाला आप दे रहे हैं, सवाल यह खड़ा होता है कि माननीय सदस्य ने आपत्ति कानून के आधार पर की है । कानून का हवाला देकर इन्डल्जेन्स और लीनियेन्सी ऑफ स्पीकर सीक करना चाहते हैं, यह समझ कर कि हमसे जो लापरवाही हो गई जिसके....

श्री पी० के० चौधरी : On a point of Order, Sir, I object to the use of the words "indulgence from the Speaker".

श्री अध्यक्ष : What did he say? Will you please repeat it?

श्री पी० के० चौधरी : He said that they want to take advantage of the indulgence or leniency of the Hon'ble Speaker. This word has been repeated twice and I don't think the Hon'ble Member should use such words.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्री जी जिस तरह की बात कर रहे थे उस पर मैंने कहा है। आप उसको ट्विस्ट करके दूसरी तरह से मत रखिये।

श्री पी० के० चौधरी : I exactly repeated the words which he said.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I have full respect for the Chair and more than what you have got.

श्री श्रीभानसिंह : I object to this, Sir. The Hon'ble Member cannot say that he has more respect than the other Hon'ble Member. He cannot make any aspersions.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You can say that you have double the respect for the Hon'ble Speaker than me.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon. Member said that he had more respect for the Chair than the other Hon. Member, which means that the other Hon. Member had no respect.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने यह नहीं कहा कि आप रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप जितनी रेस्पेक्ट करते हैं उससे मैं डबल करता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : I think, Sir, it was implied in what he said. I think the Hon'ble Member should be more discreet in the use of his language.

श्री अध्यक्ष : Yes, I think the Hon'ble Member should not use such language.

(To Shri Ram Chandra Choudhri)

You please reply to the position and give reasons for the delays and any other arguments that you may want to adduce as regards the objection raised by the Hon'ble Member.

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो एडीशनल एन्टरटेनमेंट कर लगाने का कानून पास हुआ उस समय यह तय हुआ कि २ रु० तक फिर से लगाया जा सकता है, इस तरह के अख्त्यार दिये गये। बाद में सभी सिनेमावालों से तय करके गवर्नमेन्ट ने मुनासिब समझा, उस तरह की आज्ञा जारी कर दी। कितना लगाया जाय, यह बाद में तय हुआ था; इसलिये इसे आज रखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने आपत्ति यह उठाई है कि नेक्स्ट सैशन में ही सदन में आना चाहिये था लेकिन नहीं आया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसके बाद तो यही पहला सैशन है और आज पहला दिन है।

श्री भैरोंसिंह : ८–४–६० को विज्ञप्ति निकली है उस समय सत्र चल रहा था। उस समय सदन के सामने इसे प्रस्तुत करना चाहिये था। जिस दिन आज्ञा जारी की उस समय सैशन चल रहा था तो नेक्स्ट सैशन में प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं ! उसी में करना चाहिये था।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिये 'करेन्ट सैशन' है। 'Next session' means the Session following.

श्री अध्यक्ष : इसमें लिखा है : "Provided that every such notification shall be laid before the House of the State Legislature at the session thereof next following"

श्री भैरोंसिंह : 'नेक्स्ट' से मतलब यह नहीं है। यदि चालू सैशन में आज्ञा जारी की गई है तो उसी में रखा जाना चाहिये। नेक्स्ट का मतलब दूसरे सैशन से नहीं किया जायगा और अगर इन्तजार किया जाता है तो मेम्बर्स के प्रिविलेज का सवाल आता है और प्रिविलेज का सवाल इस तरह का है कि सदन के सदस्यों को अधिकार दिया है कि इस प्रकार की विज्ञप्ति सदन की मेज पर रखने के बाद उस विज्ञप्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार होगा और वह अधिकार इस हालत में है कि वह लागू नहीं किया जाय, या लागू करने के बाद सदस्य संशोधन के लिए प्रार्थना करें। यदि यह उस सेशन में रखी जाती, ऐसी मन्शा होती तो उसको काफी पीरियड पहले रखवा देते। कोई ऐसी विज्ञप्ति निकली और चालू सैशन में निकली तो उस समय सदन की मेज पर रखनी चाहिए थी, यदि वेक्यूम में निकली तो नेक्स्ट सैशन के फर्स्टडे पर पुट अप करनी चाहिए ! मैं समझता हूं, यह बिल्कुल क्लियर है और ऐसी स्थिति में यदि सदन की मेज पर विज्ञप्ति को रखने की इजाजत नहीं दी जाय तो अच्छा होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में प्रोविजन रूल का क्लीअर है, 'नेक्स्ट फोलोइंग सैशन' में रख देना चाहिए। माननीय सदस्य किस आधार पर कहते हैं कि करेन्ट सैशन में रखना चाहिए, कोई प्रोविजन इसमें ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सैशन में रखा जायगा, माननीय सदस्य यह अंग्रेजी भाषा है, इस पर विचार कर लें

(विराम)

तो रूल बिल्कुल क्लीअर है और इसका इन्टरप्रिटेशन दूसरा नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : मैं उस भाषा में नहीं जाना चाहता हूं, जिसके आप माहिर नहीं हैं। मुझे राष्ट्र भाषा का गौरव है। इसका मतलब निकलता है, उसके आधार पर मैं बोलता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राष्ट्र भाषा में भी यही मतलब है।

श्री भैरोंसिंह : यह मतलब नहीं है, अंग्रेजी भाषा में भी यह मतलब नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड के एक्सपर्ट बन कर आये हैं....

Page No.39

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका दूसरा इन्टरप्रिटेशन है नहीं।

श्री बरकतुल्लाखां (उप मन्त्री) : Mr. Speaker, Sir, I would humbly submit that the question before the Chair is whether the words "next session following" means the Current Session or the Session which will follow after the existing Session. Now it is for the Chair to give a ruling. If the Chair accepts ...

(नो रूलिंग, नो रूलिंग की आवाज़)

श्री अध्यक्ष : I merely suggested a line of argument.

श्री बरकतुल्लाखां : In this case the Government has exactly followed the letter of law and procedure. The law says that it should be placed before the House in the next following session. That is exactly what the Government has done. As such no Objection can be raised

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय को यह विज्ञप्ति सदन की मेज पर रखने की अनुमति प्रदान...

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें रूलिंग होनी चाहिए। इसमें अनुमति का सवाल नहीं है, इसमें रूलिंग होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : रूलिंग दूंगा, तभी तो रख सकेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : सब्र रखिये, अध्यक्ष महोदय को कहने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी का ख्याल रहे थोड़ा सा।

श्री दामोदरलाल व्यास : चेम्बर का भी रहे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय एक विज्ञप्ति सदन की मेज पर रख रहे थे। उस समय माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई कि वे इस समय यह विज्ञप्ति सदन की मेज पर इसलिए नहीं रख सकते कि जिस समय विज्ञप्ति जारी की गई थी, उस समय विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था। लेकिन यदि शब्द देखे जायं, जो कि इस एक्ट में हैं, उसमें जो शब्द लिखे गये हैं, वे हैं, 'सैशन नेक्स्ट फोलोइंग'। हालांकि सही मायने और अगर स्प्रिट पर जाया जाय तो माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह उचित हो सकता है कि जितना जल्दी हो, पहली ऑपोर्चुनिटी जो हो सरकार की, सदन के सामने ऐसे नोटीफिकेशन रखने की, उसको अवेल करना चाहिए, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि उन्होंने उस समय सदन की मेज पर नहीं रखी और अब जब नेक्स्ट सैशन है, उसमें रखने की आज्ञा चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से, जहां तक स्प्रिट के उल्लंघन का सवाल है उसके बारे में रूलिंग देना उचित नहीं होगा, लेकिन अब जब पेश करने का प्रश्न है, मेरे ख्याल से ऐसी कोई आपति नहीं होगी कि उनको इसकी इजाजत नहीं दी जाय। जहां तक श्री भैरोंसिंह(१४) का प्रश्न है कि यदि उस समय पेश करते, तो उनको अमेंडमेंट लाने का, हटाने का राइट होता। वह राइट अब भी मौजूद है। अगर वे चाहें तो इस नोटीफिकेशन पर अमेंडमेंट इत्यादि ला सकते हैं, जो उस समय लाना चाहते थे। इसलिए

Page No.40

(श्री अध्यक्ष)

मन्त्री महोदय को स्वीकृति दी जाती है कि वे नोटीफिकेशन सदन की मेज पर रख दें।

(विराम)

श्री रामचन्द्र (आबकारी तथा कर मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी व कर विभाग द्वारा राजस्थान मनोरंजन कर अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत जारी को गई विज्ञप्ति संख्या एफ ७।८। ई० टी। ६० दिनांक १ अप्रैल, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of information, Sir. The wording here says that they will place this Ordinance on the Table of the House. Nowhere it is mentioned that the permission of the House will be sought first and then it will be laid. The procedure that is followed upto now is that whenever an Ordinance is passed it is laid on the table of the House. No permission is sought.

श्री अध्यक्ष: Permission in the sense that one Hon'ble Member objected to a certain procedure being followed, on which the ruling is that the Hon'ble Minister is permitted to place it.

(८) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अधीन नियम

श्री रिखबचन्द धारीवाल (आबकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम सदन की मेज पर रखता हूँ, जो इस प्रकार हैं:

"Rajasthan Panchayat Samitis (Terms and conditions of Deputation of Vikas Adhikaris, Extension officers and other officers) Rules, 1959."

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम १७९ (२) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाये गये निम्नांकित नियमों को, जो (दिनांक ७-४-६० को) सदन की मेज पर रखे गये थे, पुन: सदन की मेज पर रखता हूँ।

"1. The Rajasthan Panchayat Samitis (Loans) Rules, 1960.

2. The Rajasthan Panchayat Samitis Taxation Rules, 1960.

3. The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Administration Report Rules, 1959."

(९) विनियोग लेखा १९५८-५९ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६०

अध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग लेखा, १९५८-५९ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूं।

(१०) नेशनल प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, १९५८-५९ का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल प्रोजेक्ट

Page No.41

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कॉन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, १९५८-५९, का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

(११) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा): महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखता हूँ :

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. The Rajasthan Land Acquisition (Amendment) Bill, 1959.

2. The Rajasthan Warehouses (Amendment) Bill, 1958.

3. The Rajasthan Weights and Measures (Enforcement) Amendment Bill, 1959.

4. The Rajasthan Seeds and Seedlings Bill, 1959.

5. The Rajasthan Gaushala Bill, 1958.

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. The Rajasthan Appropriation (No. 1) Bill, 1960.

2. The Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Bill, 1960.

3. The Rajasthan Jagir Decisios and Proceedings (Validation) Amendment Bill, 1960.

4. The Rajasthan Entertainments Tax (Amendment) Bill, 1960

5. The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1959.

6. The Rajasthan Appropriation (No. 2) Bill, 1960.

7. The Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation (Amendment) Bill, 1960.

8. The Rajasthan Non-Trading Companies Bill, 1959.

9. The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Amendment Bill, 1960.

10. The Rajasthan Armed Constabulary (Amendment) Bill, 1958.

11. The Rajasthan Agricultural Income Tax (Amendment) Bill, 1960.

12. The Rajasthan Land Revenue (Surcharge) Bill, 1960.

13. The Rajasthan Sales Tax (Amendment) Bill, 1960.

14. The Rajasthan Irrigation and Drainage (Amendment) Bill, 1960.

15. The Rajasthan Tenancy (Amendment) Bill, 1959.

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित वापिस लिये गये विधेयक

राजस्थान पुलिस विधेयक, १९५७

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पुलिस विधेयक, १९५७ को वापिस लेने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस विधेयक को वापिस लेने के लिये जो प्रस्ताव गृह मंत्री महोदय ने रखा है........

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में थोड़ा सा बता दें तो उचित होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान नोर्थ जॉन का मेम्बर है जिसमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भी शामिल हैं। इस सम्बन्ध में बहुत से निर्णय ले लिये गये हैं जो सब के लिये उपयोगी होंगे। उनमें से एक यह भी है कि जॉन के जो सदस्य हैं, उसमें जो पुलिस फोर्स है, कोमन रिज़र्व पुलिस फोर्स हो और इसके लिये सभी जोन के मेम्बरों ने अपनी सहमति प्रकट की है और कोमन पुलिस फोर्स को सरकार ने एग्री किया है और राजस्थान में काम भी शुरू हो गया है और कोमन पुलिस फोर्स बना है उसकी ट्रेनिंग के लिये २,००० आदमियों का कैम्प भी स्टार्ट हो गया है। इसमें निर्णय है कि जहां तक पुलिस का मामला है, शिक्षण और नियम व उपनियम कोमन हों। यह जो बिल है वह बंबई के आधार पर है। इसमें और नोर्थ जोन में बहुत भिन्नता है इसलिये इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसे वापिस लिया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने भी कोमन रिज़र्व पुलिस फोर्स के लिये एग्री किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अमल भी हो गया है, और फैसला भी किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल ८९ की तहत विधेयक को वापिस लेने से सम्बन्ध रखता है "The member-in-charge of a Bill may at any stage of the Bill move for leave to withdraw the Bill on the ground that :—

(a) the legislative proposal contained in the Bill is to be dropped, or

(b) the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which substantially alters the provisions contained therein, or

(c) the Bill is to be replaced subsequently by another Bill which includes or any of its provisions...." माननीय गृह मंत्रीजी ने जो कुछ भी क्षेत्रीय बैठक के बारे में विचार हुआ उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस आधार पर पुलिस विधेयक को वापिस ले रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं उनके विचारों से संतुष्ट नहीं हूं। मैं इस बिल को वापिस लेने के लिये रखा है इसका विरोध करता हूं और विशेष कर मैं यह बात नहीं समझ सका कि पुलिस विधेयक में जहां तक पुलिस कर्मचा-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रियों और सिपाहियों और उच्च अधिकारियों के व्यवहार के सम्बन्ध में है और उनके कन्डक्ट को रेगुलेट करने के सम्बन्ध में वह क्षेत्रीय बैठक में निर्णय लिये जाने के बाद भी कौनसी बाधा पैदा करता है जिसकी वजह से वे इसको वापिस लेना चाहते हैं। यह बात ठीक है, जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि पुलिस विधेयक में कुछ धाराएं इस प्रकार की हैं जो नहीं रखी जाएं और जिनके लिये विरोध किया और यह समझें कि यदि वह पुलिस विधेयक फिर से आएगा तो इसका विरोध होगा, लेकिन कुछ ही धाराओं का विरोध करने के कारण या उन पर मतभेद होने के कारण यह तो नहीं कहा जा सकता कि सारा का सारा विधेयक ड्रोप कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान में इस प्रकार के कानून की अत्यन्त आवश्यकता है, जिस कानून के अन्तर्गत पुलिस के कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों के व्यवहार को रेगुलेट किया जा सके।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह डिबेट किस नियम के अनुसार हो रही है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह दफा ६० के तहत में हो रही है। इसके अनुसार कोई भी सदस्य इसका विरोध कर सकता है और इसके अन्तर्गत मैं निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के व्यवहार के सम्बन्ध में मेरी जानकारी है। गृह मंत्री, अगर गलत हो तो, मुझे ठीक कर दें। वे कहेंगे कि इसके लिये पुलिस के रेगुलेशन्स लागू हैं। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि पुलिस के रेगुलेशन्स हैं उनका कोई लीगल फोर्स नहीं है और कोई वजन नहीं रखते हैं। उसके अन्तर्गत कोई भी रिज़ोल्युशन प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, इस प्रकार की मेरी मान्यता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान में आज राजस्थान की जनता बहुत सारी बातों के लिये तरसती है। यहां सबसे अधिक दुखी राजस्थान में जन–जीवन और नागरिक जीवन है और सबसे अधिक दुःख लोगों को होता है तो मैं समझता हूं कि पुलिस के महकमें और पुलिस के कर्मचारियों के निर्दयतापूर्वक लोगों की पिटाई से होता है। अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्य निम्बाहेड़ा और बयाना की घटनाओं से परिचित हैं। अभी हम उन घटनाओं को भूले नहीं हैं। इसके सम्बन्ध में जांच कराई और जो जांच के द्वारा परिणाम सामने आये कि यह कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के कारण हुआ। ऐसी निम्बाहेडा और बयाना की घटनाओं के अलावा अनेको घटनाएं आये दिन हो रही है जिससे किसी प्रकार, मैं समझता हूं कि पुलिस के कर्मचारियों का व्यवहार ही जिम्मेदार है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): Mr. Speaker, Sir, the Rule 90 says :- "If a motion for leave to withdraw a Bill is opposed the Speaker may, if he thinks fit, permit the member who moves and the member who opposes the motion to make brief explanatory statements and may thereafter, with-

(श्री सोहनलाल भटनागर)

out further debate, put the question."

So the Hon'ble Member can make only a brief statement.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is the briefest possible.

श्री अध्यक्ष : इन्होंने भाषण समाप्त कर दिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें संक्षेप में नहीं बोला जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को जल्दी लग रही है । मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन एक दृष्टान्त उदाहरण के रूप में सदन के सामने रखना चाहूँगा और माननीय गृह मंत्री और सदन के माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की गंभीर स्थितियों में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की व्यवहारिता के लिये कानून बनाया जाना कितना आवश्यक है और वह बनाया जावे ।

६ अगस्त, १६६० की घटना है । सरदारशहर में किसी व्यक्ति को पकड़ा गया और जब उसको थाने में लाया गया वहां तो उसको किस ढंग से मारा गया । उसके शरीर पर बीसियों चोटें मौजूद........

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने खुद ने मोशन टेबल किया है और इस पर बोल रहे हैं । When it is under consideration of the Chair, then that matter is again raised through another debate while the Bill is being withdrawn. This will set un-healthy conventions in the House.

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे एग्ज़ॉम्पल्स दें जिनके बारे में जांच हो चुकी हो या रिपोर्ट आ चुकी हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह समझता हूं कि यह मामला कोई सबजुडिस नहीं है जिसके बारे में नहीं बोला जाए ।

श्री श्रीभानसिंह : इन्होंने खुद ने मोशन रखा है ।

श्री अध्यक्ष : अगर यह विथड्रॉ नहीं होगा तो आप बतावें कि वे बातें किस तरह पूरी हो जावेंगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो दृष्टान्त देकर बता रहा हूं और यह निवेदन करूंगा कि वे जांच कर लें । सदन के सभी सदस्यों को मालूम होगा कि निम्बाहेड़ा की घटना में जांच हुई और यह बात पाई गई कि किस प्रकार से थाने में हिरासत में नागरिक को पीटा गया और किस प्रकार उसके शव को राजस्थान के बाहर ले जाकर डाला गया । इससे ज्यादा कर्मचारियों का क्या जुल्म हो सकता है ? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं निम्बाहेड़ा और बयाना में हुईं ऐसी घटनाएं कई अन्य स्थानों में आए दिन होती हैं । भवानी मंडी या अन्य कई स्थानों पर आए महीने ये होती रहती है । जहां नागरिकों को निर्दयतापूर्वक पीटा जाता है, पुलिस के कर्मचारी उनको जूतों से पीटते हैं और जब उनकी मृत्यु होती है तो उन लोगों को मोटर में ले जाकर कुंए में फेंक दिया जाता है । इसीलिये इन सारे अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार के नियमन की दृष्टि से इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है

Page No.45

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि राजस्थान में पुलिस का कानून बनाया जाय। क्योंकि कानून के अभाव में कर्मचारियों के खिलाफ इन्क्वायरी नहीं की जाती है। तो यहां हाउस में भी डिमान्ड लानी पड़ती है और बार बार डिमान्ड लाकर हाउस का समय नहीं लिया जा सकता क्योंकि राजस्थान में आये दिन इस प्रकार की जनता के साथ पुलिस की घटनायें घटती रहती हैं। जब तक इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में कोई जुडिशियल कार्यवाही के लिए इन्क्वायरी नहीं बैठायें तब तक उनके खिलाफ किन कानूनों और नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी, इस प्रकार की कई बातें हो सकती हैं। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे स्वयं ही इस प्रस्ताव को वापिस ले लें और फिर सदन स्वीकृत करे।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अग्रवाल साहब जैसे काबिल मेम्बर से....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : 'अग्रे-वाल साहब' नाम का कोई सदन में माननीय सदस्य नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : वे नाम समझ रहे हैं, इसमें आपकी रहनुमाई की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रहनुमाई की तो आपको आवश्यकता है। सदन में यह कन्वेंशन रहा है कि सदन के माननीय सदस्य का नाम लेकर नहीं सम्बोधन किया जाय। इसलिए रहनुमाई की तो आपको आवश्यकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : 'अग्रवाल' किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): But under the Rules, no Member should be addressed by caste, clan or community. You should address him by his constituency.

श्री रामकिशोर व्यास : कॉम्युनिटी का नाम होता है।

श्री भैरोंसिंह : जी हां। उसमें सदन में सम्बोधित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह करना न करना मेरे अधिकार की बात है।

श्री भैरोंसिंह : यह सदन के कन्वेन्शन के प्रतिकूल है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आप जैसे काबिल आदमी से उम्मीद कर रहा था कि आप वे दलीलें इसके बारे में बतायेंगे जिससे कि विभक्त्ां किया जाय लेकिन नाउम्मेदी हुई। अक्सर आपकी जो यहां सदन में तकरीरें रहती हैं वैसी ही यह तकरीर भी रही। आपकी तकरीर से मैं इतना समझ पाया कि ऐसा कायदा कानून हो जिससे कि पुलिस के कर्मचारियों पर नियन्त्रण रहे। मैं आपकी राय से इत्तिफाक करता हूं। राजस्थान में पुलिस रेगुलेशन्स हैं जिससे ब्रोड बातों का नियन्त्रण होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : कब बनाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान बना तब से। दूसरो गवर्नमेंट के....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Just, on a point of information, Sir, पुलिस रेगुलेशन्स कब बने थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान बना उस वक्त चल रहे थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस वक्त से ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतना घबराते क्यों हैं, मैं बता रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून की बात थी। हाईकोर्ट के जस्टिस बापना और राणावत का जजमेन्ट है। १६५६ आर. एन. डब्ल्यू, पेज ३०० "Police Regulations are issued only as guidance, and they have no force of law". मेरा निवेदन है कि "They have been framed for the guidance of the police officers and are not of binding nature and have no legal force." This is a decision of the Division Bench of the High Court which is reported.

श्री रामकिशोर व्यास : आपका ख्याल वही सामने आ जाता है जो कि आपको फरमाना था। पुलिस की गाइडेन्स के लिए है, स्टेचुटरी बॉडी के अन्तर्गत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरी आप पूरी बात को सुन लेते तो आपको फिर से यह तकलीफ नहीं करनी पड़ती। राजस्थान पुलिस मैन्युअल बहुत कुछ तैयार हो चुकी है और उसको पंजाब के कानून के आधार पर करीब करीब तैयार किया गया है। वह करीब करीब तैयार हो गई है और थोड़े अर्से बाद आ जायेगी, तब वह मुकम्मिल हो जायेगी। जहां तक कानून का ताल्लुक है डिटेल्स में जाना होता है लेकिन इसमें मुझे ब्रोड बात यही कहनी थी कि सब का कोमन प्रशिक्षण हो, सब स्टेट्स के एक जगह हों जैसा कि हुआ है, जिससे कि एक समानता पर आ सकते हैं, राजस्थान में, पंजाब में और कश्मीर में हुआ है, यदि रूल्स वगैरह कोमन न हों तो वह मुनासिब नहीं है, इसीलिए यह लाया गया था और जरूरत होगी तो लाया जायगा। इसलिए इसको विथड्रॉ कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस बिल, १६५७ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : (गृह मंत्री) मैं बिल को वापिस लेता हूं।

राजस्थान सरकार विद्युत प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १६५६

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं "The Rajasthan Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill, 1959" वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "The Rajasthan Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill, 1959" को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He should make a brief statement, Sir, particularly when the Ordinance is already there.

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, १९५९ में एक बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ था। अभी एक ऑर्डिनेन्स इन्ट्रोड्यूस हुआ। '५९ के बिल में जो क्लाज़ेज हैं वे इसमें हैं इसलिए इसको वापिस लेने की आज्ञा चाही गई है जिससे कि यह बिल के रूप में आयेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि " The Rajasthan Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Bill, 1959," को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(१) राजस्थान पेन्शन संशोधन विधेयक, १९६०

श्री रिखबचन्द धारीवाल(उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं "Rajasthan Pensions (Amendment) Bill, 1960." को पुरः स्थापित करता हूं।

(२) राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६०

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं " The Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill, 1960," को पुरःस्थापित करता हूं।

(३) अत्यावश्यक वस्तु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६०

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं " The Rajasthan Animal Diseases (Amendment) Bill, 1960," को पुरः स्थापित करता हूँ।

मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन को मेज पर रखता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : एक और है आपका।

राजस्थान पशु-रोग (संशोधन) विधेयक, १९६०

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं " The Essential Commodities (Rajasthan Amendment) Bill, 1960, " को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी एवं

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

अतिरिक्त कर मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं " The Rajasthan Sales Tax ('Second Amendment) Bill, 1960 " को पुरः स्थापित करता हूं ।

आवश्यक वस्तु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६० पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का संकल्प तथा विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष : अब विधाई कार्य जब शुरू किया जावेगा तो उसमें एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल, १९६० पर विचार करने के बारे में प्रस्ताव आयेगा । इसी सम्बन्ध में माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक संकल्प भेजा है कि जो अध्यादेश जारी किया गया है उसे इस सदन द्वारा अस्वीकार किया जाय । अब इस सम्बन्ध में बहस की व्यवस्था इस तरह से होगी कि माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है इसके सम्बन्ध में जो कुछ बोलना चाहेंगे बोलेंगे और उसके बाद मंत्री महोदय इस बिल को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव करेंगे । उसके साथ ही वे इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के प्रस्ताव के बारे में उत्तर भी देंगे और अपना प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे और इस तरह से दोनों प्रस्तावों पर एक साथ ही बहस की जायगी । उसके बाद पहले निर्णय प्रस्ताव के बारे में किया जायेगा और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Under what Rule this Resolution comes ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Under Article 213 of the Constitution.

(श्री पी० के० चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble Member is explaining.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान का अनुच्छेद २१३ है ; वह आर्टिकल मैं इसलिये बता रहा हूं कि यह प्रस्ताव मैंने जो प्रस्तुत किया है वह इस आर्टिकल के अन्तर्गत किया है । संविधान के आर्टिकल २१३ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि ऐसी परिस्थितियों हों और जब विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो वे इस प्रकार का अध्यादेश जारी कर सकते हैं और जो संकल्प मैंने रखा है....

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे उसके बाद ही ऑब्जेक्शन होगा । पहले उनका प्रस्ताव मूव होगा, तभी ऑब्जेक्शन हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो यह आपत्ति की है यह किन रूल्स के अन्तर्गत संकल्प रखा जा रहा है, उसके बारे में माननीय सदस्य बोल रहे हैं और यह बता रहे हैं कि वे किस आर्टिकल के अन्तर्गत यह प्रस्ताव रख रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संविधान के अन्तर्गत यह प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, यही मैं बता रहा हूं ।

Page No.49

श्री श्रीमानसिंह : जब तक प्रस्ताव मूव न हो जाये ओब्जेक्शन नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : मूव करने पर जो आपत्ति माननीय सदस्य ने की है उसी का जवाब तो वे दे रहे हैं। वे यह बता रहे हैं कि वे किन आधारों और किस आर्टिकल के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : I want to know under what Rules he is making this Resolution ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जारी) : अध्यक्ष महोदय, संविधान के आर्टिकल २१३ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को यह अधिकार है कि जिन दिनों विधान सभा का सत्र नहीं हो, यदि उस अवधि मे कोई परिस्थिति ऐसी आ जाय तो वे उसको रोकने लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जिसमें यह लिखा है उसी के अन्तर्गत मैंने भी यह संकल्प रखा है। उसके अन्दर यह लिखा गया है कि अगर विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाय तो वह विधेयक तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि इस प्रकार के अध्यादेश को अस्वीकृत करने के प्रस्ताव को डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर दिया जाता। आर्टिकल २१३ में यह लिखा है :

"(2) An Ordinance promulgated under this Article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance—

(a) shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly......" तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार का संकल्प जो मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसको डिस्पोज़ ऑफ न कर दें तब तक ऑर्डिनेन्स और बिल के बारे में विचार नहीं हो सकता। अतः इस आर्टिकल के अन्तर्गत इस प्रकार का संकल्प आ सकता है और इसी के आधार पर मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है।

श्री पी० के० चौधरी : Under which Rule of our Rules of Procedure it is introduced here ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is under Article 213 of the Constitution which contemplates a resolution of this nature when an Ordinance or a Bill purporting to be in place of that Ordinance is to be discussed in the House.

श्री अध्यक्ष : Hon'ble Member can move that this House disapproves of the Ordinance issued.

श्री पी० के० चौधरी : But the Ordinance lapses automatically after six weeks according to the Article read by him just now. In the meantime we are going on with the Bill relating to that. So if the House rejects the Bill, then there is no sense in rejecting that Ordinance.

श्री अध्यक्ष : That is why we are taking them together.

श्री पो० वे० चौधरी : But that is superfluous. The rejection of the Ordinance is superfluous.

श्री अध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से) आप अपना संकल्प प्रस्तुत कीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प इस प्रकार से है :

"यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किये गये आवश्यक वस्तु (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, १६६० को अस्वीकृत करता है।"

यह संकल्प जो मैंने रखा है उस संकल्प को रखने में एक ही भाव विशेष रूप से रहा है। यह अध्यादेश जो जारी किया गया वह ४ जुलाई, १६६० के गजट में प्रकाशित हुआ है। उसी के स्थान पर यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे यह अध्यादेश रिपील किया जायगा। इसमें यह लिखा है कि यह अध्यादेश किन किन कारणों से जारी किया गया। सबसे बड़ा कारण यह बताया गया है कि जो एसेन्शियल कोमोडिटीज़ एक्ट, १६५५ सेन्टर का है उसके अन्तर्गत इस प्रकार का प्रावधान नहीं कि जिससे तस्कर व्यापार करनेवाले लोगों का माल जब्त करने के साथ साथ जिन साधनों से वे माल ले जाते हैं; जैसे ट्रक्स, जीप्स, खच्चर-घोड़ा, बैलगाड़ी आदि इनको भी जब्त किया जा सके। इस विधेयक का मतलब यह है कि इस प्रकार के जितने भी साधन हैं जिनमें माल ले जाया जाता है उस माल के साथ इनको भी जब्त कर लिया जावे। इस प्रकार से लोगों में तस्कर व्यापार के बारे में भय उत्पन्न करने की दृष्टि से इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ा तर्क यह दिया गया है वह है संविधान के अनुच्छेद २१३ उसके अन्तर्गत इस प्रकार का अध्यादेश जारी करने की आवश्कता महसूस क्यों हुई और किन परिस्थितियों में इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया जा सकता है, यह संविधान की धारा २१३ में बताया गया है। राज्यपाल महोदय को संतुष्टिकरण हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां हैं, तो वे इस प्रकार का अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जो तर्क और कारण इस विधेयक या अध्यादेश को जारी करने के दिए गये हैं उनमें यह लिखा है कि चूंकि गेहूं बाजार में काफी आ रहा था और तस्कर व्यापार होने की संभावना अधिक हो गई थी और तस्कर व्यापार के जरिये राजस्थान में पैदा होने वाला गेहूं बाहर न चला जाय इसलिए इस प्रकार के अध्यादेश की आत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए यह अध्यादेश जारी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि विधान सभा का सत्र चालू न होने की स्थिति में इस संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत संतुष्टिकरण के पश्चात् वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके लिए जो कारण दिये गये हैं कि गेहूँ बाजार में आने लग गये थे और तस्कर लोग सक्रिय हो गये थे इसलिए यह अध्यादेश जारी किया गया। अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी इस बारे में ज्यादा जानते होंगे कि अप्रेल के महीने में बाजार में गेहूं आने लगता है; अप्रेल, मई, और जून के महीने तक गेहूँ बाजार में आता है। इन दिनों में तो राजस्थान सरकार किसी प्रकार का अध्यादेश जारी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं करती और जब वह अवधि निकल जाती हैं तो इस प्रकार का अध्यादेश जारी करती है। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे कृषि मंत्री इस बारे में बहुत जागरुक रहते तो उनको चाहिये था कि गत बजट सत्र में ही वे इस प्रकार का कानून पेश कर देते। ऐसा लगता है कि जब विधान सभा का सत्र चलता है उन दिनों में तो ख्याल में आता नहीं, दो महीने के बाद की बात याद रहती नहीं। जिस समय गेहूं बाजार में आने वाला है और जिन दिनों में तस्कर व्यापार की संभावना रहती है उस समय तो यह अध्यादेश जारी नहीं किया और न बजट अधिवेशन में ही इस प्रकार का कानून पेश किया गया और न इस बारे में उनको प्रेरणा ही हुई। यदि वे उचित समझते तो अप्रेल के बाद मई के महिने में इस प्रकार का अध्यादेश जारी करते, जून के महिने में करते लेकिन उन दिनों में न करके ४ जुलाई, १९६० को जब कि खरीफ की फसल बोई जा रही थी उस समय यह ध्यान आया जब कि आवागमन के साधन सब ठप्प हो जाते हैं, बरसात हो जाती है; जिन दिनों तस्कर व्यापार ज्यादा जोरों पर नहीं होता उन दिनों में यह अध्यादेश जारी किया गया। जिन दिनों परिस्थिति विकट थी जब कि इस प्रकार के अध्यादेश की आवश्यकता थी उस समय न करके ४ जुलाई, १९६० को यह अध्यादेश जारी किया गया। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय यह ऑर्डिनेन्स लागू किया गया उस समय कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी और राज्यपाल महोदय के लिए सन्तुष्टिकरण का कोई कारण नही था कि वे इस प्रकार का अध्यादेश जारी करते। अध्यक्ष महोदय, इस बात पर कई दफा जोर दिया गया कि अध्यादेश का और राज्यपाल महोदय को जो इस प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं उनका उपयोग कम से कम किया जाय। आज ही विधान में हमने देखा कि ६-७ अध्यादेश सामने आये हैं और तीन-चार महीने बाद यह विधान सभा का सेशन आया है, इतने अल्प समय में छः, सात अध्यादेश जारी करने पड़े।

(१ मध्यान्ह पश्चात्)

कई बार जो एक्सपर्ट इस विषय के सभासद् हैं उन्होंने ऐसे विचार प्रकट किये हैं कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार बहुत ही विशेष परिस्थितियों में लिया जाना चाहिये। अधिवेशन चालू है, उस वक्त तो इस तरह के कानून नहीं लाते, संशोधन प्रस्तुत नहीं करते और एक पोइन्ट पर, एक धारा में संशोधन करने और चार लाइनें लिखने के लिए इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी करें यह कोई अच्छी बात नहीं है! ज्यादा अच्छा हो कि भविष्य में विधान सभा के चालू सत्र में तीन महीने आगे की परिस्थितियों पर विचार करके कौन-सी आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं उनको एन्टीसिपेट करके उनके बारे में उसी सत्र में कानून बनवा लिया जाय।

जहां तक इस अध्यादेश का सम्बन्ध है मैं दावे से कह सकता हूं, मेरी यह निश्चित मान्यता है कि गेहूं के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए इसको काफी पहले लागू करना था, जब कि यह चार जुलाई को लागू किया गया और फल यह हुआ कि यह अध्यादेश कामयाब नहीं हुआ, न हो सकता था। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस अध्यादेश को लागू करने में संविधान के अन्तर्गत दिये

Page No.52

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गये पॉवर्स को प्रोपरली युटीलाइज़ नहीं किया गया और जैसे भी पॉवर्स युटीलाइज़ किये गये वे भी ठीक समय पर नहीं किये गये और इसीलिये यहां तक भी कह सकता हूं कि इस प्रकार से अध्यादेश जारी करना अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी है। इस आधार पर मैं अपना संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे संकल्प को स्वीकार करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पहले जवाब दे दूं, फिर पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष : पहले पेश कर दें, फिर जवाब दे दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि एसेन्शियल कोमोडिटीज़ (राजस्थान अमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स, १९६० को विचारार्थ लिया जावे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : विचारार्थ लिया जावे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां जी, विचारार्थ का ही प्रस्ताव करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : विचारार्थ लिया जावे, इसके बाद तो फिर डिबेट होगी।

श्री अध्यक्ष : हां, डिबेट होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर दोनों पर मत हो जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : दोनों प्रस्तावों पर साथ ही बहस होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर मत ले लिये जावेंगे।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव जो विचार के लिए आने वाला था, उसके पहले एक प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद २१३ के तहत यह पेश किया कि यह अध्यादेश जो राज्यपाल महोदय ने जारी किया यह एक तो प्रोपर समय पर जारी नहीं किया गया और जारी भी करना था तो अध्यादेश के रूप में आवश्यक नहीं था। गवर्नमेंट की हरेक चीज बाद में ध्यान में आती है, बजट सैशन के वक्त भी यह पेश किया जा सकता था। ये दो–तीन ग्राउन्ड्स उन्होंने बताये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी बहस में कम से कम यह तो नहीं कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत तो वे स्वयं महसूस करते हैं। यह तो खुशी की बात है।

अब प्रोसीजर के बारे में उनका मतभेद है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को सारी बातों की पूरी जानकारी नहीं है इसलिये उनका ऐसा विचार है और इसलिये ही यह प्रस्ताव उनको लाने का व्यर्थ में कष्ट करना पड़ा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत उनको एवं सदन के अन्य माननीय सदस्यों को सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून पहले साल में ही क्यों नहीं लाया जा सका बिल के रूप में सदन के सामने। मेरे विचार से सभी माननीय सदस्यों के यह ध्यान में होगा कि इस साल भारतवर्ष में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

व्हीट के जोन्स क्या रहें, इसके बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया था और इस बारे में काफी कन्ट्रोवर्सी थी। यह चर्चा चल रही थी कि जोन रखे भी जावें या नहीं और अगर रखे जावें तो राजस्थान को अलग जोन्स बना रहने दिया जावे या इसको किसी अन्य प्रान्त के साथ मिला कर एक जोन बनाया जावे। यह बात बजट सैशन के समय तक तय नहीं हो पाई थी और इसलिये उस वक्त इस बारे में कानून लाना सम्भव नहीं था। बाद में यह तय हुआ कि जोन्स रहें और जैसे थे वैसे ही रहे और यह निर्णय अप्रैल के आखिर में और मई के पहले वीक में करीब करीब हुआ। इसके बाद में यह तय किया गया कि क्या पिछली साल की तरह सरकार स्वयं मण्डियों से गेहूं खरीदे या नहीं। तो नहीं खरीदने का निर्णय भी सरकार ने बाद में लिया।

इसके बाद में यह सवाल रहा कि जब राजस्थान एक जोन रह गया है तो राजस्थान का गेहूं राजस्थान में ही रहे, इसके लिये कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिये। उस समय पहले साल की कमजोरियां हमारे सामने थीं और पिछले साल का अनुभव भी था कि किन कारणों से और किन वजहों से गड़बड़ियां होती हैं। रेलवे से होनेवाले एक्सपोर्ट पर कन्ट्रोल किया जा सकता था, पर कुछ हिस्सों में ट्रकों से एक्सपोर्ट किये जाने पर कोई इफेक्टिव कन्ट्रोल नहीं था। ऐसा होता था कि जो कुछ एरिया में एक्ट के नीचे ऑर्डर से पांच मील के एरिया में नहीं ले जाया जा सकेगा। पर मोटरों से ट्रान्सपोर्ट करने वालों को हमने चूंकि ऑफेन्स में शुमार नहीं किया था तो होता यह था कि मोटर से माल ले जाते, अगर पकड़े जाते तो माल जब्त हो जाता या उनको सजा मिल गई, मोटर वाले छूट जाते थे। तो इसलिये यह ट्रान्सपोर्ट वाला ऑफेन्स बढ़ता गया और इसलिये यह अमेन्डमेन्ट करना जरूरी हो गया।

एक बात कही गई। उस वक्त जारी करना लेट जारी करना था। लेट मानना भी ठीक नहीं है। व्हीट की क्रॉप अप्रेल में आने लग जाती है और यह सब जानते हैं कि अप्रेल में व्हीट थोड़ी तादाद में बाजार में आना शुरू होता है और जब शुरू शुरू में मार्केट में आता है उस वक्त ज्यादा एक्सपोर्ट करने की तरफ लोगों का ध्यान नहीं होता। कन्ज्यूमर्स में ही लोकल डिमान्ड काफी होती है और करीब करीब मई के मास तक यही हालत चलती है। एक्सपोर्ट तो सरप्लस होता है तब चोरबाजारी की दृष्टि से किया जाता है। हालांकि प्रोसीजर में भी टाइम लगता है। ऑर्डिनेन्स जारी करने में कई स्टेजेज़ में से पार होना पड़ता है। तो इस तरह से अनड्युली लेट नहीं था। तो इस तरह से इन दोनों ग्राउन्ड्स पर इतना बड़ा रिज़ोल्युशन रख देना कि इस अध्यादेश को थ्रो आउट कर देना चाहिये, यह वाजिब नहीं है।

फिर कहा गया कि ऑर्डिनेन्सों की बाढ़ आ गई, पांच–छः आ गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ओर बैठनेवाले भी विचार रखते हैं और वे मानते हैं कि अत्यावश्यक हुए बिना वे नहीं आने चाहिये। पर अगर अत्यावश्यक हों और परिस्थितियां ऐसी हों तो गिनती से भी प्रभावित नहीं हो जाना चाहिये।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ऑर्डिनेन्स भी तो आखिर विधान में बताया गया एक तरीका है। अब सिर्फ सदन के जुरिस्डिक्शन की ओट में रख देने के इरादे से यह रखा गया हो, ऐसी बात नहीं है। पर सर्कमस्टान्सेज़ और जरूरतें ऐसी बन जाती हैं तभी ऑर्डिनेन्स जारी किये जाते हैं, फिर भले ही वे बारह-तेरह भी क्यों न हो जावें, गिनती से हमें प्रभावित नहीं होना है। नम्बर मैटीरियल नहीं है, पर हर ऑर्डिनेन्स को मैरिट के आधार पर ही देखा जाना चाहिये।

तो इस सिलसिले में, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसके बारे में जो उन्होंने दलीलें दीं उनका मैंने जबाब दे दिया। इसलिए इसकी आवश्यकता थी और इसलिए इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : तो फिर आप यह बता दीजिए कि अध्यादेश के बाद आपने कितने केसेज़ पकड़े तस्कर व्यापार के?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका इतना अच्छा असर जनता पर हुआ कि केस आने की नौबत ही नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका मतलब तो यह था कि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नम्बर तो नहीं बता सकता कि कितने पकड़े गए। मैंने आपको बताया कि it was decided in the first week of April. उसके बाद में इसके करने में और बनाने में टाइम लगा। इसके बारे में जितनी जानकारी मुझे देनी थी वह मैंने आपको बता दी और इसमें गवर्नमेन्ट की नीयत साफ है। इसलिए इसकी आवश्यकता थी और इसका असर भी जनता के ऊपर हुआ और स्मगलिंग के केसेज़ ज्यादा नहीं हुए। अब भी लोग डरते हैं और विहीकल्स के जरिये तस्कर व्यापार करने की गुंजाइश बहुत कम रह गई। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव रखा गया है वे इसको विथड्रॉ कर लें और अगर वे विथड्रॉ नहीं करते हैं तो मैं सदन के सम्माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस रिज़ोल्युशन को खत्म कर दें और फिर मेरे विचारार्थ लिए जाने का जो प्रस्ताव है उसको पास करें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move that this Bill be referred to the Select Committee which will submit it's report by 30th September.

अध्यक्ष महोदय, मोशन के ऊपर बोलने से पहले जो दूसरा प्रस्ताव है उसके ऊपर कुछ दो शब्द कहना चाहता हूं। जो प्रस्ताव मूव किया है कि अध्यादेश को रिजेक्ट कर दिया जाये, तो उसके मूवर की तरफ से कि इसको क्यों रिजेक्ट किया जाये और क्यों स्वीकार किया जाये, उसका कोई कारण नहीं बताया गया। एक और कारण बताया गया कि जो अध्यादेश जारी किया गया उसका बराबर इम्प्लीमेन्टेशन नहीं किया तो बराबर इम्प्लीमेन्ट नहीं होना वह एग्ज़ीक्युटिव डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन मूवर ऑफ दी मोशन ने यह जानकारी नहीं दी है कि यह

Page No.55

(श्री पी० के० चौधरी)

जो ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था उसमें क्या डिफेक्ट था और सदन को क्यों उसको स्वीकार और अस्वीकार करना चाहिए। इसके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाये और उसका कारण नहीं बतायें, इसलिए मैं समझता हूं कि उसके ऊपर विचार करने का कोई खास कारण नहीं है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो सिलेक्ट कमेटी का मेरा मोशन है उसके सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि राजस्थान में एक सैपरेट जोन था और आज भी व्हीट के लिए है। लेकिन चन्द रोज पहले ही जो सेन्टर के फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया सोच रही है कि यह जो व्हीट के लिए जोन्स हैं उनको एबोलिश कर दिया जाये। उनके पास इतना व्हीट का स्टॉक है और इतना व्हीट मिल करके बफर स्टेट बनाया है कि वह महसूस करते हैं कि जोन नहीं रखने चाहिए; महीने, दो महीने में इसको कैन्सिल कर दिया जाये। ऐसी हालत में यदि जोन विथ्ड्रा हो जाते हैं तो फिर सिर्फ व्हीट के मूवमेन्ट को कन्ट्रोल करने के लिए जिस रूप में इसको रखा है उसकी जरूरत नहीं रहती। इसके अन्दर जो प्रोविज़न्स हैं उनसे यह कानून स्ट्रिन्जेन्ट बन सकता है। जो कन्टेनर हैं, चाहे वह कुछ भी है इस कानून के प्रोविज़न्स के मुताबिक उसको फोरफीट किया जा सकता है। किसी विहीकल में या गाड़ी में उसको लाया जाये, यहां तक कि गधे पर लाया जाये तो बैल या बैलगाड़ी को जब्त कर सकते हैं। अगर ट्रक्स में लाया जाता है तो ट्रक को भी जब्त किया जा सकता है, अगर रेलवे एन्जिन में लाया जाता है तो इसके प्रोविज़न्स के मुताबिक रेलवे एन्जिन को भी जब्त किया जा सकता है, रेलवे के वैगन्स को भी जब्त किया जा सकता है, अगर यह साबित हो जाये कि it was an unauthorised movement. तो ऐसा कानून हम पास करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जैसा कि सेन्ट्रल फूड मिनिस्टर ने इन्डीकेशन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया फूड जोन्स को एबोलिश करने के लिए सोच रही है तो ऐसी हालत में हम नहीं सोचते हैं कि ऐसा कानून हमें बनाना चाहिए। हम उस कॉमोडिटी को फोर्फीट कर लें या कन्टेनर को फोर्फीट कर लें, वह तो ठीक है लेकिन अगर कॉमोडिटी एनीमल के ऊपर लाई जाती है उसका जो कन्वेयेन्स है उस कन्वेयेन्स को फोर्फीट करने का अधिकार देने से जो इन्नोसेन्ट लोग हैं उनका हैरेसमेन्ट हो सकता है। ऐसे कि मान लीजिए कि the truck is full and loaded with this commodity, it is full of such commodity which is not prohibited for export and there is small Quantity of essential Commodity जो इस कानून में कहीं नहीं लिखा है कि उस विहीकल को हम फोर्फीट नहीं कर सकते। हालांकि, ५० बैग उसमें हैं कि जो एसेन्शियल कॉमोडिटी नहीं है और जिसके मूवमेन्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है और एक बैग एसेन्शियल कॉमोडिटी का है तो उस विहीकल में सिर्फ एक बैग का, a very small quantity, जो उस

(श्री पी० के० चौधरी)

एसेन्शियल कॉमोडिटी को रखा जायेगा तो इस कानून के मातहत हम उसको फोर्फीट कर सकते हैं, यानि विहीकल को फोर्फीट कर सकते हैं। तो जब हमको मालूम है कि व्हीट के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप जो यह कानून बना रहे हैं इसमें आपने यह साफ नहीं किया है कि यह सिर्फ व्हीट के लिए लागू होगा। It will be any commodity which may be Sugar or which may be anything. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जो कानून है. यह ज्यादा स्ट्रिन्जेन्ट है। इसलिए सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दें ताकि वह सोच विचार कर ले कि इसके जो प्रोविज़न्स हैं उनमें से कौन कौन से इफेक्टिव होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस तरह का कानून जिससे हैरेस्मेन्ट पैदा हो सकता है वे प्रोविज़न्स न रहें, इसलिए मैंने रखा है कि यह सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाये। आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, श्री पी० के० चौधरी ने इसका सिलेक्ट कमेटी को भेजने का जो प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसका कारण यह है कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसके द्वारा यह होगा कि बहुत से ट्रकों में माल राजस्थान के बाहर ले जाते हैं उनको यह मालूम हो कि अगर वे एसेन्शियल कॉमोडिटी ले जायेंगे तो उनकी ट्रक जब्त कर ली जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसके अन्दर 'एनिमल' शब्द भी रखा है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि जितना माल ट्रकों में जाता है उतना गाड़ियों से नहीं जाता। फिर काश्तकार बाहर नहीं ले जाते हैं। काश्तकार तो मण्डियों में लाते हैं। काश्तकार बैलों की एक जोड़ी रखता है और सरकार ३० एकड़ की भूमि निर्धारित करने जा रही है तो जब एक बैल की जोड़ी है और गाड़ी में एक बोरी भी लेकर वह कहीं जायेगी तो उसके बैल भी जब्त कर लिए जायेंगे। तो आइन्दा के लिए वह काश्तकार यदि उसके बैल या गाड़ी आदि रख लिए गए तो वह खेती से महरूम रह जायेगा। सरकार एक तरफ तो तकावी के लिए रुपया देती है और उधर यह प्रतिबन्ध लगाती है कि एनिमल भी इसमें शामिल करती है तो यह ठीक नहीं है। विहीकल है, ट्रक है उसके लिए तो फिर भी माना जा सकता है, लेकिन एनिमल के लिए नहीं होना चाहिए। कई लोग तो ऊंटों पर ले जाते हैं तो इस तरह से तो ऊंट भी जब्त कर लेंगे और उधर मारवाड़ में तो गधे ज्यादा होते हैं और आपने फरमाया भी था कि मारवाड़ में इनका उत्पादन और गणना भी ज्यादा है तो इसलिए मैं यह कहता हूं कि 'एनिमल' का शब्द वह काश्तकार के लिए बड़ा हार्डशिप करेगा। फिर इसका नतीजा यही होगा कि जब 'एनिमल' शब्द रखेंगे तो पुलिस गधों को भी पकड़ेगी और इससे पुलिस में सारे गधे ही गधे हो जायेंगे और अदालत में भी सारे गधे ही गधे हो जायेंगे। तो मैं कहता हूं कि 'एनिमल' शब्द को हटा दिया जाये और अगर और भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं तो जो सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रखा है उसको मंजूर करने में इसमें क्या हर्ज है? सिलेक्ट कमेटी में कई मेम्बर्स होंगे, पब्लिक के नुमाइन्दे भी होंगे, काश्तकार भी होंगे तो सब

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

अपनी अपनी राय दे सकेंगे। १५ रोज के बजाय १० रोज में इसको वापिस रख दिया जाये, तो भी कोई हर्ज नहीं। इसलिए सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए जो प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार कर लिया जाये, यह मेरी प्रार्थना है।

डॉ० बहादुरसिंह(धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, जो अत्यावश्यक वस्तु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६० सदन के सम्मुख आया है जिस पर माननीय सदस्य का प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत कर दिया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस अत्यावश्यक वस्तु विधेयक को राजस्थान के अन्दर जो तस्कर व्यापार चलता है उसको रोकने के लिए माननीय मन्त्री महोदय ने पेश किया है। उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिन ट्रकों या जिन वाहनों के द्वारा जो वस्तु लाई जाय उसको जब्त कर लें। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार राजस्थान में तस्कर व्यापार को रोकने में असमर्थ है चाहे ट्रकों के द्वारा लाया जाय, चाहे ट्रकों के द्वारा न लाय जाय, या किसी वस्तु के अन्दर लाया जाय, इसको रोकने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है इस अध्यादेश के द्वारा। मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहां कुछ न कुछ तस्कर व्यापार अक्सर चला करता है। मैंने इस सदन के द्वारा सरकार का ध्यान कई बार इस ओर खींचा कि राजस्थान से गेहूं जा रहा है, राजस्थान में चावल का तस्कर व्यापार हो रहा है। राजस्थान के अन्दर चावल आना भी जुर्म है और ले जाना भी एक जुर्म है। लेकिन राजस्थान सरकार इसमें असफल रही। आज भी अगर, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सरकार यह दावा करती है कि वह तस्कर व्यापार रोकने में समर्थ है तो आज भी रेलवे स्टेशन से ४, ५ वेगन्स नित्य प्रति बराबर बाहर के लिए लोड होते हैं। यह देखा जाय तो राजस्थान में खास तौर से धौलपुर सब डिविज़न के अन्दर कितना चांवल आया, कितना चावल पैदा हुआ यह आपके आंकडे बतायेंगे। लेकिन आप यह दावा कि तस्कर व्यापार रोकने में सफल हैं, नहीं कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ट्रकों को रोकने में समर्थ हैं; लेकिन उसमें भी आप असमर्थ हैं। यह भी आप नहीं कर सकते हैं। रात के अन्दर धौलपुर सब डिविज़न में जहां कि तीसरा नेशनल हाई वे है जिसके अन्दर आपके अधिकारियों के संरक्षण में चांवल आया और उन चावलों के अन्दर उन अधिकारियों का बराबर रेशियो है। जब कोई सामाजिक कार्यकर्त्ता रोक ले और आपके अधिकारियों के पास जाय कि यह चावल के ट्रक आये हैं आप पकड़िये तो वे कह देंगे कि हम पुलिस भेजते हैं। मैं समझता हूं कि सामाजिक कार्यकर्त्ता के पास इस प्रकार की फोर्स नहीं होगी कि उन्हें रोक सके। तो यह जो कानून है, मैंने देखा है यानि यह जो बिल सदन के समक्ष आया है उसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि राजस्थान के अन्दर जो तस्कर व्यापार चल रहा है उसको किसी प्रकार से रोकें, यानि उन व्यक्तियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? पिछले दिनों जब यहां से गेहूं बाहर गया, यानी मध्य प्रदेश से गेहूं धौलपुर में आया और धौलपुर से बाहर चला गया और हुआ क्या कि मेरे पास आज भी इस प्रकार आपके सब डिविज़नल ऑफिसर के परमिट्स मौजूद हैं कि उन्होंने कह

(डॉ० बहादुरसिंह)

देया कि यह माल भरतपुर जायेगा। अध्यक्ष महोदय, वह माल भरतपुर नहीं गया. और वह माल सारा का सारा आगरा रह गया। आप ट्रकों के अन्दर आदमी भेजेंगे। आप परमिट देंगे, उन्हें आप बाहर ले जाने का परमिट देंगे या राजस्थान से राजस्थान के अन्दर ही ले जाने का परमिट देंगे, आपके सिपाही बैठ जायेंगे और कह देंगे कि माल धौलपुर गया। वे चुंगी भी दे देंगे, लेकिन माल सारा का सारा आगरा रह जायगा। आप नहीं रोक सकते हैं। आप इसका दावा नहीं कर सकते हैं कि आप रोक सकेंगे।

यह कानून बिल्कुल इतना कमजोर है कि यद्यपि आपने इस कानून के अन्दर, मैं कहता हूं कि ट्रकों को जब्त करने की व्यवस्था की है, उससे उन अधिकारियों के हाथ और मज़बूत किये हैं जो कि अब थोड़ी रिश्वत के बजाय ज्यादा रिश्वत लेने को मज़बूर होंगे। उनका एक रेश्यो बन्धा हुआ है। धौलपुर के लिए मैं यह दावा करता हूं कि एक अधिकारी ने ७५,०००) इस बात के लिये कि चावल बाहर जाय, और उसका दावा है कि जब तक उसका ट्रान्सफर होगा तब तक कम से कम ३ लाख रुपये रिश्वत के ले लूंगा। आप नहीं रोक सकते हैं। तो इस तरह का यह कानून है कि जिससे आप ट्रक नहीं रोक सकते हैं, वह सफल नहीं हो सकता है। यही बात एक विरोधी सदस्य ने रखी है....

श्री शंकरलाल (रायपुर) : आप उस अधिकारी का नाम बतला दें।

डॉ० बहादुरसिंह : सभी मिनिस्टर जानते हैं उसको।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह मिनिस्टर साहब नहीं जानते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मैं नहीं जानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप यह जानते हैं कि ७५ हजार रुपये की रिश्वत ली?

डॉ० बहादुरसिंह : सभी जानते हैं।

(हंसी)

चावल के सैकड़ों ट्रक आते हैं बराबर सब डिविज़न धौलपुर के अन्दर, भरतपुर के अन्दर इस प्रकार की शिकायत है, बल्कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री महोदय को धौलपुर की पब्लिक मीटिंग में यह दावा करना पड़ा पर्सनली कि मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के समक्ष इस बात को रखूंगा कि इस प्रकार से चांवल आ रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार के अधिकारी को कोई इस बात की इन्फोर्मेशन नहीं, क्योंकि यह एक जीता जागता प्रमाण है। तस्कर व्यापार का एक नमूना मैं आपके सामने वह रख दूं कि माल ग्वालियर से लदा और आया धौलपुर और बाद में ट्रेन से ही वह माल सीधा आगरा चला गया। आप अन्दाजा करें कि किस प्रकार से गया जब कि राजस्थान से माल जाने की व्यवस्था नहीं है। और इसके अलावा धौलपुर से पहले एक मनिया रेलवे स्टेशन और है। धौलपुर के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं में इस प्रकार से उधम हुआ, असेम्बली में कई क्वेश्चन आये, असेम्बली के फ्लोर पर कई बार कहा गया कि धौलपुर में तस्कर व्यापार हो रहा है।

(डॉ० बहादुरसिंह)

जनता को २०) रु० मन में गेहूं नहीं मिल रहा है और गेहूं बराबर बाहर जा रहा है। इन चीजों को लेकर उन लोगों ने मनिया रेलवे स्टेशन पर माल उतारना शुरू कर दिया। मनिया रेलवे स्टेशन के सारे आंकड़े यदि सरकार चाहे तो बराबर देख सकती है।

तस्कर व्यापार के अन्दर एक चीज मैं जानता हूँ कि मैं राजस्थान के बहुत बड़े उच्चाधिकारी से मिला। चावल के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में, क्षमा करेंगे सदस्यगण मुझे नाम नहीं पूछें, उन्होंने कहा कि चावल राजस्थान में आने से रोक देंगे तो राजस्थान-वालों को चावल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की जो नीति है कि चावल को आने से रोक देंगे तो राजस्थान वालों को चावल नहीं मिलेगा वह दूसरी स्टेट के अन्दर तस्कर व्यापार को प्रोत्साहन देना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का जो तस्कर व्यापार है उसको इस छोटे से कानून से नहीं रोका जा सकता है, इस प्रकार के संशोधन से नहीं रोका जा सकता है जब तक कि दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हों। राजस्थान के अन्दर इस प्रकार से तस्कर व्यापार होता है, चाहे दूसरी स्टेट से आता हो, चाहे हमारे राज्य से जाता हो, उसको रोकने के लिए ट्रकों को गिरफ्तार करने की इस प्रकार की व्यवस्था से नहीं हो सकता है जैसी आप चाहते हैं कि कानून बना दें और अदालत को अधिकार दे दें। लेकिन अदालत के सामने कौन जायेगा? गिरफ्तार कौन करेगा? सवाल यह है कि आखिर जो लोग गिरफ्तार करते हैं उनका हिस्सा बंधा हुआ है। तब किस प्रकार से आप रोक सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि सरकार अगर यह दावा करना चाहती है कि वह तस्कर व्यापार को रोकेगी इस कानून के जरिये, तो वह ठीक नहीं है। इस कानून को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का तात्पर्य यह है कि माननीय सदस्य गम्भीरता से बैठ कर इस प्रकार की कोई व्यवस्था सोचें। अगर आप पुलिस पर डिपेन्ड रहते हैं तो कामयाब नहीं होने वाले हैं। तस्कर व्यापार के सिलसिले में मेरा एक एक्सीडेन्ट हुआ है, इसलिए मैं जानता हूं। एक दफा मैं बाहर से कार में आ रहा था तो दो ट्रक गेहूँ के भरे चले आ रहे थे। मैंने पूछा कि क्या जा रहा है तो कहा गया कि गेहूं जा रहा है। वहां पर एक पुलिस वाला खड़ा था उससे कहा कि तुम इसको रोको, मैं एस० पी० को इन्फोर्म करता हूं। पुलिस वाला बैठा, अध्यक्ष महोदय, मैं जब तक एस० पी० महोदय के समक्ष पहुँचा और उनसे कहा कि आपके जानिब डाक बंगले के सामने सैकड़ों ट्रक पास हो रहे हैं गेहूं के तो वे बोले कि कहां हैं? मैंने कहा कि मैं पुलिस के सिपाही को खड़ा कर आया हूँ कि वह उस ट्रक को रोके। अध्यक्ष महोदय, १०) रु० देने के बाद सिपाही और ट्रक दोनों ही गायब हो गये। उसके बाद आगे बढ़ा तो कार से एक्सीडेन्ट कर दिया उस ट्रक वाले ने। उसने टक्कर मार दी कि इस प्रकार से खत्म हो जाय।

इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्त्ता मेरे अलावा और भी हैं जो इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं। मैंने एक हैड कॉन्स्टेबल का जिक्र इस सदन में किया था, जो मनिया पुलिस स्टेशन का था जिसने सब इन्सपेक्टर से मिल कर १ लाख, २० हजार रुपये लिये। इस प्रकार की चीज़ है जिसे पुलिस को रोकना चाहिये। ४०–४५ हजार के ट्रक को पुलिस

(डॉ० बहादुरसिंह)

गिरफ्तार कर ले, यह पोसिबल नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना चावल धौलपुर में आया जिसकी चुंगी चुकाई गई। जहां पर गेहूं का एक भी दाना पैदा नहीं होता वहां के बारे में बताया गया कि २५० मन चावल आया। जहां पर लोग भेड़-बकरी पाल कर गुजारा करते हैं वहां से २५० मन चावल कैसे आया? इस प्रकार की चीज है। इसलिये मैं मंत्रीजी से कहता हूं कि कानून से ही आप इसको नहीं रोक सकते, यह मेरा दावा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जब तक आप व्यक्तियों को ऐसे अधिकार नहीं दें तब तक सफल नहीं हो सकते। इसलिये मैं इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहता हूं।

श्री शंकरलाल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, यह जो अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के समक्ष इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये जो भी आर्ग्युमेन्ट्स सामने आये उनसे यह स्पष्ट है कि तस्कर व्यापार बढ़ रहा है और उसे हम मौजूदा कानून से नहीं रोक सकते। एक माननीय सदस्य ने जिन्होंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, यह दलील दी कि क्योंकि यह व्हीट का जोन है और इस जोन को ही सरकार जब मिटानेवाली है तो इस विधेयक को इतना कड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह व्हीट का जोन और बाधा हट जायगी और व्हीट का मुवमेंट ठीक कर दिया जायगा उस समय इसका प्रश्न नहीं होगा, लेकिन इस समय जब हम आवश्यक वस्तुओं का मुवमेंट बंद करते हैं और कानून के अन्तर्गत सफलतापूर्वक बन्द नहीं कर सकते और जो दोषी हैं, मुलजिम हैं उनके दिमाग में इतना भय नहीं है इसलिये कानून से भय उत्पन्न हो जाय जिससे यह तस्कर व्यापार बन्द हो जाय। तो मैं समझता हूं, कानून के जरिये जिस चीज को बनाना चाहते हैं, पालन कराना चाहते हैं उसका दृढ़तापूर्वक पालन कराने के लिये इस विधेयक को अवश्य पास करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा सकता है कि तस्कर व्यापार बन्द नहीं हुआ, तो उसके लिये कड़ा कदम उठाना चाहिये। लेकिन यह कहना कि कानून से बन्द नहीं होगा, उचित नहीं होगा। इस कानून से क्या फर्क पड़ेगा, यह मैं बताना चाहता हूं। जो ट्रक या जानवर इस काम के लिये उपयोग में लाये जायेंगे वे जब्त कर लिये जायेंगे। इसलिये अवश्य ही हम इसको कड़ा बनाना चाहते हैं और उसका पालन कराना चाहते हैं जिससे कि इसका मुवमेंट बन्द हो। यह कहा जा सकता है कि इसको और भी कड़ा बनाया जाय। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दलील दी कि तस्कर व्यापार बहुत हो रहा है और उसको रोक नहीं सकते। मैं भी यह निवेदन करूंगा कि तस्कर व्यापार बहुत हो रहा है और अधिकारी लोग उसमें मिल रहे हैं, जो इस बात का सुबूत है कि अधिक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। इसे और भी कड़ा बनाना चाहें तो और भी सुधार लाकर स्ट्रिन्जेन्ट कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा

(श्री शंकरलाल)

सकता कि इसका असर ही नहीं पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसका अवश्य ही असर पड़ेगा और तस्कर व्यापार करने वाले लोगों पर असर पड़ेगा। यह उसको बन्द करने की ओर कदम है। आज दिन तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसके बनने के बाद यह कहा जा सके कि जिस उद्देश्य से बनाया गया उसमें पूरी पूरी सफलता मिली। यहां तक कि विधान में भी संशोधन करने पड़ते हैं और यह सदन जो कानून पास करता है उनमें भी समय २ पर संशोधन करने पड़ते हैं। इसलिये यह दलील कि इसको पास नहीं किया जाय, ठीक नहीं है। हमें यह देखना है कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ेंगे या नहीं। हम तस्कर व्यापार को कम करना चाहते हैं उसमें अवश्य ही एक कदम आगे बढ़ेंगे और अवश्य ही तस्कर व्यापार को रोकने में हमें सफलता मिलेगी।

यह स्पष्ट कानून है। इसमें कोई पेचीदगी नहीं है जिसके कारण प्रवर समिति इस पर विचार करे। ऐसी कोई गूढ़ बात हो या पेचीदगी हो, जिस पर प्रवर समिति विचार करे तो बात अलग होती है; लेकिन इसमें ऐसी कौनसी गूढ़ बात या पेचीदगी है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है? जब सभी माननीय सदस्य यह मानते हैं कि तस्कर व्यापार बन्द करना चाहिये तो इसके लिये जैसा भी कड़ा कानून बनाया जाय उसे पास करना चाहिये। इसलिये मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह जो अमेण्डिंग बिल है वह अवश्य ही सदन में स्वीकार होना चाहिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): अध्यक्ष महोदय, यह अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक सदन के समक्ष आया है और उसमें जो संशोधन प्रवर समिति के समक्ष इसे भेजने का प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह विधेयक जिस मंशा से लाया गया है वह बहुत उचित है और सामयिक है। साथ ही साथ जो संशोधन रखा गया है प्रवर समिति के समक्ष इसे ले जाने का वह भी इतना ही आवश्यक है। विधेयक की मंशा यह है कि राजस्थान में जो चोरी से व्यापार होता है उसको रोका जाय। इस तरह का कुछ प्रावधान कानून में किया जाय कि जो लोग चोरी से व्यापार करने के आदी हैं उनके लिये इस प्रकार की सजायें रखी जांय, भयप्रद रखी जांय जिससे वे ऐसा न करें। जिन्होंने प्रवर समिति का सुझाव दिया है वे भी यह चाहते हैं कि तस्कर व्यापार या चोरी से माल ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिये कड़ा कानून बनाया जाय। केवल अन्तर यह है कि वह भाव जिसमें प्रस्तुत विधेयक पेश किया है वह सुन्दर है। कुछ कमियें भाषा की हैं, यदि यह इसी शक्ल और रूप से पारित हो जाता है तो जिस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है वह तस्कर व्यापार करने वालों को विशेष हानि करने वाला नहीं है। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि आज जो कानून है उसमें तस्कर व्यापार करनेवालों के पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान है और जब पुलिस उन वाहनों को अपने कब्जे में कर लेती है तो उनको काफी परेशान करती है और उनको तंग करती है तभी वापिस देती है। लेकिन इसके

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

होते हुए भी तस्कर व्यापार हमारे यहां कम हुआ हो, यह कहीं सुनने को नहीं मिला; बल्कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो लोग इस व्यापार को चोरी से करनेवालों की प्रक्रिया को रोकने के लिये तैनात हैं उनको किस प्रकार से दृढ़ करें। कानून उनके सम्बन्ध में हो, जिससे वे अपनी ड्युटी या कर्त्तव्य का पालन ठीक तरह से कर सकें। आज भी हमको कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जब कि १०, २० या ५० ट्रक या गाड़ियें बाहर निकल जाती हैं तो १, २ गाड़ी को जरूर पकड़ लिया जाता है। २० गाड़ियें निकल गई और उसके बाद एक-दो गाड़ियों को पकड़ लिया और उन पर मामला चलाया और दिखा दिया कि हमारे अधिकारी लोग सावधान हैं, एलर्ट हैं अपनी ड्यूटी के प्रति, लेकिन आम तौर पर लोगों की यह धारणा है, जनता इस बात का अनुभव करती है कि वे लोग उनमें मिले हुए होते हैं क्योंकि तस्कर व्यापार चल नहीं सकता, जब कि जो अधिकारी इन्चार्ज हैं उसको रोकने के लिए, वे उनके अन्दर मिले हुए नहीं हों। तो ट्रक को रोका जा सकता है, गाड़ी को रोका जा सकता है और गधा और ऊंटों को रोका जा सकता है, लेकिन रोका तभी जा सकता है, जब रोकने वाले यह चाहें, रोकने वालों की यह मन्शा हो। तो एक तो इसमें इस प्रकार का प्रावधान रखा जाय कि यदि किसी ऐसे अधिकारी की कोताई पकड़ी जाय तो उस अधिकारी को किसी न किसी तरह का दंड का एक भय होना चाहिए। साथ ही साथ जिन वाहनों का इसमें उल्लेख किया है, मैं समझता हूं एक आध वाहन और रह जाता है, जिसको, मैं समझता हूं, हमारी सरकार रोकने में असमर्थ होगी। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान और अपनी राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब कभी हम जयपुर से भरतपुर या आगरा तक जाते हैं तो खेडली स्टेशन पर आम तौर पर देखा है कि वहां पर १००, १०० बोरियां मैदे की चढ़ती हैं रेलवे ट्रेन के अन्दर। लोग बोरियां लिये खड़े रहते हैं और गाड़ी वहां जैसे ही पहुँचती है, एक दम वे मैदे की बोरियां उसमें डाल दी जाती हैं। खेडली में एक मंडी जरूर है लेकिन वहां पर कोई फ्लोर मिल हो, ऐसी बात नहीं है। बोरियां न मालूम पंजाब से आती हैं, पंजाब से अलवर और अलवर से खेडली आ जाती हैं और खेडली मंडी से वे बोरियां चढ़ती हुई देखी हैं। मैं ताज्जुब करता था कि इतनी बोरियां किस चीज की चढ़ रही हैं ! मुझे बतलाया गया कि पंजाब से मैदे की बोरियां आती हैं और खेडली से ट्रेन में चढ़ती हैं और फिर आगरा और आगरा से न मालूम कहां जाती हैं। आप मोटर को रोकेंगे, ट्रक को रोकेंगे, गाड़ी को रोकेंगे और गधों और ऊंटों को रोकेंगे, लेकिन रेल गाड़ी में जो सामान जाता है उसको रोकने का क्या प्रावधान किया है इसके अन्दर ? वह सामान गाड़ियों में जाता है, पैसेन्जर ट्रेन के डिब्बों में डाल कर ले जाते हैं। तो ऐसी ही दो, तीन चीजें खास तौर से हैं, अगर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है तो उनका समावेश इसमें हो सकता है और जो मन्शा इस विधेयक को प्रस्तुत करने की है उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब उसके अन्दर खास तौर से यह हो, एक तो जो चोरी के व्यापार को रोकने के लिए तैनात किये जाते हैं उनके ऊपर कोई न कोई वाच

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

एन्ड वार्ड या खुफिया पुलिस दो या खास तौर पर कोई न कोई व्यवस्था इस प्रकार की की जाय कि उनको डर रहे। अगर वे ट्रक छोड़ देते हैं या ट्रक से मिल जाते हैं। इसके साथ ही जैसा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनका हिस्सा होता है। वास्तव में यह सही है क्योंकि वे इतना बड़ा पाप, सरकार के प्रति इतना बड़ा विद्रोह, जनता के प्रति इतना बड़ा विद्रोह निष्काम भाव से नहीं कर सकते। उनका इसमें हिस्सा होता है, वे मिले हुए रहते हैं। मुझे तजुर्बा है। मेरे क्षेत्र से कितनी ही बार अनाज जाता है। जितने दिनों अनाज जाता है लोग शिकायत करते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों तक शिकायतें पहुँचाई जाती हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब वह चीज ठीक एण्ड पर पहुँचती है तब कानून को कड़ा करते हैं। जैसा मैंने बतलाया १०, २० ट्रक्स जब निकलते हैं तो उनमें से एक को पकड़ लेते हैं और उसको सजा देते हैं। तो इसमें दो चीजों का प्रावधान रखने के लिए मैंने सुझाव दिये। इसके अलावा और भी सुझाव दिये जा सकते हैं अगर यह प्रवर समिति के अन्दर जाता है। इसमें वाहनों को पकड़ने का और उनको सजा देने का प्रावधान कर दिया है। लेकिन जो लोग वाहनों को रोकने वाले हैं, वे अपनी ड्युटी को ठीक तरह से पूरा नहीं करते हैं तो इसमें क्या प्रावधान है? मैं समझता हूँ कि कोई न कोई ऐसी चीज इसमें लानी चाहिए। एक ओर जब डिटरेन्ट पनिशमेंट रखते हैं चोरी से माल ले जानेवालों के लिए और वाहनों के मालिकों के लिए तो दूसरी ओर जो ड्युटी पर रहनेवाले हैं, पुलिस, एन्टी स्मगिलग फोर्स, उनके लिए भी कोई न कोई भय की चीज रखने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ मैंने जैसा एक उदाहरण दिया, रेलवे ट्रेन से जो माल जाता है चोरी से, उसके डिब्बों को आप किस तरह जब्त कर सकते हैं, रेलवे के साथ क्या कर सकते हैं, इसका उल्लेख होना जरूरी है। तो मैं कुछ सुझाव इस समय दे रहा हूं और अगर प्रवर समिति में इसके ऊपर विस्तृत रूप से विचार किया जाय, तो मैं समझता हूं कि इसको अधिक व्यापक और प्रभावशाली बनाने के लिए यह जरूरी है कि इस पर काफी सोच-समझ कर विचार किया जाय। इसलिए इसे प्रवर समिति के समक्ष भेजने का जो सुझाव रखा है वह उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्रीजी ने जो सदन के समक्ष एक एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ बिल पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन इस बिल के वास्ते एक सुझाव यह भी आया है कि इस बिल को पहले प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसका मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह अनुभव से देखा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ज्यों ज्यों जन-जीवन को सुगम बनाने का प्रयत्न करती जा रही है, त्यों का त्यों वह-जन जीवन इतना सुगम नहीं बन रहा है जितना राजस्थान सरकार चाहती है। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मनुष्य को दो ही वस्तुओं की अत्यन्त आवश्यकता है, वस्त्र की और खाद्य पदार्थों की। वस्त्र और खाद्य पदार्थ की महगाई इस कदर बढ़ गई है कि उसकी वजह से जन-साधारण,

(श्री रामचन्द्र)

चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अत्यन्त भयभीत और दुःखी है। इसकी ओर सरकार सदा सतर्क रही है और अब भी है। इसको रोकने के वास्ते, इस महंगाई को अधिक न बढ़ने देने के वास्ते सरकार सब कुछ कर रही है। वस्त्र की महंगाई कम करने के लिए सेन्टर की ओर से कुछ कर रही है। वस्त्र की मंहगाई कम करने के लिए सेन्टर की ओर से कुछ कदम उठाने के लिए अभी अभी कुछ विचार आरम्भ हुआ है। यह फूड स्टफ जो है यह मनुष्य की आवश्यक वस्तु है। यह छोटे से लेकर बड़े तक सब पर असर डालती है और इसके भाव और मंहगाई का असर केवल इस वस्तु पर नहीं, इसकी कीमत दूसरी दूसरी वस्तुओं की कीमत को कंट्रोल करती है। इन फूड स्टफ्स को और अधिक सस्ता बनाने के लिए, और ये किसी तरह मंहगे न हो जायं, सरकार सब प्रकार से उचित कदम उठा रही है। इसके वास्ते सेन्टर ने एक कानून बनाया है जिसको राजस्थान सरकार ने गोया मान्यता दी है और उस कानून की धारा सात में जो कुछ कमी रह गई है उसको दूर करने के वास्ते एक अमेंडमेंट के रूप में यह बिल प्रस्तुत किया गया है। आज यह बिल यह विचार करने के लिए नहीं लाया गया है कि सरकार के इतने प्रयत्न करने के बाद में भी एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ एक्ट इतना प्रभावशाली नहीं है, इसमें क्या क्या कमियां हैं। इस पर विचार करने के लिए यह बिल लाया जाता तो मैं जरूर कहता कि इस पर बड़ी गम्भीरता के साथ, पूरी तरह विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्लॉज़ सात में कुछ कमी रहने की वजह से बिल इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। इस बिल को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें जो कमी रह गई है, उसमें एक नया क्लॉज़ सात ए के नाम से जोड़ने का है। यदि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जायेगा तो प्रवर समिति केवल सात और सात ए क्लॉजेज़ के ऊपर विचार करेगी और इस तरह के जो माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं कि सरकार के इस बिल को बनाने के बाद भी फूड स्टफ्स की मंहगाई बढ़ती जा रही है और फूड स्टफ्स का तस्कर व्यापार किसी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इस बिल में अधिक परिवर्तन करने हैं। यदि परिवर्तन करने हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अमेंडमेंट के रूप में इस बिल में और क्लॉजेज़ एड करने चाहिए। यहां तो प्रश्न है केवल सात, एक क्लॉज़ का और केवल एक क्लॉज़ के वास्ते किसी प्रवर समिति के सुपुर्द, इस पर विचार करने के वास्ते, किये जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। हां, मैं यह जरूर कहूंगा कि मौजूदा जमाने में गवर्नमेंट एसेन्शियल क़ॉमोडिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जितना प्रयत्न कर रही है वह काफी नहीं है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की ओर से इनको जो सहायता व प्रोत्साहन मिल रहा है उससे हमें बहुत चिन्ता है। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार इस एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ बिल को इफेक्टिव बनाना चाहती है तो उन लोगों के विरुद्ध जो स्वार्थवश कुछ ले-देकर राजस्थान की पैदावार को राजस्थान के बाहर ले जाने में सहायता देते हैं, सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, किसी तरह की रियायत

(श्री रामचन्द्र)

नहीं करनी चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो बिल रखा गया है इसके ऊपर इस वक्त ही हाउस में विचार कर लीजिये और इसे प्रवर समिति को देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, जो प्रस्ताव इस एसेन्शियल कोमोडिटीज़ बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसके समर्थन में मैं कुछ शब्द निवेदन करना चाहता हूं। इससे पहले हाउस इस बात पर विचार करे कि इस एसेन्शियल कोमोडिटीज़ बिल को प्रवर समिति में दिया जाय या न दिया जाय, उसका एक बेक ग्राउन्ड ध्यान में रखना होगा। वह बेक ग्राउन्ड यह है कि आखिर इस एसेन्शियल कोमोडिटीज़ बिल की जरूरत क्यों पड़ी और वह जरूरत क्या है कि इसको इस टाइम पर, जो पहले ही कड़ा और डिटरेन्ट है, उसको और भी ज्यादा कड़ा और डिटरेन्ट बनाना चाहते हैं। हम यह देखें कि राजस्थान में १९५८–५९ में फूड ग्रेन्स की कमी आई और फूड ग्रेन्स की कमी आने पर राजस्थान गवर्नमेंट ने सेन्टर को आर्ग्युमेंट दिये कि राजस्थान के अन्दर फूड प्रोडक्शन इनसफीशियेन्ट हैं और जैसा एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते आये हैं कि राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना है कि राजस्थान सेल्फ सफीशियेन्ट है, मगर डेफीशियेन्सी राजस्थान में यों आती है कि राजस्थान से फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट होता है। यह प्ली राजस्थान गवर्नमेंट ने सेन्टर को दी है, तो सेन्टर ने राजस्थान का व्हीट जोन अलग कायम किया। इसका मतलब यह था कि राजस्थान के अन्दर फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है उसमें काम अच्छा करे। मगर मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राजस्थान में खाद्य पदार्थों की कीमत ज्यादा नहीं है, मगर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में दिया नहीं जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि जब राजस्थान का एक सेपरेट व्हीट जोन बनाया और फिर भी व्हीट प्राइस कम नहीं आई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में सैपरेट व्हीट जोन रखने का कोई कारण नहीं है। राजस्थान में सैपरेट व्हीट जोन रखा जाय और सस्ता अनाज नहीं मिल सके, तो सैपरेट व्हीट रखने का जो केस है। उसको राजस्थान गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकारियों ने फैल कर दिया क्योंकि खाद्य पदार्थों की प्राइसेज़ कम नहीं कर सके, फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट होता है उसको जोनल सिस्टम में चैक नहीं कर सके। इसको आप और डिटरेन्ट से डिटरेन्ट बना दें और कड़े से कड़ा एक्शन ले लें लेकिन जो डेफीसिट एरियाज़ हैं; जैसे गुजरात, बम्बई, उनका व्हीट जायगा, उसे नहीं रोक सकते। अगर आप राजस्थान में करप्शन को रोकना चाहते हैं तो जो डेफीसिट एरियाज़ हैं उनकी प्राइसेज़ सेम लेवल पर लाना चाहते हैं तो इसको करने के लिए यह जरूरी है कि राजस्थान में जोनल सिस्टम खत्म किया जाय और मध्य प्रदेश से मिलाया जाय। इसके अलावा इसे किसी तरह भी डिटरेन्ट से डिटरेन्ट बना लीजिये, आप एसेन्शियल कोमोडिटीज़ को कन्ट्रोल नहीं कर सकते. क्योंकि मशीनरी है वह एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कन्ट्रोल नहीं कर सकती। जहां कोमोडिटीज़ को कन्ट्रोल किया है वहां करप्शन को प्रोत्साहन दिया है। मेरा व्यक्तिगत

(श्री श्रीभानसिंह)

निश्चित मत है कि राजस्थान के जितने टार्गेट्स हैं, उनमें और राजस्थान की सैल्फ सफीशियेन्सी है उसमें डेफीशियेन्सी आ गई है, तो कोई कारण नहीं है कि राजस्थान सैपरेट व्हीट जोन रहे। राजस्थान को, जो सैल्फ सफीशियेन्ट एरियाज़ हैं उनके साथ मिलाना चाहिए, नहीं तो नतीजा यह होगा कि राजस्थान पहले सैपरेट जोन रहा, तब ट्रान्सपोर्ट परमिट की भरमार रही, अब एक्स-पोर्ट का परमिट देने की भरमार रहेगी और जब परमिट देने का सवाल आयेगा तो नीचे से ऊपर तक मशीनरी करप्ट हो जायगी तो

२ म. प.

जहां कहीं भी आप परमिट से भी एक्सपोर्ट करावेंगे तो करप्शन आवेगा ही। इसको रोकने के लिये परमिट सिस्टम को खत्म किया जावे।

हम यह देखें कि अगर आपने किसी एनिमल या विहिकल को फोर्फीट कर दिया तो क्या उससे एक्सपोर्ट और करप्शन रुक जावेगा? करप्शन और एक्सपोर्ट किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। इसके अलावा आप इस पर किस तरह से चैक कर सकेंगे? आप इस पर मान लें कि चैक कर लेंगे। जो माल रेलवे के थ्रू जाता है उस पर आप किस प्रकार चैक करेंगे? इसके अलावा धौलपुर इलाका ऐसा है जहां पर आप एक्सपोर्ट को किसी भी हालत में रोक नहीं सकते। वह ऐसा है जहां तस्कर व्यापार होता है और आप उसको रोक नहीं सकते। उसकी सीमा की तरफ, मध्यप्रदेश, यू० पी० और ग्वालियर आए हुए हैं। वहां पर आप किस प्रकार से कन्वेयेन्स को फोर्फीट करेंगे? यही नहीं; जब राइस एलाउड नहीं था, माननीय मंत्री महोदय के पास जब यह फूड का डिपार्टमेंट आया तो ५०० टन का परमिट हजारीलाल को दिया कि राइस लाया जावे। मैं उसकी डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। ५०० टन का परमिट एक व्यक्ति को दें, यह इस बात को बताता है कि जिस जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट इस पर कन्ट्रोल करेगी वहां उतना ही करप्शन ज्यादा होगा। उनके परमिट को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रोक दिया और कहा कि जब तक हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बात नहीं कर लें, परमिशन नहीं लें आपको राइस नहीं ले जाने देंगे। मैं यह कहूँगा कि आप इसके लिये यातायात को फ्री करें। जहां पर डेफि-सिट एरियाज़ है उनके अन्दर यातायात को फ्री करना होगा जिससे कि प्राइसेज़ लेवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, बम्बई और यू. पी. में बराबर रहे। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि यह एक्ट आपने लागू किया वह ७ जुलाई को लागू किया और मैं यह कहूंगा कि यह एक चाल है। यह जनतन्त्र की एक मखौल है। यह जनतंत्र का रवैया है कि एक ऑर्डिनेन्स ७ जुलाई को पास होता है। मेरी और उनकी नोलेज में है कि जितना भी व्हीट जुलाई तक बाजार में आ जाता है और बाहर जाना होता है चला जाता है। ऑर्डिनेन्स निकलता है वह एम-र्जेन्सी के समय निकलना चाहिये। व्हीट एक मार्च से अप्रेल या मई तक आ जाता है। क्या राजस्थान सरकार के कर्मचारी उस समय सभी इस तरह से नींद ले रहे थे और यह समझ रहे थे कि इसकी जरूरत नहीं है

(श्री श्रीभान सिंह)

और जब सारा व्हीट बाहर चला गया उस समय यह ऑर्डिनेन्स निकालते हैं ? सभी जानते हैं, जुलाई में रेनी सीज़न शुरू हो जाता है और रास्ते ब्लोक हो जाते हैं, तब आप ऑर्डिनेन्स पास करते हैं। गवर्नमेंट इस लोकतन्त्र में ऑर्डिनेन्स के अपने पॉवर का इतना दुरुपयोग करेगी तो सदन को सोचना होगा कि हम लोगों की जरूरत है या नहीं ? ऑर्डिनेन्स तो एमर्जेन्सी में जारी होने चाहिये। मगर हमारी गवर्नमेंट यह सोच कर चलती है कि ऑर्डिनेन्सों से काम चल रहा है। मगर मैं यह कहूंगा कि कानून बनाने का हक है राजस्थान विधान सभा को या और प्रान्तों की विधान सभाओं को और अगर इन राइट्स की इस तरह से अवहेलना होती रही तो जनता का लेजिस्लेशन में जो विश्वास है वह कम होता जावेगा और वे राजस्थान सरकार की ओर देखेंगे कि किसी मिनिस्टर या डिपार्टमेंट की क्या मर्जी है। तो ऐसी हालत में मैं ऑर्डिनेन्स इश्यू करने के खिलाफ हूं। जिस तरह से १९४५ में गवर्नर गवर्न करते थे उसी तरह से आज लोकतन्त्र में भी शासन करते हैं और काम को चलाते जा रहे हैं।

ऑर्डिनेन्स को बहुत कम काम में लाना चाहिये और एमर्जेन्सी में ही काम में लाना चाहिये। ऑर्डिनेन्स इश्यू करना इस बात को जाहिर करता है, बहुत की गारन्टी है, बहुत से माननीय सदस्य इसको इस टर्म में यूज़ करते हैं, ब्रूट मेजोरिटी, उसमें कॉन्फिडेन्स है तब तक काम होता है, लेकिन मेजोरिटी का यह दुरुपयोग है, गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, कांग्रेस पार्टी की रहेगी, आपके साथ है, लेकिन उस मेजोरिटी को इस तरह से काम में लाते हैं ! सदन के अन्दर काम में लावें। मेजोरिटी वोटिंग करे। यदि जनतन्त्र में उपयोग करना है बहुमत का, तो वह तब ही उपयोग हो सकता है। ऑर्डिनेन्स इश्यू नहीं करना चाहिये इस तरह से। ऑर्डिनेन्स पास करके बहुमत के पॉवर्स को कम करना है। सदन में डिस्कशन करके बिल बनायें, लेकिन बिल नहीं बनाया जाता है और आग्युमेंट यह दिया जाता है कि आवश्यकता थी इसलिये ऑर्डिनेन्स पास कर दिया। लेजिस्लेचर पास न करे, मेजोरिटी की स्ट्रेन्थ नहीं मापी जाती। बहुमत के आधार के कारण हमने यह कर दिया है। एनिमल्स को फोर्फीट किया था, वे लोग सरकार पर दावा कर देंगे और राज्य सरकार को नुकसान होगा।

इन दृष्टिकोणों को रखते हुए मैं फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि करप्शन आपके यहां है। कानूनन एनिमल्स को फोर्फीट करायें, जो तस्कर व्यापर के काम में लाते हैं। कन्वेयेन्स को करायें, उनको नहीं करें, अफसर जिनको प्रोत्साहन देते हैं आखिर उनके लिए क्या प्रोविजन है ? जो चैक पोस्ट्स पर आपके अधिकारी, आदमी रहते हैं आखिर उनके पनिशमेंट के लिए क्या है ? उनके लिए तो गुड फेथ है। वे परमिट देते हैं, तस्कर व्यापार कराते हैं, विहिकल्स निकाल देते हैं उनके लिए गुड फेथ काम में आ जाता है। यह क्यों नहीं निकालते कि उनके कन्वेयेन्स को फोर्फीट कर लेंगे। यदि करप्शन को रोकना है तो काम में लाना होगा। जोनल सिस्टम था वह फेल हो गया, आप फूड प्राइसेज़ को नीचे नहीं ला सके। जोन एरिया को नीचे

(श्री ओमानसिंह)

लाकर एडजेसेन्ट एरिया में मिल जाना चाहिये जिससे यहां का व्यापार ठीक हो, सिटीजन्स का मोरल भी है वह ठीक रहे। एक दूसरे प्रान्त में फ्री ट्रेड से कॉमोडिटीज़ जाया-आया करें, जिससे आपको एडीशनल मशीनरी की आवश्यकता नहीं होगी और करप्शन वगैरह को भी प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकेगा। इसलिए सिलेक्ट कमेटी में इस विधेयक का जाना बहुत जरूरी है। यह देखा गया है कि परिस्थिति डिटीरियोरेट हो रही है। किसी तरह से तस्कर व्यापार को रोका जाय तो कैसे, जोनल सिस्टम पेइंग है या नहीं, इन सारे पॉइन्ट ऑफ व्यूज़ से सिलेक्ट कमेटी एग्ज़ामिन करके रिपोर्ट करेगी और हाउस भी उचित निर्णय पर आ सकेगा। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट ही सुविधाजनक हो सकती है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में काफी वाद-विवाद हो चुका है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस वक्त की परिस्थिति को देखते हुए जो एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ बिल है इसको जरूर काम में लाया जाना वाजिब है। देखा जाय तो राजस्थान वह प्रान्त है जो सदा से कम पैदावार का रहा है और बाहर से जो गल्ला आता है उसी पर यह निर्भर रहता है और इसके लिए आज-कल जोर-शोर से यह कहा जाता है कि यहां गल्ला इतना पैदा होता है कि यहां से उसको बाहर जाने देने की आवश्यकता है। मैं तो इसको मृग-मरिचिका ही समझूंगा कि थोड़ी पैदावार के इलाके में जो कॉमोडिटीज़ हैं वे बराबर बाहर जा रही हैं। उनको रोकने के लिए जरूर ऐसा कदम उठाना चाहिये जैसा कि मंत्री महोदय ने इसके वास्ते कहा है। लेकिन यह ऐसा विषय है कि विचार करने के लिए सिलेक्ट कमेटी की आवश्तकता हो। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इसके वास्ते यह कहा जाता है कि अगर इसको कड़ाई के साथ लाया जायगा तो अधिक घूसखोरी बढ़ेगी और दिक्कत फैलेगी। इन दिक्कतों के डर से इसको काम में न लाने में मैं तो उस डर को निर्मूल समझता हूं। गवर्नमेंट की मशीनरी को ऐसे काम के लिए तो कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिये। मुझसे पहले बोलनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से मामलों में दिक्कत पैदा होती है और कमियां होती हैं। घूसखोरी और इन दिक्कतों के डर से इन चीजों को काम में न लाना ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को तो चाहिये कि वह कड़े से कड़ा कदम उठाकर इसको लागू करे। आज राजस्थान की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, अत्यन्त मंहगाई का भूत खड़ा हो रहा है। गेहूं और चावल नहीं है; जौ, ज्वार और चने तक के भाव बढ़ रहे हैं। इसके मूल में देखा जाय तो इन चीजों पर कन्ट्रोल सरकार का न होने से यह हो रहा है और इन पर जोर पड़ रहा है। इसको जल्दी से जल्दी और इसी सत्र में, वैसे देखा जाय तो सिलेक्ट कमेटी में भी यह डिसाइड हो सकता है, पास करना चाहिये और इसको जल्दी से जल्दी काम में लाना चाहिये।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : काफी बहस हो चुकी है।

श्री लच्छूराम : इस पर बोलना एसेन्शियल है....

श्री अध्यक्ष : एक छोटा सा संशोधन है कि इतना संशोधन और किया जाता है। कृपया आप चाहें तो उस पर संक्षेप में बोलें।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, किसी कानून में संशोधन लाने से पहले कम से कम यह सोचना चाहिये कि इस कानून में संशोधन की आवश्यकता भी है। इस संशोधन को जनमत के लिए यदि प्रसारित किया जाय तो मेरा यह विश्वास है कि राजस्थान की ७५ प्रतिशत जनता यह कहेगी कि किसी सामान को इधर उधर लाने लेजाने में, जो आवश्यक वस्तुयें हैं उनको एक दूसरी जगह लावें और लेजावें, एक प्रोविन्स से दूसरे प्रोविन्स में लाने और लेजाने में किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। उदाहरण भी हमारे सामने हैं। पांच–चार वर्ष पहले कई चीजों पर कन्ट्रोल था। कन्ट्रोल के जमाने में हर प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, दुनिया परेशान थी और हर चीज़ मिलने में कठिनाई थी। लेकिन जब कन्ट्रोल का जमाना गया तो लोगों ने राहत की सांस ली। आज जिस संशोधन पर विचार किया जा रहा है उसके लिए पहले जनमत लिया जाय। कोई इस विचार का नहीं होगा कि इन पर नियन्त्रण किया जाय।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार इस प्रकार से ऑर्डिनेन्स इश्यू करके प्रजातंत्र को कुचल रही है, यह बहुत बुरी परम्परा पड़ रही है। जुलाई के अन्दर गेहूं का सीज़न खत्म हो जाता है और मार्च, अप्रेल और मई में असेम्बली का सत्र चल रहा था। सरकार यदि इस प्रकार के अध्यादेश को जरूरी समझती तो असेम्बली के सेशन के अन्दर इस प्रकार का अमेंडमेंट आ सकता था। आज इस प्रकार का अमेंडमेंट लाकर एक प्रकार से जनता को धोखा दिया जा रहा है, यह उचित नहीं है। अफसरों ने सोचा, अधिकारियों ने सोचा कि इस समय नियन्त्रण कर दिया जाय ताकि परमिट वगैरह देने में काफी पैसा मिलेगा, उसमें मिनिस्टर महोदय को भी कुछ मिल जायगा....

श्री अध्यक्ष : आप केवल संशोधन पर ही बोलें। इसमें परमिट आदि देने का कोई सवाल नहीं है। आपको बोलते हुए समय काफी हो गया है, अगर आप विषय से परे रहे तो मुझे आपको बोलना बन्द करना पड़ेगा।

श्री लच्छूराम : मैं इसी पर बोल रहा हूं। यह जो हम कानून में संशोधन करने जा रहे हैं वह इस प्रकार से प्रजातन्त्र का हनन है, अतः इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिये। इसके अलावा सिलेक्ट कमेटी का जो प्रस्ताव रखा है उसको तो मानने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। सिलेक्ट कमेटी यह विचार करेगी कि इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है भी या नहीं। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन की मन्शा है मैं इसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार का इस प्रकार का नियम बनाया हुआ है कि वहां पर पैदा किया हुआ चावल उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहिये। वहां का चावल धौलपुर

Page No.70

(श्री सूबेदारसिंह)

आकर वहां से तस्कर व्यापार के जरिये दूसरी जगह चला जाता है। जब कि इसकी कीमत किसान को मिलनी चाहिये, उपभोक्ता को सस्ता चावल मिलना चाहिये, वह न मिल कर उसका फायदा तस्कर व्यापारी उठा रहे हैं। अब राजस्थान सरकार ने यह नियम बना दिया है कि इस प्रकार जो तस्कर व्यापार के जरिये चावल बाहर जाता है वह चावल पकड़ा जाय और उसके साथ साथ जिन जिन साधनों से वह बाहर जाता है उनको भी जब्त किया जाय। लेकिन कहते हुए दुख होता है कि पिछले दिनों जो जोरों से तस्कर व्यापार चला उसको देखते हुए मैंने भी सुबह साढ़े पांच बजे एक ट्रक चावलों से लदा हुआ पकड़ा। ज्योंही ट्रक आया मैंने उसको रुकवाया और मजदूरों को जो ट्रक पर चढ़े हुए थे उनको पकड़ लिया। ड्राइवर ट्रक को छोड़ कर चला गया, कन्डक्टर भी उसको छोड़ कर चला जाता है सुन्दरलाल व्यापारी के पास। पल्लेदार जो साथ में होते है वे चावल की बोरियों को नीचे उतारते हैं, वे मार्का देख लेते हैं। जहां सहारनपुर का मार्का लगा हुआ होता है उसकी कीमत बाजार में अच्छी मिलती है, जहां नहीं होता है उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलती। धौलपुर में चावलों की उपज १४-१५ हजार मन की है जब कि वहां से करीब ६० लाख मन चावल बाहर जाता है। मैंने ट्रक तो पकड़ लिया और अपने साथियों को इकट्ठा किया, जिसमें बहादुरसिंहजी भी थे। बहादुरसिंहजी को एस० डी० एम० के बंगले भेजा। विश्वंभरसिंह एस० डी० एम० हैं उनको कहा कि हमने एक चावलों का ट्रक पकड़ा है, आप हमारी मदद कीजिये। चूंकि अधिकारियों का उसमें पूरा हाथ था इसलिये बहादुरसिंहजी को चकमा देने के लिये तरकीब सोची और उन्होंने कह दिया, आप डी-वाई० एस० पी के बंगले जाइये उन्हीं का इस प्रकार के ट्रक पकड़ने का काम है। ज्योंही बहादुरसिंहजी डीवाई० एस० पी के यहां गये वे वहां थे नहीं, कोतवाल के पास गये। इसी बीच उधर से फौरन आदमी आ जाते हैं और ट्रकवालों को कहते हैं कि तुम भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी मुसीबत तो होगी ही, हमारी भी मुसीबत हो जायगी। ट्रकवालों ने जबरदस्ती आठ-दस आदमी जो हमारे थे उनको भगा दिया और ट्रक भगा कर वे ले गये। दस मील दूर जाकर मरोली में वह उसको छोड़ देते हैं। इस तरह से चार ट्रक की बोरियां मनोही धर्मशाला के पीछे डाल दी गई। रात्रि में ट्रक जाकर वापिस उन बोरियों को ले आता है। मैंने इस बारे में काफी कहा-सुनी की, अखबार में भी इस बारे में वक्तव्य दिया कि इस प्रकार के व्यापार से वहां के रहने वाले व्यापारी और जनता के मोरल केरेक्टर पर काफी असर पड़ता है, इसलिये इस प्रकार होने वाले तस्कर व्यापार को जल्दी से जल्दी रोका जाय। लेकिन इसका कुछ नतीजा नहीं निकला। आज भी हम देखते हैं कि धौलपुर में ऐसा कोई भी दिन खाली नहीं जाता जिस दिन कम से कम चार-पांच ट्रक चावलों से भरे हुए धौलपुर में न आते हों और इसी प्रकार दूसरे-तीसरे रोज पांच-सात वैगन भर कर रेलगाड़ी के द्वारा यह सब माल बाहर जाता है। यह सारा माल उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्वालियर, मुरैना आदि जिलों से आता है। उस समय एस० पी० सांगवी भी मौजूद थे। उनसे भी मैंने यह कहा तो

(श्री सूबेदारसिंह)

उन्होंने कि कहा आप लिख कर दे दीजिये, तभी जाब्ता कार्यवाही हो सकती है । मैंने लिख कर दे दिया और एफ० आई० आर० में वह मामला भी दर्ज हो गया लेकिन उस व्यापारी के खिलाफ, ट्रक के मालिक के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। वह व्यापारी रोजाना उनके पास आता है, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती । मेरा इस संशोधन पर बोलते हुए यही कहना है कि इस प्रकार के कार्य करने वालों को गिरफ्तार किया जाय और सजा दी जाय ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को विचारार्थ लेने से पहले इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । उन्होंने इस बारे में दो दलीलें दी हैं । एक तो यह बात कही कि हिन्दुस्तान में आज जो जोन्स हैं वे कायम रहेंगे नहीं । इस बारे में जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता उनके ख्याल से इस प्रकार के बिल की आवश्यकता नहीं । दूसरी बात यह कही कि इसमें इतने स्ट्रिन्जेन्ट पॉवर्स हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इस पर विचार कर लिया जाय । इसके बाद उणियारा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार के कार्य के लिये बैलों का प्रयोग किया जाता है तो उनको छीना जाना वाजिब नहीं है । इसके बाद में भरतपुर से और धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव के सिलसिले में बहस करते हुए यह दलील दी कि तस्कर व्यापार चावलों का बहुत चल रहा है, गेहूं भी बाहर बहुत जाता है, इसके अन्दर कुछ अफसर और अधिकारी भी इन्वोल्ब्ड हैं, गाड़ियां भी कई दफा पकड़ी गई हैं लेकिन उनको छोड़ दिया गया आदि बातें उनकी ओर से कही गई । माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिये मैं यह कहूं कि धौलपुर और भरतपुर बोर्डर का इलाका है। वहां तस्कर व्यापार होता नहीं है, यह बात ठीक नहीं होगी । यह जो कुछ कहा गया वह काफी हद तक ठीक है और हम इस प्रयत्न में बराबर रहे हैं कि इस प्रकार होने वाले तस्कर व्यापार को कम किया जाय, इसके लिये ज्यादा चौकियां स्थापित करना कुछ ऑफिसरों को देखभाल के लिये और नियुक्त करना, इस बात पर विशेष तौर से जोर दिया गया । मैंने फूड सेक्रेटरी को इस बारे में कहा है कि इस प्रकार होनेवाले व्यापार को जल्दी से जल्दी रोका जाय और इसके लिये ठीक प्रकार से इन्तजाम किया जाय । हमारा प्रयत्न इस ओर है, लेकिन साधन कुछ कम हैं, उनको हम बढ़ाने में प्रयत्नशील हैं । अगर माननीय सदस्यों का इसी प्रकार सहयोग रहा तो हम इसमें कामयाब होंगे । जो कुछ बातें उन्होंने कहीं वे यदि मेरे नोटिस में लावेंगे, हालांकि आज तक मेरे सामने किसी भी माननीय सदस्य ने ये बातें नहीं रखीं, तो अवश्य कार्यवाही करेंगे । फिर भी वे कोई खास जानकारी मेरे लेवल तक भी देना चाहें तो भी इन्तजाम किया जा सकता है। कोशिश की जावेगी । इसलिये यह उनकी दलील ...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ये जो हाउस के सामने चार्जेज़ लगाये गये हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी विशेष चीज़ को लेकर नहीं लगाये गये। आम तौर से कही गई है।

श्री भैरोंसिंह : नाम लेकर चार्जेज़ लगाये गये हैं। धौलपुर के एक तहसीलदार ने सत्तर हजार ले लिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने तो कहा है कि ये भी बैठे हैं; नाम बताने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं। मैं बताऊं कि मैं नहीं जानता।

श्री भैरोंसिंह : वे बता देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे बता देंगे तो इन्क्वायरी कराऊंगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं बता दूं। धौलपुर के डी वाई. एस. पी. हैं, इस सम्बन्ध में उनको पूरा आठ आना मन मिलता है।

श्री अध्यक्ष : इस तरह की बहस यहां नहीं होनी चाहिये। मन्त्री महोदय ने कह दिया, आप उनके स्तर पर पर्स्यू कर सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मामला इस बिल के पास होने से ज्यादा सम्बन्ध नहीं रखता। फिर भी मैं इसका नोटिस लेने को तैयार हूं और इसके बाद में इस बारे में जो कार्यवाही करने को होगी की जावेगी। इस-लिये ये जो कुछ दलीलें दी जा रही हैं वे इस बात को और भी पुष्ट करती हैं कि ऐसे कानून का होना बहुत जरूरी है और जो इस प्रकार के कामों में आने वाले साधन हैं, जो तस्कर व्यापार में काम में लिये जाते हैं उनको भी ७ ए में इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं उनका भी सीज़ होना जरूरी है। यह सजा माकूल सजा होगी जो ऐसे व्यक्तियों को मिलेगी। इसलिये यह दलील कि सिलेक्ट कमेटी में इसे भेजा जाय समझ में आती नहीं। जब कानून का दायरा ही यही है सात दफा के बाद में सात ए जोड़ा जावे, बस इतना सा मामला है तो मेरे ख्याल से इसके बाद ऐसा कुछ मसला रह नहीं जाता कि विचार करें उस पर कोई सिलेक्ट कमेटी। इसलिए इस संशोधन के सपोर्ट में भी जो दलीलें दी गई हैं उनके हिसाब से भी मैं तैयार नहीं हूं सिलेक्ट कमेटी में इसको रेफर करने को। इसलिये वे विथड्रॉ करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और इसको विचारार्थ लेते हुए पारित करेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : एक जोड़ी बैल को भी जब्त करेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऊंट भी काम में लेते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक जोड़ी बैल की कीमत हजार रुपये की होती है और पचास का माल होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प मैंने इस आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश के ऊपर प्रस्तुत किया उसके संबंध में जो विचार प्रकट किये गये माननीय सदस्यों द्वारा वे लगभग सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में जो परम्परा अपनाई है उस बारे में मेरे भावों का समर्थन करते हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने जिस प्रकार

Page No.73

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का उत्तर इस सम्बन्ध में दिया, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वह उत्तर कतई सन्तोषजनक नहीं है।

मैंने संकेत किया था कि अध्यादेश जारी करने की जो सरकारी परम्परा है वह ठीक नहीं है और इस प्रकार के अध्यादेश जारी करने के अधिकार अत्यावश्यक विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग में लाने चाहिये ! परन्तु सरकार किसी भी तरीके और दलील से यह सन्तोष नहीं करा सकी और स्पष्ट नहीं कर सकी कि अप्रेल, मई और जून महीनों में इस प्रकार के तस्कर व्यापार की अधिक संभावना थी और जिस समय कि इस प्रकार के अध्यादेश की अधिक आवश्यकता थी उस समय जारी न करके चार जुलाई, ६० को जारी किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संकल्प प्रस्तुत करने का केवल मात्र आशय राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का था कि इस प्रकार के अधिकारों का उपयोग बहुत ही सावधानी से और उचित समय पर किया जाय। माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है मैं उसे सन्तोषजनक नहीं मानता और जहां तक मेरे संकल्प का सम्बन्ध है मैं इसे सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के सम्मुख तीन प्रश्न हैं, जिन्हें एक एक करके मैं सदन की अनुमति जानने के लिये प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है, "कि जो संकल्प श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने रखा है कि यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किये गये अत्यावश्यक वस्तु (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, १९६० को अस्वीकार करता है, को स्वीकार किया जाय।"

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि एसेंशियल कॉमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेन्स, १९६० को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

अमेंडमेंट है एक श्री पी. के. चौधरी का। पर वे उपस्थित नहीं हैं।

(विराम)

थर्ड रीडिंग का प्रस्ताव।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री नाथूराम मिर्धा ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान भूमि–एकीकरण-कर्म वैधकरण विधेयक १६६०

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : दी राजस्थान होल्डिंग्ज़ कन्सोलिडेशन ऑपरेशन्स वेलिडेटिंग बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होल्डिंग्स कन्सोलिडेशन ऑपरेशन्स वेलिडेटिंग बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान होल्डिंग्ज़ कन्सोलिडेशन ऑपरेशन्स वेलिडेटिंग बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होल्डिंग्ज़ कन्सोलिडेशन ऑपरेशन्स वेलिडेटिंग बिल, १६६० को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विधेयक पारित किया गया।

२.२५ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होल्डिंग्ज कन्सोलिडेशन ऑपरेशन्स वेलिडेटिंग बिल, १६६० को.......

श्री नाथूराम मिर्धा : पास कर दिया।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह तो पास हो गया।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : बिल शायद यों ही जल्दी पास हो गया है। हम तो समझ रहे थे कि इसे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब पेश करेंगे। कृषि मन्त्री महोदय यों ही कह गये और किसी का ध्यान ही नहीं गया और यह यों ही पास हो गया।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

आप अपना भाषण आरम्भ रखेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): किस पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लैंड रेवेन्यू बिल का है, और कुछ मत बोल जाना।

Page No.75

राजस्थान कृषि-भूमि उपभोग (संशोधन) विधेयक, १९६०

(पारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान कृषि भूमि उपभोग (संशोधन) विधेयक, १९६० को पारित किये जाने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार। यह प्रस्ताव दिनांक २ अप्रेल, १९६० को प्रस्तुत किया गया था।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि भूमि उपभोग (संशोधन) विधेयक, १९६० पिछले सत्र में इस सदन में प्रस्तुत किया गया था। उस समय भी सदन में इसका विरोध जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने किया था उससे मुझे यह आभास हुआ था कि शायद अगले सत्र में जिस प्रकार से और बिल हमारी सरकार ने वापिस लेने की अनुमति इस सदन से प्राप्त की है उसी प्रकार से इस विधेयक को वापिस लेने की अनुमति भी माननीय राजस्व मन्त्री महोदय इस सदन से प्राप्त करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इस संबंध में यह निश्चय किए हुए है कि यह विधेयक इस सदन में पारित करवाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसके प्रिन्सिपल का सवाल आता है कि किसी पड़त जमीन को यदि कोई किसान दो साल तक काश्त नहीं करे और कलेक्टर को इसका संतोष हो जाये कि किसान बिना किन्हीं खास कारणों के इस जमीन को पड़त रख रहा है तो कलेक्टर को पहले के कानूनों के अनुसार यह अधिकार था कि वह उस भूमि को ३ वर्ष के लिए किसी और किसान को आरजी काश्त करने के लिए बता दे। सरकार अब यह संशोधन ला रही है कि ३ वर्ष के स्थान पर ५ वर्ष कर दिए जायें। उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के जो उद्देश्य दिए गए हैं उनके विवरण को देखने के पश्चात् ऐसी कोई दलील सामने नहीं मिलती कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह संशोधन आवश्यक है। आज की परिस्थितियों के अन्दर यदि हम इस कानून को विचार करके देखें तो यह बिल्कुल अनावश्यक कानून मालूम होता है। अभी सरकार ने पिछले सत्र में एक कानून बनाया था और उसके द्वारा अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की थी। अब उसके बाद एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या राजस्थान के अन्दर अब भी लोगों के पास इस कानून के लागू होने के पश्चात् इतनी अधिक भूमि बच रही है कि जिस भूमि को जोत कर या उसी भूमि को पड़त रख कर कोई किसान अपनी भूमि दूसरे किसान को देने की परिस्थितियों का निर्माण कर दे ? मैं ऐसा समझता हूं कि यदि कोई किसान है और वह किसान उस भूमि की जोत से अपना जीवन निर्वाह करता है तो उसके लिए लाजिमी होगा कि वह किसान जमीन को जोत सके और उसके रिटर्न से अपने जीवन का निर्वाह करे। आज की परिस्थितियों में जहां जमीन की कमी है, आज की परिस्थितियों में जहां सरकार यह तय करके चल रही है कि हमें जमीन का बंटवारा करना है और जिन लोगों के पास अधिक भूमि है वह भूमिहीनों में तकसीम करनी है उस स्थिति में कोई इस कल्पना के ऊपर चले कि जमीन की राजस्थान में बहुतायत है और आदमी अपनी जमीन को पड़त रख कर अपना ही कब्जा

(श्री भैरोंसिंह)

बनाये रखने की नीयत से उसका मालिक बना रहेगा, मैं समझता हूँ कि राजस्थान में ऐसी परिस्थिति आज नहीं है। हां, यह बात अवश्य है कि आज से कुछ दिनों पहले जिन लोगों के पास जमीन थी और जिनके पास काश्त करने के इतने साधन नहीं थे और साधन जुटा भी नहीं सकते थे आज उन काश्तकारों से जब आपने कानून बना कर जमीन लेने की व्यवस्था की है उसके बाद में जमीन नहीं बचती है कि जिसको पड़त रख कर दूसरे व्यक्ति को देने का प्रावधान हो और उसके लिए कानून में उसको रखवाने की परिस्थिति पैदा कर दी। जब हमने ३ वर्ष की व्यवस्था की थी तो मुझे याद है कि इस सदन में पहले भी सरकार की जो व्यवस्था थी वह केवल २ वर्ष की थी। इस सदन में इस प्रकार की बातें रखी गई कि २ वर्ष के अन्दर ऐसी फसलें होती हैं, रोटेशन की परिस्थिति ऐसी बनती है कि एक साल तक जमीन को पड़त रखने के बाद तीसरे वर्ष उस जमीन का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। २ साल का मतलब यह है कि हम केवल एक साल के लिए काश्त करने के लिए भूमि को देते हैं और एक साल काश्त करने का मतलब यह होगा कि एक साल के लिए जमीन उसी तरह पड़त रहेगी और पूरा रिटर्न उसको नहीं मिल सकेगा। इसलिए यह प्रावधान रखा गया था कि हमें ३ वर्ष की व्यवस्था रखनी चाहिए। अब मैं नहीं समझता कि ५ वर्ष की व्यवस्था ३ वर्ष की व्यवस्था के स्थान पर क्यों रखना चाहते हैं ? क्या किसानों ने मांग की है कि हमें जो आराजी काश्त मिलती है वह ५ वर्ष के लिए मिलनी चाहिए या उनकी तरफ से यह मांग है कि ३ वर्ष में रिटर्न पूरा नहीं आता ? हमने टिनेन्सी एक्ट में व्यवस्था रखी है कि कोई भी व्यक्ति सब-लेटिंग ५ वर्ष के लिए किसी को काश्त के लिए दे देता है, हमने प्रावधान रखा है कि उसका मतलब यह होगा कि यह जमीन लेने का या ऐसे लोगों से जमीन छीनने का जिनके पास आज जमीन को जोतने के साधन नहीं हैं उनसे जमीन वापिस लेने का तरीका है। आज कई आदमी जिनके पास साधन नहीं हैं, आज मन्त्री महोदय मानें या नहीं मानें, सरकार यह कह कर नहीं बच सकती कि हमने तकावी देने की व्यवस्था कर रखी है, बीज भी अच्छा देने की व्यवस्था कर रखी है, खाद भी हम दिलाते हैं, लेकिन इसके इन्कार नहीं किया जा सकता कि जो भी ये सहूलियतें दी जाती हैं तकावी देने, बीज बांटने की या बैल वगैरह के लिए लोन आदि देने की इन सब चीजों के देने के अन्दर राजनैतिक दृष्टिकोण भी सामने रहता है। आज चाहे कोई इसको इन्कार करे लेकिन गांवों में जो प्रत्यक्ष बात है उसको सामने रख कर यदि उसका अनुमान लगाया जाये तो इस निष्कर्श पर पहुंचेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से ऐसे लोन दिए जाते हैं। तो कोई भी आदमी जो साधनविहीन है और गरीब है तो मैं कहता हूं कि आज भी राजनीतिक दृष्टिकोण से तकावी देने के बावजूद भी कई लोगों के पास अच्छी मेड़ नहीं हैं, अच्छे बीज नहीं हैं, अच्छी खाद नहीं है, अच्छे बैल नहीं हैं, कुंओं के लिए पैसे नहीं हैं और हमारे राजस्थान में कई जमीनें ऐसी हैं कि जो दो साल तो क्या तीन साल भी पड़त रखनी

(श्री भैरोंसिंह)

पड़े तो उसके बाद में उस जमीन की पैदावार ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। मारवाड़ में ऐसी भी जमीन हैं कि जो दो-दो और तीन-तीन साल तक पड़त रखनी पड़ती है और उसके बाद में कुछ फर्टिलिटी आती है और दो-तीन साल बाद काश्त होती है। एक आदमी जो साधनविहीन है और कमजोर है उसको सहायता दें, यह तो किसी भी सरकार के लिए शोभा की चीज हो सकती है लेकिन हमारी समाजवादी व्यवस्था करनेवाली सरकार के पास साधन नहीं होने की वजह से गरीबों को जीमन छीनने की यदि सरकार सोचे तो यह कहना पड़ेगा कि इसके पीछे रहस्य है। आज की सरकार चाहती है कि किसी आदमी को साधन मिल नहीं सके हैं और जो अपनी आदत मेन्ड नहीं कर सका है और कोस्ट ऑफ प्रोडेक्शन के सामने प्रोफिट कम होता है उन सारी परिस्थितियों से जो उनकी इकोनोमिक कन्डीशन खराब होती जा रही है उसको सामने रखते हुए २ साल तक काश्त छोड़ दे तो सरकार का फर्ज तो यह होता कि वह तकावी देकर उसको साधन-सम्पन्न बना कर उस खेत की काश्त उसी व्यक्ति से करवाते। लेकिन सरकार ने कहा है कि कलेक्टर का नोटिस मिल जायेगा, उसके बाद में उसको कोई साधन और सुविधायें नहीं दी जायेंगी। साथ ही जमीन छीन ली जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होने जा रही है। एक तरफ हम कहते हैं कि नेशनल इनकम लोगों की बढ़ेगी, लोगों की पर-कैपिटा इनकम बढ़ेगी और दूसरी तरफ कहते हैं कि एग्रीकल्चरल फेसिलिटीज़ दी जा रही हैं तो हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आज साधनविहीन है क्या वह ५ वर्ष तक अपनी भूमि को पड़त रख कर साधन-सम्पन्न हो सकेगा? क्या ५ वर्ष तक यह कल्पना है कि आज जो किसान बिना सारी सुविधा और साधनों के मजबूरी से सरकार के सामने समर्पण कर रहा है वह ५ साल तक नंगा रहेगा, भूखा रहेगा? एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों को कुंओं के लिए तकावी देंगे, बीज खरीदने के लिए लोन देंगे, अच्छी खाद देंगे और दूसरी तरफ अगर उससे पड़त का नाम लेकर जमीन छीन लेंगे तो यह उनके साथ अन्याय होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित् रूप से कह सकता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था से कई किसानों की जमीन छिन जायेगी। केवल इतना कह देने से कि कलेक्टर इसको देखेगा, कलेक्टर न्याय करेगा, इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, पर मैं समझता हूं कि उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। आज की सरकार के रैड-टेपिज्म के कारण कलेक्टर ने यदि एक नोटिस दे दिया कि अमुक जमीन को हम अपने कब्जे में करने वाले हैं तो उसकी फसल ३-४ साल तक नहीं होगी और फिर उसके ऊपर जल्दी से कोई निर्णय नहीं होगा। आज कई केसेज़ सन् ४५ के चले आ रहे हैं। आज अर्बन इम्प्रूवमेंट की स्कीमों के अन्तर्गत जो लैण्ड एक्वीज़ीशन के नोटिस दिए गए थे उनका आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ और यदि कलेक्टर ने इस तरह के नोटिस दे दिए और उनके सामने यदि साधन सम्पन्न हैं इस प्रकार का विश्वास दिला दिया तो वे लोग अपनी जमीन को रिटेन कर सकेंगे, नहीं तो सारी जमीन कलेक्टर के सामने

(श्री भैरोंसिंह)

सरेण्डर करनी पड़ेगी । सरकार यह बताये कि इसमें क्या दलील है कि वह २ वर्ष को हटाकर ५ वर्ष क्यों करना चाहती है ? एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, चार साल नहीं, पांच वर्ष तक जमीन पड़त रखी जाये तो आप ही बताइये कि हमारे राजस्थान में ऐसी कौनसी खाद है या जमीन है कि जिसको ५ साल तक पड़त रखने के बाद फिर वह खूब अच्छा रिटर्न देगी? रोटेशन सिस्टम में ऐसी क्या बात है, सोइल कन्ज़र्वेशन की ऐसी कौनसी प्रोब्लम आ गई, कौनसी खाद उनके पास है जो आज डालने के ५ वर्ष बाद फायदा देगी ? राजस्थान में जो सबसे बढ़िया खाद मींगनी की मानी जाती है उसको भी यदि डाल दिया जाता है तो ३ वर्ष के बाद फायदा नहीं होता । आप ही बतायें कि वह कौनसा बीज है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि वह डाल दें और ५ वर्ष के बाद उसका उपयोग मालूम हो, वह कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के आधार पर आपका क्लेम न्याय संगत हो सकता है ? मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से क्लेम न्याय संगत नहीं है, बल्कि किसानों के साथ में एक प्रकार की ज्यादती है, उनका गला घोंट कर गरीब किसानों की जमीन छीनने का एक प्रकार से षडयन्त्र है । राजस्थान के गरीब उसका लाभ न उठा सकें और राजस्थान में समाज व्यवस्था के प्रतिकूल उन अमीर आदमियों को वे ज़मीनें देने के लिए उन गरीबों की जमीनें छीनने की व्यवस्था कर रहे हैं । जमीन देने के लिए लिखा गया है कि जमीन उन आदमियों को मिलेगी जो कि भूमिहीन किसान हैं, लेकिन राजस्थान सरकार हनुमानगढ़ के उन गरीब किसानों पर लाठियां चलाती है, इसलिए लाठियां चलाती है कि गरीब किसान जमीन न ले सकें और अमीर किसान एक एक लाख में एक एक मुरब्बा खरीदें चाहे २ लाख में एक मुरब्बा खरीदे । लाखों रुपये की संपत्ति उसके पास है वह मुरब्बा खरीद करे और गरीब किसानों पर लाठियां चलें ! यह राजस्थान सरकार का नमूना है, गरीब किसानों के हित में काम करने वाली सरकार का नमूना है । इस सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती है यह जो लैण्ड युटीला-इजेशन एक्ट से सरकार अपने हाथ में जमीन करना चाहती है वह जमीन इसलिए नहीं लेना चाहती है कि छोटे, गरीब किसानों को दे, बल्कि यह जमीन ऐसी है जो कि राजनैतिक गतिविधियों को देख कर नेता लोगों को जमीनें दी जायेगी या ऐसे लोगों को मिलेगी जो कांग्रेस को इलेक्शन के अन्दर सहायता दे सकते हैं । उन लोगों के लिए जमीनें लेना चाहते हैं तो क्यों नहीं खुले रूप से कोई कानून बना दें कि कांग्रेस को जीताने के लिए गरीब किसानों की जमीन छिन रही हैं अल्पमत में होने के नाते, हमारे असहयोग करते हुए भी कानून बना सकते हैं । ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस कानून की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है; यह कानून पारित नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, अधिक उत्पादन की दृष्टि से लैण्ड युटिलाइजेशन एक्ट सन् १९५४ में पारित किया गया था । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद आप देखेंगे तो विदित होगा कि इसका पालन ६ वर्ष में कुछ भी

(श्री सोहनलाल भटनागर)

नहीं हुआ है। इस एक्ट के अन्तर्गत अभी तक मेरे ख्याल से ५-१० बीघा भी भूमि नहीं ली गई। कितने ही एकड़ भूमि जिसमें अच्छी कृषि हो सकती है, वह मेरे ख्याल से यों ही पड़ी हुई है। इस दृष्टिकोण से जो दिक्कत सामने आई है उस दिक्कत को लेकर बिल सामने आया है।

माननीय उपाध्यक्ष, लैण्ड युटिलाइजेशन बिल में काफी गुन्जाइश रखी है। एक दम भूमि नहीं ली जायगी। सब से पहले नोटिस दिया जायगा कि या तो वह अपने आप कृषि करे या अपने सब-टिनेन्ट से कृषि कराये। अगर उस नोटिस की तामील नहीं करता है तभी जमीन ली जायगी। दूसरे को कृषि करने के लिए दी जायगी कलेक्टर की मारफत। जैसा कि श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा है कि यह गरीब किसानों पर काफी जुल्म है, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। गरीब किसान हैं लेकिन राष्ट्र के अन्दर खाद्य की समस्या बहुत बड़ी है। उत्पादन के बढ़ाने की दृष्टि से यह अधिनियम पेश किया गया था। यह उसकी स्पिरिट, उसकी भावना के अनुकूल है।

दूसरा, ३ से ५ वर्ष की अवधि बढ़ाई गई है। इसके बारे में भी स्पष्टीकरण उपस्थित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वतः कहा है कि हमने टिनेन्सी एक्ट के अन्दर सब-टिनेन्ट को ५ वर्ष तक जारी रखने का प्रावधान रखा है। हम यह देखते हैं कि किस भूमि को देते हैं। कलेक्टर या तहसीलदार उस भूमि को देगा तो वह उसी स्थिति में लेने को तैयार होगा जब कि ५ वर्ष होंगे तभी वह उसके अन्दर इम्प्रूवमेंट कर सकेगा, कुछ पैसा लगा सकेगा और जमीन को ठीक कर सकेगा। इस दृष्टिकोण से ५ वर्ष की सीमा जो रखी है वह बिल्कुल उचित है।

तीसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ५ वर्ष की मैग्ज़ीमम अवधि रहेगी, लिमिट रखी है जिसमें एक वर्ष भी हो सकता है। अलग अलग ज़मीन और अलग अलग व्यक्ति की जैसी परिस्थिति होगी उसके मुताबिक उस सीमा के अनुकूल अवधि दी जायगी। इसलिए मेरे ख्याल से जो संशोधन लाया गया है वह बहुत उचित है। सामाजिक न्याय और उत्पादन को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए इसको पारित करना बहुत ही आवश्यक है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चर लैण्ड युटिलाइजेशन एक्ट में जो इस बिल के द्वारा एक छोटा सा संशोधन लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कल भूमियों की क्या परिस्थिति है और भूमि का प्रश्न राजस्थान में कितना अहम होता जा रहा है, इस बात से इस सदन के सभी महानुभाव वाकिफ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज भूमियों की जो दशा है और भूमियों के वास्ते आज लोग कितने लालायित हो रहे हैं, उस बात को देखते हुए राजस्थान की किसी भी भूमि का टुकड़ा बिना काश्त नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के वास्ते बहुत ज्यादा ज़मीनें होने की वजह से अपनी जमीन का बहुत बड़ा भाग यों ही पड़ा रहने देते हैं, केवल पशु चराने के काम में आता है। यदि आपको

(श्री रामचन्द्र)

इसकी मिसाल देखनी है तो आप कोटा डिवि- जन के किसी भी भाग को देखें, स्पेश्यली झालावाड़ जिले में जाकर देखें। रियासतों के जमाने में जो जमीनों की परिस्थिति थी आज वह बिल्कुल बदल गई है। रियासतों के जमाने में काश्तकार कम थे और वे छोटी छोटी खेती किया करते थे। आज काश्तकारों की संख्या अधिक बढ़ गई है और बड़ी बड़ी भूमियों के ऊपर वह खेती करना चाहते हैं। उस जमाने में जब कि ज़मीन की इतनी कद्र नहीं थी लोगों के पास सैकड़ों बीघा जमीन वैसे ही पड़ी रही है, जिनको २-४ आना बीघा का लगान देना पड़ता था। अब भी जमीनों के मालिक बने हुए हैं। न वे उनके ऊपर खेती करते हैं, लेकिन मालिक बने हुए हैं। उस जमाने से जानवरों की चरागाह बनी हुई है जब कि इस ज़माने में राजस्थान के सामने 'अधिक अन्न उपजाओ' का प्रश्न चल रहा है, और राजस्थान की एक एक इंच भूमि को अन्डर कल्टीवेशन लाना आवश्यक है। तब इस प्रकार से ज़मीन का बेकार पड़े रहना राष्ट्र के हित के लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान की जमीन का बराबर यूज़ हो, राजस्थान के भूमिहीन किसानों को ज़मीन मिले, चाहें वह थोड़े ही समय के लिए हो, लेकिन उनको जमीन मिलनी चाहिए। यह जो तीन वर्ष के बजाय ५ वर्ष रखे गये हैं यह बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि आज कल खेती करना साधारण बात नहीं है। पहले बैलों की कीमत, हल और खेती करने के अन्य साधनों का मूल्य बहुत साधा- रण होता था। किन्तु आज बैल, खाद, बीज आदि की कीमत बढ़ गई हैं। यदि कोई आदमी किसी भूमि पर खेती करना चाहता है, उसको हम कहते हैं कि केवल ३ वर्षों के लिए ही तुम खेती कर सकते हो और खेती करने के लिये तीन वर्षों में वह जो पैसा लगायेगा उसका फायदा नहीं उठा सकता तो उसका पैसा लगाना व्यर्थ जायगा। यदि उसको ५ वर्ष का समय देते हैं तो अवश्य ही वह जितना पैसा उसमें लगावेगा उससे अधिक कमा लेगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ५ वर्ष ही नहीं बल्कि ऐसी भूमि जो किसी के काम नहीं आती है उसको यदि १० वर्षों के लिये भी दे दिया जाय तो उप- योगी होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल के द्वारा जो मूल एक्ट में संशोधन लाया जा रहा है वह आवश्यक है और तीन वर्ष के बजाय पांच वर्ष करना चाहिये और यह उपयुक्त है।

श्री किशनसिंह बटड़ (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जमीन के बारे में यहां पर चर्चा चल रही है। इस बारे में मुझे अर्ज यह करनी है कि राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग किस्म की जमीन है और जो काश्तकार हैं उनको अपने मवेशियों को चराने के लिये उनकी जमीन का कुछ भाग रखना पड़ता है, जो बहुत जरूरी होता है। किसान के पास बैल, गाय, भैंस, ऊंट आदि जानवर होते हैं। चतुर्मास में जब जमीन पर काश्त होती है तब वह इन मवे- शियों को कहां रखे; यह प्रश्न उसके सामने होता है घर में कहां रखे और घर में रखे भी तो उनको खिलावे क्या ? इसलिये उसको अपनी जमीन का एक हिस्सा अपने मवे- शियों के लिये रखना पड़ता है। वह जमीन तीन-चार वर्ष तक पड़ी रहने के बाद फिर से जुतती है तो उसमें काश्त के लिये ताकत

Page No.81

(श्री किशनसिंह)

होती है और अनाज अच्छा पैदा होता है। हमारे यहां सीकर, शेखावाटी व बीकानेर की जो जमीन है उसको बारबार जोत नहीं सकते। यदि उसको बार–बार जोतेंगे तो तीन चार बार जोतने के बाद उसमें अनाज पैदा नहीं होगा, उसमें खाद भी नहीं दे सकते क्योंकि वह सिंचाई की जमीन नहीं होती। उसमें केवल बरसात में ही काश्त करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप विधेयक के विरोध में बोल रहे हैं क्या ?

श्री किशनसिंह बाटड़ : मैं तो सुझाव दे रहा हूं। पड़त की जमीन पर काश्त नहीं करनी चाहिये, यह कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यदि जमीन को किसान जोतता रहेगा तो वह जमीन तीन वर्ष बाद नाज नहीं देगी। इसलिये यदि आप उन किसानों से जमीन छीन लेंगे तो वे बर्बाद हो जायेंगे। इसमें इस बात का खुलासा नहीं है कि कौन से जिले में जमीन पड़त रहनी चाहिये और किस किसान के पास कितनी जमीन रहनी चाहिये, और मवेशियों के लिये क्या राहत और सहारा होगा और वे अपनी भैंसें, गायें, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट आदि कहां चरायेंगे; यह बात विधेयक में दर्ज नहीं है। इसलिये मन्त्रीजी से कहता हूं कि कानून बनाते समय यह खुलासा किया जाय कि अमुक जिले में जो जमीन है वह पूरी जुतेगी तो सहारा नहीं रहेगा इसलिये इतनी जमीन रखनी पड़ेगी। हर किसान के पास २ गायें, २ भैंसें, ऊंट, बकरी आदि हों तो उनको कहां चरायेंगे...?

श्री उपाध्यक्ष : चरागाह का बंटवारा नहीं हो रहा है, यह विधेयक दूसरा है।

श्री किशनसिंह बाटड़ : चरागाह सब जगह नहीं है, इसलिये अमूमन किसान अपनी जमीन पर पशुओं को पालते हैं क्योंकि एक गांव में १०० घरों की बस्ती होती है और हजारों पशु होते हैं और जो चरागाह होता है वह छोटा होता है उसमें निभ नहीं सकता। वे तो जो उनके पास थोड़ी जमीन होती है उससे काम चलाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हू कि अलग अलग भूमि की स्थिति को देखते हुए वहां के किसानों को कुछ जमीन दीजिये जिसको वे रोटेशन के लिये छोड़ सकें और मवेशियों को भी चरा सकें। इस तरह की तरमीम करते हैं तो ठीक है वर्ना मैं भी इसका विरोध करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे अपने जिले का अनुभव है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को जान–बूझ कर कुछ जमीन पड़त रखनी पड़ती है। यदि वे पड़त नहीं रखते हैं तो मवेशी नहीं रह सकते।

इतना कहने के बाद मैं निवेदन करूंगा कि इस पर दुबारा विचार करना चाहिये और बताना चाहिये कि अमुक २ जगह के किसान इस तरह से जमीन जोतेंगे और इतनी जमीन रख सकेंगे।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक विचारार्थ है मैं उसके विपक्ष में बोल रहा हूं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि अन्न की देश में कमी है इसलिये उत्पादन बढ़ना चाहिये। इस दृष्टि से हम विचार करते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि जितनी भूमि है वह पड़त नहीं रहे और सब पर काश्त होनी चाहिये। दूसरा सिद्धान्त यह है कि पड़त

(श्री लच्छूराम)

भूमि उन किसानों के पास रहेगी जिनके पास जरूरत से ज्यादा भूमि है। लेकिन जब हमारे यहां सीलिंग का कानून लागू हो गया तो यह प्रश्न सामने नहीं आता कि किसी किसान के पास जरूरत से ज्यादा भूमि रहेगी । इसलिये यह स्पष्ट है कि किसी के पास जरूरत से ज्यादा नहीं है ।

दूसरा प्रश्न यह सामने आता है कि हो सकता है, इस प्रकार के किसान हों जिनके पास आदमियों की कमी है और सीलिंग में जितनी जमीन है उस पर काश्त नहीं कर सकते । मैं राजस्थान के सभी हिस्सों के लिये तो नहीं कहता कि पड़त रहनी चाहिये लेकिन राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनकी जमीन ऐसी है कि दो–चार साल लगातार काश्त करते हैं तो उसमें अनाज नहीं होता है। इस प्रकार हिस्से झुंझुनूं, सीकर का कुछ हिस्सा, चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वगैरह में हैं। ये इलाके इस प्रकार के हैं जहां केवल बैरन जमीन है जहां एक ही फसल होती है, जो वर्षा पर आधारित होती है और वह जमीन भी इस प्रकार की है कि लगातार उसमें बाजरा या और कोई अनाज बोते जायेंगे तो तीन, चार साल बाद उसकी उपज खत्म हो जायगी। जो 'ग्रो मोर फूड' का सिद्धान्त अलग रह जायगा और कमी में चला जायेगा। एक तरफ तो हम यह नारा लगाते हैं कि हिन्दुस्तान में जो पशुधन है या राजस्थान में जो पशु धन है उसको बढ़ाना चाहिये, अच्छी नस्ल की भेड़ें और गायें रखनी चाहिये। मतलब यह है कि एक तरफ तो पशुओं की तरफ जोर देते हैं और दूसरी तरफ उनके लिये चरागाह का कोई प्रश्न नहीं है। बहुत से इलाके तो ऐसे मिलेंगे जहां गोचर के लिये १०० बीघा जमीन भी नहीं है और वहां पर हजारों मवेशी हैं। बैरन जमीनवाले किसानों के दो तरह से पैदावार होती है, एक तो जमीन से और दूसरी पशुओं से। पशु और खेती ही उनके जीवन का जरिया है लेकिन पशुओं को चराने के लिये उनके यहां इतना गोचर नहीं है जिसमें वे अपनी सभी पशुओं को चरा सकें । इसलिये हर किसान अपनी जमीन में से चरागाह के लिये भूमि रखता है। चार–पांच साल तक जमीन पशुओं के लिये पड़त रखता है और फिर उसमें खेती करता है और उतना ही जमीन का दूसरा हिस्सा पशुओं के लिये छोड़ देता है। यह जो संशोधन ला रहे हैं कि देश में अन्न की कमी है इसलिये हर जमीन को जोतने से ज्यादा अन्न पैदा होगा: लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं इससे अन्न का उत्पादन अधिक नहीं होगा

३. म. प.

और इस प्रकार से सारी भूमि पर काश्त करवा देंगे। तो इस प्रकार मैंने बतलाया कि इन एरियाज़ में, इन जिलों में भूमि है उस पर लगातार काश्त करने से अन्न पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जायेगी। तो इसका जो उद्देश्य है, अधिक अन्न पैदा करने का, उसमें सफल नहीं होंगे। इसलिए यह कानून बनाते वक्त यह सोचना चाहिए कि राजस्थान के कौनसे कौनसे हिस्सों में यह कानून लागू करना चाहिए। मैं जहां तक सोच पाया हूं मैंने जैसा बतलाया, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, नागौर,

(श्री लच्छूराम)

बीकानेर इस प्रकार के एरियाज़ हैं जहां जमीन कम उपजाऊ है। वहां पर जमीन तब ही ज्यादा उपज देगी, जब चार–पांच साल के लिए छोड़ दी जायगी, जैसा कि आम तौर पर किसान करते हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो अन्न की कमी नहीं होगी, दूसरे पशु धन का भी पालन होगा। इसलिए इसमें जो तीन साल का पांच साल किया है, इसके मैं फन्डामेन्टली खिलाफ हूं। यह इस प्रकार के एरियाज़ में लागू नहीं होनो चाहिए। अगर कोई चरागाह के लिए जमीन रखता है तो वह जमीन दूसरे को दे दी जायगी, तीन साल के लिए, पांच साल के लिए। इसलिए इस कानून को बनाने से पहले, मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि हमें यह सोचना चाहिए कि राजस्थान में ऐसे कौनसे एरियाज़ हैं जहा अगर जमीन चरागाह के लिए नहीं छोड़ी जायगी तो जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जायगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर इस कानून को पास करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, उपाध्यक्ष महोदय, इस पॉइन्ट का क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि जो जमीन काश्तकार अपने बैलों के लिए छोड़ता है उसको भी गवर्नमेंट दो साल के लिए और जब्त कर लेगी? बार बार यह बात उठ रही है, हम कुछ जमीन पशु–धन के लिए रख लेते हैं, तो क्या सरकार राजस्थान लैंड युटिलाइज़ेशन एक्ट के अन्तर्गत ले लेगी? जो जमीन काश्तकार मवेशियों के लिए छोड़ते हैं, उसका क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब के वक्त इसका क्लेरिफिकेशन ठीक कर लीजिये।

(विराम)

Any more speakers?

(श्री दयाकृष्ण विजय के खड़े होने पर)

Yes, Shri Vijay.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है एग्रीकल्चरल लैंड युटिलाइज़ेशन अमेंडमेंट बिल, १९६० मैं इसके विरोध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को यहां प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों हुई। यदि हम इस पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार की जो नीयत है, उसमें किसी प्रकार की कोई खराबी जरूर है। जैसे सरकार के अब तक हथकंडे रहे हैं कि किस जमीन को किस प्रकार छीना जाय और किसानों को किस प्रकार से भूमिहीन बना दिया जाय और सारी जमीन को सरकारी नियन्त्रण में किस प्रकार लाया जाय; उसी योजना की ओर यह एक कदम है, ऐसा मैं समझता हूँ। राजस्थान में जहां कहीं भूमि का अलॉटमेंट किया जाता है, लोगों को इस बात पर पाबन्द किया जाता है कि वे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनायें। जमीन किसी व्यक्ति को अलॉट नहीं की जायगी, बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से अलॉट की जायगी। जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए तैयार होते हैं, जमीन का खातेदारी अधिकार जब्त कराने के लिए तैयार होते हैं उनको सब प्रकार की सुविधायें

Page No.84

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दे दी जायगी । सरकार इस प्रकार से लैंड छीन रही है समाजवाद के नाम पर । काश्तकारों की खातेदारी छीन ली जायगी, उनको बेदखल कर दिया जायगा और जमीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम पर रख दी जायगी । यह कदम किस कारण से उठाया जायगा? जैसा मुझसे पूर्व बोलनेवाले माननीय सदस्य ने कारण बतलाया कि वह कारण है कि अगर कोई काश्तकार दो साल के लिए जमीन नहीं जोतता है तो उसको इस प्रकार का दंड दिया जायगा और उससे पांच साल के लिए जमीन छीन लेंगे । यदि ऐसा करते कि दो साल के लिए कोई जमीन नही जोतता है तो उससे जमीन दो साल के लिए कोस लेंगे, तो बात समझ में आती कि दो साल के बाद में जमीन सरकार दे देगी । उसके बाद भी वह काश्तकार काश्त नहीं कर पाता है, रोटेशन के बाद भी तो फिर इस प्रकार का प्रावधान लगा सकते हैं ! लेकिन आपने दो साल की, तीन साल की पहले कलेक्टर को पॉवर्स दी हैं कि कोई काश्तकार दो साल के लिए खेती नहीं करता है, काश्त नहीं करता है तो कलेक्टर तीन साल के लिए जमीन ले लेगा और किसी व्यक्ति को वह जमीन दे दी जायगी काश्त करने के लिए । जब इतना बड़ा प्रावधान था तब तीन साल के बजाय पांच साल करने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह समझ में नहीं आता । मैं समझता हूं कि सरकार की नीयत चूंकि काश्तकार को हटाने की और सरकारी नियंत्रण कायम करने की है और यह नीति सहकारी खेती के नाम पर चल रही है, उसको केवल प्रश्रय देना मात्र है, वर्ना सरकार एक्ट के प्रति, जो वह बना रही है, सिन्सियर होती, उसका पालन कड़ा करती होती, तो जो लैंड सीलिंग बिल पास किया गया है उसको जल्दी से जल्दी राजस्थान में लागू करने की कोशिश करती । इससे न तो लोगों के पास फालतू जमीन होती और न जमीन बेकार पड़ी रहती । हर एक काश्तकार यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वह जमीन पर उत्पादन करे और अपने परिवार का पालन-पोषण करे । लेकिन सरकार यह नहीं चाहती कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनकी जमीन वे कानून के अन्तर्गत ली जावे और वह जमीन भूमिहीन को दी जावे । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि कुछ लोगों को अपनी भूमि इसलिये पड़त रखनी पड़ती है कि उनको समय पर बीज नहीं मिलते या अन्य कोई भी कारण हो सकता है । जैसे पाली से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि बैलों को चराने के लिए उस जमीन को रख सकता है तो क्या उसको भी इसके अन्तर्गत माना जावेगा ? यदि कोई फसल खराब हो गई और उस कारण से पड़ी है या कोई यह चाहे कि खरीफ की फसल करेगा या कहीं फसल गल जाती है या प्राकृतिक या दैवी प्रकोप से काश्तकार काश्त नहीं कर सकता है तो यह कोई न्याय नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो वर्ष नहीं थे, तीन वर्ष का प्रावधान था उसके बजाय आपने ५ वर्ष का प्रावधान रखा है, इसके पीछे क्या दलील है ? मैं समझता हूं कि इसके पीछे कोई जोरदार दलील नहीं है । कोई माननीय सदस्य कहें कि इसके पीछे सामाजिक न्याय या अधिक उत्पादन की आवश्यकता है । मैं यह कहूंगा कि उनके पास कोई हजारों बीघा जमीन तो होती नहीं। उनके प्लॉट इतने बड़े होते नहीं कि हमको

Page No.85

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ट्रैक्टर की तकावी देनी होगी या कोई भी व्यक्ति जमीन लेना चाहेगा तो वह पांच वर्ष के लिये जमीन लेना चाहेगा। इसके अलावा ५ वर्षों के बाद आप वह जमीन उसी व्यक्ति को देंगे जिससे आपने छीनी है। आखिर तीन वर्ष और ५ वर्ष में क्या अन्तर पड़ता है ? अगर इस बिल को नहीं लाते तो तीन वर्षों के बाद उससे ले सकते थे।

आज जमीन पर इतना प्रेशर है कि अगर आप किसी भी काश्तकार को एक साल के लिये जमीन देना चाहें तो वह लेने के लिये तैयार है। हमारे यहां गांवों में देखते हैं कि काश्तकारों को प्रति वर्ष के लिये भूमि दी जाती है। वे लोग उस जमीन को एक वर्ष जोतते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। कोई भी काश्तकार, मैं समझता हूं कि अगर उनसे इकरारनामा ४ वर्षों के लिये जमीन काश्त कराने का कराएंगे तो वे नहीं करेंगे। जब आपने तीन वर्षों की बात रख ली है तो फिर पांच वर्षों का अधिकार देना और इसके लिये इस प्रकार का विधेयक लाना अनावश्यक चीज़ है। मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि आज काश्तकार जमीन को लेने के लिये तैयार है। आप इस प्रकार का युटिलाइज़ेशन बिल लाये हैं। माननीय मंत्री महोदय बताने की कोशिश करें कि ५ वर्ष का संशोधन लाना चाहते हैं, क्या उसके बाद काश्तकार लेने के लिये तैयार होंगे ?

आज मुझे विश्वास है कि अभी तक पहले जो एक्ट बना उसका उपयोग किसी भी तहसील में नहीं किया होगा और ऐसी जमीनों पर हस्तक्षेप नहीं किया होगा। किसी से कोई जमीन नहीं ली होगी। पहले तो तीन वर्षों की बात थी। अब पांच वर्षों की बात है तो क्या लोग लेने के लिये तैयार हो जावेंगे ? आज जमीन पर इतना प्रेशर है कि लोग जमीन को खाली पड़ी रखते हैं ! अगर रखते हैं तो या तो घास के लिये या भेड़ पालते हैं तो उनको चराने के लिये रखते हैं। आज कोई भी व्यक्ति पड़त जमीन रखना नहीं चाहता है।

इसके अलावा जब कि १९४९-५० से आपका सीलिंग बिल चल रहा है, लोगों ने अपनी जमीन का पहले ही बंटवारा कर दिया। आज लोगों के पास ज्यादा जमीन नहीं है। आपके सीलिंग बिल के लागू करने से पहले ही लोगों ने अपनी जमीन को डिवाइड कर लिया है। अब लोगों के पास फालतू जमीन नहीं है। इस प्रकार के उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे। हो सकता है कि जिस समय यह बना है उस समय दो-चार केसेज़ आपके सामने हों। अभी तो भूमि पर बहुत बड़ा प्रेशर है। इसलिये इस अनावश्यक बिल को लाने की जरूरत और फिजूल खर्चा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। तीन वर्ष और ५ वर्ष जमीन को देने में क्या अन्तर पड़ता है ? मैं समझता हूं कि इसमें न तो कोई सामाजिक न्याय है, न अधिक उत्पादन की बात है। हां, अच्छा होता अगर आप उस जमीन को खाली रखने का कारण देखते। अगर वह कहें कि उसके पास बैल नहीं है या उसको तकावी समय पर नहीं दी गई है या उसको बीज नहीं दिये गये या पंचायत समिति ने उसको किसी प्रकार की सहायता

(श्री दयाकृष्ण विजय)

देने में टालम टोल की है, तो उसकी दिक्कतों के कारणों को दूर करते और उसकी दिक्कतों को समझते। इससे यह होगा कि गरीब काश्तकार को सहकारी खेती के नाम पर बेदखल किया जावेगा और नये प्रकार की योजना बना कर काश्तकार के मालिकाना और खातेदारी हकों को समाप्त किया जावेगा। जब पांच साल के लिये जमीन दी जावेगी तो वह टिनेन्सी एक्ट के मातहत खातेदारी अधिकार की सरकार से मांग करेगा। लेकिन सरकार की जमीन नहीं है, वह तो जमीन किसी दूसरे खातेदार की है इसलिये सरकार उनको खातेदारी हकूक नहीं दे सकती। मगर वह तो क्लॉज़ १९ के तहत अपने राइट्स मांगने लगेगा। इसका मतलब यह होगा कि आपने पहलेवाले खातेदार को हटा दिया और दूसरे को खातेदार कर दिया। इसके अलावा आपके पास यह कोई गारन्टी नहीं है कि वह व्यक्ति जिसको आप देंगे वह हर साल कल्टीवेट करेगा। इस प्रकार की गारन्टी कौन दे सकता है? मैं समझता हूं कि कोई नहीं दे सकता क्योंकि किसी प्रकार से हो सकता है कि उसके आर्थिक साधन बिगड़ जावें तो वह उस जमीन को पड़त रख सकता है। यह गारन्टी कोई नहीं कर सकता।

इसलिए इन सभी बातों को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह पांच वर्षों का प्रावधान नहीं रखा जावे और यह जो संशोधन लाया गया है इसको वापिस ले लिया जावे। यह कह कर मैं यही निवेदन करूंगा कि इसको वापिस ले लिया जावे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन हमारे सामने आया है इसके पक्ष में मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह बात कही जाती है कि छोटे छोटे काश्तकारों को दबाने के लिए जो यह विधेयक लाया गया है यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि छोटे छोटे काश्तकार तो अपनी जमीन पर ही अपनी रोजी रखते हैं और वे लोग तो कभी उस जमीन को खाली रखते ही नहीं, यह एक निश्चित बात है। खाली रखने वाले कौन लोग हैं? खाली रखने वाले बड़े बड़े जमींदार हैं और जमीन उनके पास ज्यादा है और सैकड़ों बीघा जमीन केवल घास के लिए ही रखते हैं और घास बेच कर पैसा पैदा करते हैं और खुद के पास इतना साधन नहीं कि वे सभी जमीन को जो उनके पास है काश्त करें। जिन लोगों ने अपने बेटे, भाई, भतीजे, बहिन आदि के नाम पर दुनिया भर की जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन लोगों के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आया कि जनसंघ से आनेवाले माननीय सदस्य यह किस प्रकार से कहते हैं कि यह विधेयक छोटे छोटे काश्तकारों से जमीन लेने के लिए है। वे खुद इस बात को कहते हैं कि कोई ऐसा इन्सटान्स नहीं हुआ कि किसी गरीब की जमीन आज तक छीनी गई हो। इससे यह साफ है कि राजस्थान सरकार की नीयत यह नहीं है कि किसी गरीब की जमीन छीन कर दूसरे लोगों को दी जाए। अब प्रश्न यह रहता है कि तीन वर्ष के बजाय ५ वर्ष क्यों किये जावें? उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति का कोप या दैविक कोप के कारण कोई जमीन पड़ी रहे तो उस पर भी यह लागू होगा, यह बात गलत है। इसके लिए पहले कलेक्टर नोटिस

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

देता है और वह काश्तकार नोटिस में अपनी वजह बता सकता है।

इसमें यह प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति के पास साधन होते हुए भी जमीन को पड़त रखता है और उसका उपयोग नहीं करता और जंगल ही खड़ा रखता है जिससे देश को हानि होती है और उत्पादन में कमी होती है उसके लिए इसको लाने के लिये बाध्य होना पड़ता है। आज जो जमीन १० वर्षों से पड़त पड़ी है अगर उस जमीन को किसी व्यक्ति को दो वर्षों के लिये देंगे तो कोई भी उस पड़त जमीन में हजारों रुपया लगाने के तैयार नहीं होगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो दो साल के लिए जमीन मिलने पर हजार रुपया उस जमीन में लगायेगा? पांच साल की गारन्टी करते हैं तभी तो वह हजार रुपया लगाता है। इसी कारण से सरकार ने सोचा कि दो साल के लिये कोई भी उन भूमियों को लेने के लिये तैयार नहीं है, इसीलिये यह विधेयक लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी पास किया जावे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर तृतीय वाचन के सिलसिले में बहस हुई। इस पर बोलनेवाले माननीय सदस्यों ने जो अपने भाषण दिये और जो माननीय सदस्य जनसंघ से आते हैं उन्होंने इस बिल के इस स्टेज पर आपत्ति पेश की और माननीय सदस्य ने जो कहा और उन्होंने इस बहस में जो मुद्दे उठाये उनका उधर भी बहस के दौरान में काफी जवाब दे दिया गया। फिर भी मैं आपके जरिये जनसंघ के माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि वे बातें बहुत ही भ्रम से भरी हैं। प्रश्न यह है कि हमारा लैंड युटिलाइजेशन कानून बना जिसको सदन ने पास किया और जिसको बने आज ४ या ५ साल हो गये हैं, इस कानून में यह प्रोविजन है कि वे किसान जिनके पास एक तादाद से ज्याद जमीन हो और वे उस जमीन का पूरा उपभोग नहीं करते जिसका आज के दिन करना अत्यन्त आवश्यक है, यह ठीक है और वे भी इस बात को मानते हैं कि जमीन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। उत्पादन ज्यादा होना चाहिए और उनके लिये वे छोटे २ किसानों का नाम लेते हैं। मैं यह कहूंगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जागीरदार नहीं हैं, किसान ही हैं लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं और खुदकाश्त के नाम पर ३० हजार, २५ हजार, १५ हजार बीघा जमीनें हैं। उनके लिए यह है।

अब यह कहा जाता है कि सीलिंग का कानून आ गया तब इस कानून की क्या जरूरत है? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून का आना बहुत जरुरी है। सीलिंग अभी लागू नहीं हुआ है। उसके नियम बन रहे हैं, नियम बनने के बाद लागू होगा। सीलिंग का बंटवारा होने के बाद भी कुछ बड़े बड़े होल्डिंग्ज़ उनके पास रह जाते हैं; उनका किसी प्रकार उपयोग होना चाहिये। उनका किस प्रकार से उपयोग हो, यह देखना राज्य सरकार के लिए जरूरी है। जैसा अभी किशनगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि वे लोग घास खड़ी रख सकते हैं या झाड़ियें रखते हैं जिससे उनको चराई की आमदनी होती है। यह कोई

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उसका प्रोपर युटिलाइजेशन नहीं है। इसलिए जब कलेक्टर इस बात को देखे कि इस जमीन का ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है तो इस कानून की धारा के अन्तर्गत उनको नोटिस देता है। इसलिए यह दलील कि रोटेशन के बारे में जो जमीन पड़ी रहेगी उस पर असर होगा, यह उचित नहीं है। आखिर कलेक्टर यह सब देखेगा। इसलिए यह सोचना ठीक नहीं है। जब नोटिस जावेगा तो वे लोग बतावेंगे कि किस प्रकार यह जमीन खाली रखी गई है। इस बात को रेवेन्यू ऑफिसर्स और कलेक्टर्स सभी समझते हैं। इसलिये उनकी यह जो आशंका है वह ठीक नहीं हो सकती।

दर असल में यह कानून क्यों आता है, किस इरादे से? जैसा मैंने पहले कहा है, कुछ बड़े होल्डिंग्स जो कि खेती करने के उपयोग में न आते हों, बल्कि घास काटने के काम में आते हों। महज इसलिए खेती न करते हों कि साधन नहीं हैं। साधन में भी बहुत सी बातें आती हैं, बीज है, रुपया है, फर्टीलाइजर हो सकता है, मैन पॉवर का सवाल हो सकता है। यदि लेबरर्स किराये करके उनको जुतवायें तो जितनी आमदनी घास चराई से हो सकती है उतनी भी आमदनी उससे नहीं हो सकती। इसलिये खेती नहीं करने का कारण उस बड़े किसान के लिये जो साधन खेती के लिये जरूरी हैं वे नहीं हों, इसलिये दलील देना कि साधनों की कमी के कारण जमीन नहीं जोत पाते हैं इसलिये पांच साल के लिये चली जावेगी जमीन; यह उचित नहीं है। साधनों की कमी रहती है फिर भी किसी जरिये से, सरकार से, पंचायत समिति से या और किसी तरह से, साधन उपलब्ध करके जमीन को न जोते तो आखिर पेट भरने के लिये आवश्यकता होती है। जैसी आशंका माननीय सदस्य ने की है, सहकारी खेती को बढ़ाने का इस बिल से सम्बन्ध जुड़ा हुआ नहीं है। वैसे वे सहकारी खेती को ठीक न मानते हों, लेकिन इधर के बैठे हुए सदस्य तो उसको ठीक ही मानते हैं। लेकिन जो दलीलें उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने दी हैं उनमें भार नहीं है, बोझ नहीं है!

यह बिल तो पिछले सत्र में ही पास हो जाना चाहिये था। अब भी जिनके पास बड़ी होल्डिंग्ज़ रह जाती हैं उनको छोड़ कर यदि किसी एक किसान को भी देते हैं तो वह उसको दो साल के लिये लेने में हिचकिचाता है। इस दृष्टि से कि जमीन ऊबड़ खाबड़ है, सोइल कन्ज़र्वेशन की प्रोब्लम हो सकती है उसको कल्टीवेशन में लाने के लिये उसको एक, दो साल तो वैसे ही निकल जाते हैं, तैयार करने में उसका काफी रुपया भी लग जाता है। इसलिए तीन साल का पीरियड है वह कम है, इसलिये इसको पांच करने जा रहे हैं। इसके मूल में, प्रिन्सिपल में यह चीज़ जरूर है। इस बिल पर कई स्टेजेज़ में बहस हुई है और इसको जल्दी पास करना चाहिए, यही निवेदन है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): एक क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जो काश्तकार जानवरों की चराई के लिए जमीन छोड़ देते हैं उसके लिये क्या होगा?

श्री नाथूराम मिर्धा: उस प्रकार की जमीन लैंड युटिलाजेशन एक्ट के दायरे

(श्री मूलचन्द डागा)

में नहीं आती है तो उसको छोड़ने का प्रश्न ही नहीं आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "दी राजस्थान एग्रीकल्चर लैंड्स युटिलाइजेशन (अमेंन्डमेंट) बिल, १९६० को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(विराम)

श्री रामचन्द्र चौधरी

राजस्थान बिक्री-कर (द्वतीय संशोधन) विधेयक, १९६० (स्थगित)

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी एवं कर मंत्री) :उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ," कि राजस्थान सेल्स टैक्स (सेकिन्ड अमेंन्डमेंट) बिल, १९६० को विचारार्थ लिया जाय ।"

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री पी०के०चौधरी (फुलेरा) :in regardt I raise on a Point of Order, Sir, this motion for consideration. According to Rule 66, this requires atleast two days before the day on which the motion is made. We received it only yesterday and sufficient notice has not been given and therefore, I object to this motion.

श्री उपाध्यक्ष : The objection is that no proper opportunity has been given.

श्री पी० के० चौधरी : Rule 66 says, "No such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for two days before the day on which the motion is made, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made." We received it only yesterday.

श्री उपाध्यक्ष : You are referring Rule67 ?

श्री पी० के० चौधरी : Rule 66-Provso.

श्री उपाध्यक्ष : Let my Office enlighten it...

(विराम)

I am so sorry about the delay which has been. made. The Office does not appear to be so vigilant about it. Meanwhile, can I have a clarification from the Hon'ble Minister about thisobjection ?

श्री भैरोसिंह (श्री माधोपुर) : आपको इसमें क्या आपत्ति है कि सदस्यों को काफी समय नहीं मिला है इसलिए इसको इस समय विचारार्थ न लिया जाय ? आप तो इससे सहमत होंगे । रूल्स के अनुसार विधेयक

(श्री भैरोंसिंह)

के लिए दो दिन का समय मिलना चाहिये वह नहीं मिला है, इसलिए आज इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यदि प्रोपर नोटिस नहीं मिला है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : Won't yon like to leave it at the discretion of the Chair? You have not left any opportunity even for me to say some thing.

श्री पी० के० चौधरी : He has already conceded. Now he cannot re-consider.

श्री उपाध्यक्ष : You, by conceding, have in some way fattered my discretion also.

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि नोटिस नहीं मिला है, तो आप उसको देख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : My information is that the Bill has been circulated on 19th, August.

श्री पी० के० चौधरी : Only yesterday.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : And that also at 9 P. M.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Members did not receive it before two days ?

श्री पी० के० चौधरी : It was received only yesterday, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : We received it long back.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, whether the objection is with all seriousness?

श्री पी० के चौधरी : The point is that the Hon'ble Minister has conceded and he has given the Members sufficient time. I think the Chair should also allow.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें कई संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं । बिल बड़ा डिफेक्टिव है । और ऐसे डिफेक्टिव लेजिस्लेशन को....

श्री उपाध्यक्ष : Just to cut short the speech, I postpone it in view of the statement made by the Hon'ble minister.

राजस्थान पशु-रोग (संशोधन) विधेयक, १९६०

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री नाथूराम मिर्धा ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह भी बिल इसी के साथ है

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The same objection is with it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : You have the same objection with it also?

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir, it was also circulated with that.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यह जो एतराज है वह इस बिल के बारे में नहीं हो सकता। यह बिल १९ तारीख को ही हमारे पास पहुंच गया था। इसलिये कम से कम मेरे पास जो यह बिल है उसमें किसी प्रकार की कन्ट्रोवर्सी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I will allow this Bill and exercise my discretion in favour.

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु-रोग (संशोधन) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाये।

श्री पी० के० चौधरी : But they same objection is with it, Sir, that it was circulated late.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, I have allowed under Rule 67 and I have excercised my discretion in favour.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a point of....

श्री उपाध्यक्ष : Motion has already been moved.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पशु-रोग (संशोधन) विधेयक, १९६० जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है और माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल के सम्बन्ध में जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स पेश किये हैं उसी के अनुसार यह व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान के अन्दर यदि इस प्रकार का संक्रामक रोग पैदा हो जाय उसके निवारणार्थ सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है कि किसी भी पशु के लाजिमी तौर पर इन्जेक्शन लगा सकती है, मालिक को पीने-लाइज़ किया जा सकता है, इसी प्रकार की व्यवस्था इस बिल द्वारा करने जा रहे हैं। इसमें सवाल यह आता है कि इस कानून के बनाने के बाद भी राजस्थान से पशुओं में फैलने वाले संक्रामक रोग बिल्कुल चले जायेंगे या नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति के अन्दर भी हम कहें कि ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि हम देखते हैं कि संक्रामक रोग उसी प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कानून बनाने के स्थान पर अगर आज जो कानून बने हुए हैं उसी पर ठीक प्रकार से अमल किया जाय तो शायद यह रोग दूर किया जा सकता है। इस प्रकार का बिल प्रस्तुत करने की नौबत इसलिये आई कि घोड़ों के अन्दर अभी एक प्रकार की बीमारी आई....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जरा आपको बता दूं। अच्छा तो यह होता कि बिल को विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले यदि मैं इस बारे में कुछ कह देता तो यह इस प्रकार की गलत बात सामने नहीं आती। इस बिल को प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि घोड़ों की बीमारी से इसका कतई संबन्ध नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कि पिछले सेशन में हमने एनिमल डिज़ीजेज़ कन्ट्रोल एक्ट पास किया उसमें घोड़ों की बीमारी और अन्य प्रकार के संक्रामक रोगों को डील विथ करने के प्रोविज़न्स मौजूद हैं। उसमें खामी क्या रह गई है कि जिस प्रकार से डिज़ीजेज़ फैलती है उनको रोकने के लिये हम एक्शन लेते हैं, उनका इलाज करना जरूरी हो जाता है। अगर हम रोग फैलने के कारणों को पहले से ही नष्ट कर देते हैं तो इस प्रकार की संक्रामक बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं। रेन्डरपेस्ट के लिये हमने शुरू में यह किया था कि सब इलाकों में इसकी रोकथाम के लिये इन्जेक्शन आदि लगाया जाय। इस बारे में बहुत सी स्टेट्स में तो काम खत्म भी कर दिया है, अपने यहां यह काम कुछ जिलों में ही हुआ है। यह काम हम पिछले ढाई साल से करते चले आ रहे हैं। कुछ इलाकों में हमें इसके बारे में मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा है। कई जगह हमें इस प्रकार की आपत्तियां सामने आई हैं जिनमें हमारा यह काम नहीं हो सका है। अभी जयपुर में रेंडर पेस्ट का काम चल रहा है। शाहपुरा तहसील और बैराठ तहसील में इसका बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ है। हम इस प्रकार के टीके नहीं लगा सके हैं। रामगढ़ तहसील में भी इन टीकों के बारे में एतराज हुआ था। यह टीका लगाना हमारे लिये बहुत जरूरी है, इससे हमारे स्टेट में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान के अन्दर से रेन्डर पेस्ट के भगाने की बात है। पंचवर्षीय योजना में भी इसका उल्लेख आया है। उसका अंश होते हुए भी जहां हम काम कर रहे हैं वहां हमें कई जगह इन कामों में बहुत सी बाधायें जनता की तरफ से आई हैं। हमने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों से भी अनुरोध किया कि वे अपने इलाके के लोगों को इस बारे में समझावें। कुछ हमारी उन्होंने मदद भी की है लेकिन फिर भी बात पूरी नहीं पड़ी। इसलिए हमने सोचा कि जहां बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन्स हैं वहां कुछ न कुछ पीनल्टी हमने इसीलिये रखी है। अगर हम एक इलाके को छोड़ देते हैं तो यह बीमारी हमारी स्टेट में हो नहीं सारे हिन्दुस्तान में फैल सकती है। इस तरह से हमारी जो स्कीम है वह एक प्रकार बेकार हो जाती है। केवल राजस्थान के लिये ही नहीं सारे हिन्दुस्तान के हित को ध्यान में रखते हुए हमने पैनल्टी प्रोवाइड करने के लिये यह ऑर्डिनेंस इश्यू किया है और उसी ऑर्डिनेन्स को रिप्लेस करने के लिये यह बिल लाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : घोड़ों की बीमारी के लिये या अन्य एपीडेमिक्स से डील विथ करने के लिये जो कानून है उसके अन्दर यह भी आ सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें जबरदस्ती ऑपरेट करने का सवाल है। दूसरी बीमारियों के लिये तो है लेकिन उनके प्रिवेन्शन के लिये इंजेक्शन लगाने का प्रोविज़न उस एक्ट में नहीं है, इसलिये इसको लाना जरूरी था। मैं समझता हूं, इसके लिये कोई दो राय नहीं हो सकती। आशा है, माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय के स्पष्टीकरण के बाद तो जो बात मामूली सी थी वह कुछ विशेष बन गई है। वह

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिये बन गई है कि उनका जिस समय स्पष्टीकरण हो रहा था तो मुझे कुछ गांवों के झगड़े याद आ गये जिन झगड़ों के निराकरणार्थ यह कानून बन रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सरकार को इस बात की दिक्कत है, प्रारम्भिक काल में बीमारी को रोकना चाहें तो उसके पास कोई कानून नहीं है जिसके जरिये वह लोगों को बाध्य कर सके कि वह पशुओं के टीका लगा सके। लेकिन इसके साथ साथ प्रश्न यह पैदा होता है कि जो स्वस्थ जानवर हैं उनके मालिक टीका लगाने के लिये तैयार नहीं होते हैं तो वैसी हालत में क्या किया जाय ? जो अस्वस्थ जानवर हैं उनको तो मालिक भी जहां भी जिस अस्पताल में कहें ले जाने के लिये तैयार हो जाते हैं। प्रश्न केवल स्वस्थ और अस्वस्थ पशुओं का है ! जिनके पशु स्वस्थ होते हैं उनके मालिक इस प्रकार का झगड़ा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक स्थान के ऊपर यह टीका लगाने की व्यवस्था की गई थी। वहां के लोगों को ब्लॉक डेवलपमेन्ट ऑफिसर ने समझाया कि यह बीमारी ऐसी है कि इसमें टीका लगाना बहुत जरूरी है। गांव वालों ने सब ने टीका लगवा लिया इस ख्याल से कि टीका लगाने के बाद बीमारी नहीं आयेगी। इस बात को चाहे मन्त्रीजी मानें या न मानें, वे प्रत्यक्ष जाकर वहां देख सकते हैं कि जिन गायों के इस प्रकार का टीका लगाया गया उन गायों का जिनका दूध सुबह ५ सेर था तो शाम को ३ सेर ही रह गया और दूसरे दिन तो दो सेर ही रह गया। उससे कई जानवर जो स्वस्थ थे अस्वस्थ हो गये। वहां के लोगों ने इस बात की शिकायत की, जो आपके कार्यालय में पड़ी है, जिसके लिये कहा गया कि इस प्रकार की व्यवस्था से वहां के पशुओं में गड़बड़ी हो गई। कई जगह तो इसका रीएक्शन बुरा हुआ है। जिन गायों का दूध काफी था उनका इस प्रकार के टीके लगाने से दूध सूख गया। हमारे शेखावाटी के अन्दर पशुओं में एक प्रकार की बीमारी आती है जिसमें पैरों में सूजन आ जाती है, मुंह से लार टपकने लग जाती है, छाले पड़ जाते हैं, दिन भर लार टपकती रहती है। ऐसी बीमारी फिर न हो, इसलिये उन जानवरों के इन्जेक्शन लगाये गये। कुछ दिनों तक ठीक रहा उसके बाद पचास प्रतिशत जानवरों में फिर से लार टपकने की बीमारी आ गई। इससे क्या हुआ कि लोगों में इन इलाजों के प्रति विश्वास नहीं रहा। मैंने अपनी आंखों से ये बातें देखी हैं। ये एक दाग लगाते हैं। उस समय दर्द होना स्वाभाविक है, पर कई जगह वह दाग हल्के हाथ से लगाया जाता है और कई जगह जोर से गहरे रूप में लगा दिया जाता है कि जिससे चमड़ी तक उतर जाती है और इस कारण बेचारा जानवर परेशान होकर जितना काम उसे करना चाहिये नहीं कर पाता, काश्तकार उससे एक, दो दिन, काम जरूरी होते हुए भी काम नहीं ले सकता, उससे दूध नहीं निकाल सकता; उसे खेत में एक, दो दिन के लिये लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता। तो यह स्थिति है।

इस स्थिति में सरकार टीका लगाने के मामले में मालिकों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है ? सरकार बीमारी रोकना चाहे तो टीका लगा सकती है। जहां सरकार यह व्यवस्था करे वहां यह भी व्यवस्था उसको करनी चाहिये कि इस प्रकार के कानून को अमल में

(श्री भैरोंसिंह)

लाने में जो वास्तव में कठिनाइयां पैदा उनको भी देखे और दूर करे।

सीकर जिले में जाकर देख लीजिए। यहां पांच वर्षों में कई लोगों ने भेड़ें रखीं पालने के लिये। किसी ने तीन सौ, किसी ने दो सौ और किसी ने सौ और सरकार के एनिमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेन्ट को इत्तला दी कि हमारी भेड़ों में बीमारी आई है, इसका इलाज करने में मदद की जाय। जितना इलाज करना था कर लिया। किसी की तीन सौ की तीन सौ ही, किसी की दो सौ, किसी की सौ भेड़ें मर गईं। एनिमल हस्बेन्डरी विभाग के लोग भेड़ों का इलाज करने के लिये गये थे पर इलाज नहीं कर पाये। यह मैं नहीं कहता कि मरे हुए को जिला सकते हैं, या मरीज के हाथ लगाया कि बच गया। पर मैं यह कहता हूं कि कुछ भावना और विश्वास लोगों में ऐसा पैदा तो वे कर सकते हैं कि अमुक डाक्टर के पास या अमुक अस्पताल में जाने से स्वस्थ बन जावेंगे। पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि, राजस्थान सरकार के एनिमल हस्बेन्डरी विभाग का वातावरण इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार की भावना और इस प्रकार का एट्रेक्शन निर्माण नहीं कर पाया जिसके कारण आज आप इस कानून के जरिये जबरदस्ती लोगों को टीका लगाने के लिये बाध्य कर रहे हैं। टीका लगाने का राजस्थान में कानून है। लोग स्कूलों में स्वेच्छा से लगाते हैं। चेचक का टी. बी. का टीका लोग स्वेच्छा से लगाते हैं। छोटे, छोटे चार, छ महीने के बच्चों के लोग स्वेच्छा से टीका लगवाते हैं कि इससे बच्चा सुरक्षित रहेगा; भले ही बच्चा फिर दिन भर दर्द से रोता रहता हो, उनको भी लाकर टीका लगवाते हैं। किसी कानून के डर से या दबाव से नहीं लगाते, पर विश्वास के कारण लगाते हैं कि स्मॉल पॉक्स के इन्जेक्शन के बाद मेरा बच्चा चेचक से बचेगा, टी. बी. का टीका लगाने पर उसे टी. बी. नहीं हो सकेगी। पर हमारे यहां तो विपरीत परिस्थिति है।

इनऑक्युलेशन इन्जेक्शन लगाने के बाद जानवरों की जो हालत हुई है उससे किसानों को सन्तोष नहीं हुआ है। इसलिये मजबूर होकर वे इन्कार करते हैं। यह विभाग वहां विश्वास पैदा नहीं कर सका है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विभाग का सवाल है विभाग में रेन्डरपेस्ट के लिये गाड़ियां दी गई हैं कि विभाग वाले बाहर गांवों में जाकर दौरा करें और देखें कि रेन्डरपेस्ट किस किस जगह फैल रहा है और किस किस जगह रोकने की व्यवस्था की जा रही है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये गाड़ियां जयपुर शहर में और बीकानेर शहर में घूमती हैं। सोजत से आनेवाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था और खास तौर से रेन्डरपेस्ट की गाड़ियों का प्रश्न पूछा था। उसके उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने बताया था कि रेन्डरपेस्ट...

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत देर तक सदन चलेगा। कहीं न कहीं मौका आ जावेगा इन गाड़ियों के जिक्र करने का। यह बहस इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं रेन्डरपेस्ट की गाड़ियों के बारे में कह रहा हूं।

Page No.95

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके लिये तो और बहुत से मौके आवेंगे, यही मैं कह रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि माननीय मन्त्रीजी को बता दें कि बैठे बैठे बात न करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने तो खड़े ही होकर एतराज किया था।

श्री भैरोंसिंह : पार्लियामेंटरी...

श्री उपाध्यक्ष : स्वगत बोल रहे थे। आपके सम्बन्ध में नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : प्रोसीडिंग्स में आ जावे तो वह स्वगत तो बुरा है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो रेन्डरपेस्ट की गाड़ियां हैं ....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): गोलियां हैं या गाड़ियां ?

श्री भैरोंसिंह : गाड़ियां। वे गांवों में जाकर यह बताती कि इस प्रकार के इनऑक्युलेशन से इस प्रकार के ब्रीडिंग से बीमारी खत्म हो जाती है। इसके लिये पहले से इस तरह की व्यवस्था कर दी जावे तो ऐसी दिक्कत नहीं आ सकती कि जिससे कानून की शरण के अन्तर्गत किसान को इस बात के लिये मजबूर किया जावे। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रीजी भी यह समझते हैं कि बीमारियों की रोकथाम के लिये हमारा विभाग किस प्रकार से क्या काम कर रहा है और उसे इसमें कितनी सफलता मिली है। यहां अभी अभी घोड़ों में एक अफ्रीकन डिज़ीज़ आई थी। इसमें जितने घोड़े राजस्थान में मराये यह मारने के लिये भी....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मारे जबर्दस्ती गये ?

श्री भैरोंसिंह : जबरदस्ती भी मारे गये हैं। जिन्दा रखना भी उनको मुश्किल हो गया था। एक बार एक घोड़ा इसमें मुब्तिला हो गया तो उसका तीन महीने तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है और रोजमर्रा का खर्चा इतना हो जाता है कि घोड़े की कीमत से चौगुना जाकर वह सारा खर्चा पड़ता है। इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि इनको मार ही दिया जाय ताकि एक प्रकार की बाधा खत्म हो जावे। एक इन्जेक्शन लगाया जावे और दूसरे दिन घोड़ा समाप्त। इसके लिये घोड़े के मालिकों को कम्पेन्सेशन दिया होगा, सारी बातें हुई होंगी पर बीमारी के लिये उसकी रोकथाम के लिये जिस प्रकार की सीरियसनैस होनी चाहिये वह नहीं है इस विभाग में। केवल कानून बनाकर हम किसी को विवश करेंगे इससे सीरियसनैस क्रिएट नहीं होने वाली है। इसका कारण एक मैं समझता हूं कि सरकार का स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल इस डिपार्टमेन्ट पर नहीं है। रेन्डरपेस्ट की गाड़ियों के बारे में जो जवाब दिया गया यह इसका सुबूत है। जो जवाब दिया गया उससे हमें दुख ही अधिक हुआ। इसके बजाय तो वे यह जवाब देते कि अगर इन गाडियों का दुरुपयोग हुआ है तो जांच कराई जावेगी और जांच में जो अधिकारी दोषी पाया जावेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जावेगी और ऐसी सख्त सजा दी जावेगी कि आगे से फिर वही गलती करने की वे कतई हिम्मत न कर

(श्री भैरोंसिंह)

सकें। यह जवाब अगर वे देते तो हमें विश्वास होता, एक वातावरण बनता। पर इस तरह का जवाब देकर एक तरह से आप उनको साइड ट्रैक करना चाहते हैं। इसका असर उन अधिकारियों पर भी, उस विभाग के कर्मचारियों पर भी बुरा पड़ता है। उसमें फिर बीमारियों के प्रति सीरियसनैस नहीं आती। वह सीरियसनैस आप कानून के जरिये लाना चाहते हैं ? इससे किसी प्रकार का लोगों को संरक्षण नहीं मिलने वाला है। इससे तो आप इनऑक्युलेटरों के लिये एक भ्रष्टाचार का रास्ता खोल रहे हैं। जो लोग इस विभाग में विश्वास नहीं होने के कारण आपके कानून से बचने की इच्छा करेंगे और यह सभी करेंगे अपने जानवरों के हित में और अपनी परेशानी को बचाने के हित में, वे आपके इनऑक्युलेटरों को रुपया, दो रुपया देकर आपके इस कानून से पीछा छुड़ावेंगे। फिर कानून के जोर से भले ही आप इन्जेक्शन भी लगा देंगे, सभी कुछ कर लेंगे ; पर ये सारी चीजें उस सोसाइटी पर इस आधार पर छोड़नी चाहिये कि सोसाइटी इसके लिये स्वयं आगे आवे। आप इसके लिये ऐसा कानून बनाने के बजाय पहले ऐसा विश्वास पैदा करें।

आज प्रजातन्त्र है। आप इसे कानून के सहारे चलाना चाहेंगे तो आपकी इस गवर्नमेन्ट काटोटेलिटेरियन फोर्म ऑफ गवर्नमेन्ट में और डेमोक्रेटिक फोर्म आफ गवर्नमेन्ट में अन्तर क्या रह जावेगा ? इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिये कुछ चीजें आपको सोसाइटी के लिये छोड़नी चाहिये। हर चीज़ के लिये कानून बनाना अच्छा नहीं। हर चीज़ के लिये कानून बनाकर आप खाने-पीने की व्यवस्था करें, बीमारी की व्यवस्था करें, इन्जेक्शन लगाने की व्यवस्था करें दाग लगाने की व्यवस्था करें, सोने की व्यवस्था करें, तो फिर समाज, समाज न रह कर एक प्रकार की मशीन का पुर्जा हो जायेगा जिसे आप हर काम के लिये कानून के जोर से चलाना चाहते हो। उस मशीन की तरह उस सारे समाज को बनाना चाहते हो जिसका सारा सक्युंलेशन मशीन चलानेवाले एक मिस्त्री के हाथ में कानून के हाथ में आप देना चाहते हो। आज आप उस मशीन की तरह आदमी को कानून के हाथ में देना चाहते हो।

डेमोक्रेसी में वही सरकार सफल सरकार मानी जावेगी जो कम से कम कानून बनावेगी और अपने कारनामों से ऐसा एटमोस्फियर बनावेगी कि लोग उस पर अपने आप चलें, किसी से बाधित होकर कोई काम न करें बल्कि लोग स्वतः उस पर चलने लगें।

डॉ० बहादुरसिंह : आपकी मंशा यह है कि बीमारी फैलने दी जाय ?

श्री भैरोंसिंह : मैं कहूंगा कि हर बार हर विषय में कानून बनाने की बात को छोड़ कर समाज को ऐसा तैयार किया जाय कि उसे सरकार की बातों में विश्वास पैदा हो, श्रद्धा जाग्रत हो, सरकार की इच्छा के अनुकूल स्वतः वह काम करे और स्वास्थ्य निर्माण करने की बातों को अपनावे। आप कानून की पद्धति को इस बारे में छोड़ दें तो ज्यादा उचित होगा और इस प्रकार के कानून बना कर सोसाइटी को बन्धन में लाने की चेष्टा जितनी की जावेगी, जितनी लोगों की

(श्री भैरोंसिंह)

स्वतन्त्रता को, उनकी इन्डिपेन्डेन्स को खत्म करने की चेष्टा की जाती है, उसका मैं विरोध करता हूं। आज कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, पढ़ा–लिखा या बेपढ़ा जो अपने जानवर को मरने दे। लेकिन उस आदमी में आपको विश्वास पैदा करना होगा, आपके विभाग को उसमें कॉन्फीडेन्स और विश्वास जमाना होगा कि सरकार के इस विभाग की कार्यवाही से जानवर बच जावेगा। आपका आज उनमें विश्वास नहीं और आप कानून के जोर से मजबूर करना चाहते हैं, कानून के जोर से विश्वास पैदा करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के इन कारनामों से जनता के अधिकारों और उसकी स्वतन्त्रता में अनुचित हस्तक्षेप है। इस हस्तक्षेप को सरकार न करे तो ज्यादा अच्छा है। इस हस्तक्षेप के बदले में सरकार अपने ही विभाग को सुधारे, उस पर कड़ा नियन्त्रण करे और अपने कारनामों से यह सिद्ध करके बतावे कि जनता में विश्वास पैदा किया जा सकता है; नहीं तो यह चीज़ सोसाइटी पर छोड़ देनी चाहिये कि वह स्वयं आपके पास आवे। आप को इनीशियेटिव क्रिएट करना चाहिये, ऐसा वातावरण बनाना चाहिये और अपने इस डिपार्टमेन्ट पर मजबूती से कन्ट्रोल करके गांवों में जाकर वे असली रूप में काम कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। अगर ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं तो कानून बनावें, नहीं तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा बल्कि इससे क्रिमिनल ऑफेन्सेज़ बढ़ेंगे। आपका विभाग सोसाइटी के साथ जबरदस्ती करेगा और जनता उस इनऑक्युलेटर को रुपया, दो रुपया देकर अपने को इस कानून से बचाने की कोशिश करेगी और इस तरह आप अपने इस विभाग में भ्रष्टाचार को पनपाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपके इस विभागकी और किसी प्रकार की गुंजाइश ऊपर से लाने की नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप यह गुंजाइश उनको निकाल कर दे रहे हैं। मैं कहता हूं, आपका यह प्रयत्न कारगर नहीं होगा। कानून के जंगल में आप किसान को फंसाने की चेष्टा करते हैं तो फिर आपकी इच्छा। मैं किसी भी प्रकार से इस प्रकार के कानून को अपना समर्थन देने को तैयार नहीं हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (पशु-पालन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने कहा उसके बाद में श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बहस की और यह कहा कि इस महकमे के द्वारा लोगों के अन्दर ज्यादा समझाइश करके इन इलाजों को पोपुलर बनाया जाये तो गांव वालों को ज्यादा लाभ होगा। कानून के जरिये यह करने से, सही माने में लोगों का ज्यादा लाभ नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। जानवरों के इलाज की व्यवस्था इतनी पोपुलर नहीं है; उन्होंने माता के टीके का उदाहरण दिया बच्चों को लगाने का तो मैं आपके जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि माता के टीके जो बच्चों को देने की बात है और जिस प्रकार की वह बात करते हैं मेरे खयाल से गावों में कई रोड़े आते हैं। आज भी गांवों में लोग लड़कों के माता के टीके लगवाने के लिए छिपाते हैं। वे छिपाते हैं इसलिए कि अच्छा नहीं है लगाना, यह बात नहीं है। जिस इलाके का उन्होंने जिक्र किया कि जानवरों के मुंह से लार टपकती है और पैर सूज जाते हैं इसको माता की बीमारी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रेंडरपेस्ट कहते हैं....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माता दूसरी होती है और मैंने जो बीमारी आपको बताई इसको माता नहीं कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पांवों के अन्दर सूजन आ जाना और मुंह से लार टपकना ही माता की बीमारी है। वे तो जो आपने सिम्पटम्स बतादें उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : माता की बीमारी नहीं है। इस प्रकार के मुगालते में उनका माता का इलाज मत करवा देना नहीं, तो सारे जानवर मारे जायेंगे।

श्री नाराथूम मिर्धा : वह तो ज आपने सिम्पटम्स बताये उससे तो मैं माता की बीमारी ही समझा। वैसे मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वे रेंडरपेस्ट को हिन्दी में माता कहते हैं और इस बीमारी को भगाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेंडरपेस्ट स्कीम को सारे भारत में लागू किया गया था और उस योजना को उसी समय पूरा करना चाहिए था, लेकिन कुछ स्टेट्स में देरी से काम चालू हुआ इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के आनेवाले दो सालों में भी इसको करना पड़ेगा, तब यह काम पूरा हो सकेगा। राजस्थान के अन्दर कुछ इलाकों में जैसा मैंने कहा कि २॥ साल से काम चल रहा था और स्वयं किसान इसमें समझदार हैं और जैसी पिक्चर आप बता रहे हैं वह पिक्चर मेरी नजर में नही है और मैंने प्रेक्टिकली ऐसा नहीं देखा है। इसके अलावा ऐसा टीका लगाने के बाद में जानवर को राइट का निशान लगा दिया जाता है जिससे मालूम हो जाता है कि इस जानवर को टीका लग चुका है। जयपुर के आसपास में यह डिफिकल्टी आई। बहुत समझाने के बाद, आपके जो विभाग के नुमाइन्दे हैं उन्होंने जाकर कहा, इससे गांव के कुछ लोगों ने तो करवाया। तो हमने देखा कि इस कानून को बना लेना चाहिए। हमने इसके लिए काम चालू किया और हमारा काम पूरा चल निकला। सिर्फ इस कानून की धारा के अन्दर कि अगर ऐसा करेंगे नहीं, हमारा डॉक्टर जाता है, उनको समझाता है, आप जैसे कई लोग गांवों में वाजिब बात को भी नहीं मानते तब हम इस अधिकार को प्रयोग में लाने की बात सोचते हैं। कानून होना बहुत लाजिमी है। तो ऐसी सूरत में आपने जो दलीलें रखीं वे दलीलें स्पष्ट करती हैं कि इस कानून की आवश्यकता तो है और जब काम नहीं चलता है तो उसको चलाने के लिए प्रजातंत्र में सिवाय कानून के और जरिया नहीं रहता है। इसलिए कानून का बनाना आवश्यक भी है। यह लोगों के लिए ठीक है। अगर यह कानून आ जाता है तो इससे लोगों का लाभ और जानवरों का भी लाभ है। इसलिए कानून में संशोधन आवश्यक था, इसलिए यह छोटा सा बिल सदन के सामने प्रस्तुत है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एनिमल डिज़ीजेज़ (अमेंडमेंट) बिल, १६६० विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

(विधेयक विचारार्थ लिया गया)

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महो-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १६६०

(विचार-विमर्श)

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १६६० को विचारार्थ लिया जाये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय राजस्व मन्त्रीजी से बात हुई है, अगर इसको कल ले लिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : I cannot stress.

श्री भैरोंसिंह : माननीय राजस्व मन्त्रीजी से बात भी हुई है और यह बिल यदि कल ले लिया जाय तो ठीक रहेगा क्योंकि यह बिल वैसे भी काफी इम्पोर्टेन्ट है। उसमें सब मेम्बर्स भी तैयार होकर आ जायेंगे। वैसे मैं यह नहीं कहता कि तैयार होकर नहीं आये हैं, लेकिन जितने तैयार होने चाहिए वे नहीं हुए हैं। इसलिए राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन है कि वे उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन कर दें कि इस बिल को यदि कल ले लिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहे।

श्री दामोदरलाल व्यास : तैयारी आपकी नहीं है, और निवेदन मैं करूं।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : यह तो कोऑपरेशन की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरी आपत्ति के लिए पूछेंगे तो मैं अर्ज कर दूंगा। आप चाहे तो आप अर्ज कर दें।

श्री भैरोंसिंह : मैंने निवेदन कर दिया और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने विरोध नहीं किया है तो इन्डाइरेक्टली उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया है; इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, वह सरकारी बेन्चेज़ पर होने के कारण उन्होंने मेरी भावना को जान लिया है। इसलिए इसको यदि आज स्थगित कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उस भावना को और स्पष्ट कराना चाहूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरी ऐसी बात नहीं हुई थी क्योंकि जो दूसरे बिल रखे हुये थे सेल्स टैक्स का और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी बात आई थी कि इस बिल को आज ही रखा जाये और अगर आज खतम नहीं हो तो कल फिर रख दिया जाये। परन्तु अब जब कि यह बिल आ

Page No.100

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हो गया है तो इसको चालू रखा जाये। आप अपनी तरफ से एडजोर्न कराना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तैयार हूं। अगर माननीय सदस्य तैयार नहीं हैं तो मैं बताऊं कि उनको यह नोटिस बहुत पहले मिल चुका था और यह ऑर्डिनेन्स के फॉर्म में आ चुका था। तैयार सब होकर आये हैं। इसमें कोई ज्यादा अमेन्ड-मेन्ट्स भी नहीं हैं और समय भी एक घन्टा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिये।

(४ म. प.)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एमेंडमेंट) बिल, १६६०, जो हमारे सामने विचारार्थ है, उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Satish Chandra Agrawal to move that the amendment be referred to the Select Committe . .

श्री दयाकृष्ण विजय : इसका विरोध करने का कारण यह है कि दोनों एमेंडमेंट्स इसमें किये गये हैं, मेरी किसी पर इस प्रकार की शंका नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस प्रकार के केसेज़ हमारी राज्य सरकार के पास पेन्डिंग हैं जिनको पास करने के लिए इस प्रकार के संशोधन यहां पर लाये गये हैं। हालांकि इसके रीज़न्स एन्ड ऑब्जेक्ट्स में यह बताया गया है, उनको देखने से ऐसा लगता है कि कुछ बात अच्छी लाई जा रही है . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरा इस संबंध में एक प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति....

श्री उपाध्यक्ष : On a Point of Clarification. I had mentioned this also. But when I saw that you are not vigilent I thought you have waived the position.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But I was not called upon.

श्री उपाध्यक्ष : I did speak that there is a move for the Bill to be referred to the Select Committee and when Shri Vijay stood up I thought you are not contesting it . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But, Sir, I have been called upon . . .

श्री उपाध्यक्ष : There is a position to stress the right also . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री दयाकृष्ण विजय : When I have been asked to speak,...

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry that Mr. Agrawal wants an opportunity which I. . .

श्री दयाकृष्ण विजय : He cannot interrupt, but when I have begun to speak....

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of Order, Sir, the Hon'ble member,

(श्री पी. के चौधरी)

who has already started his speech cannot be allowed twice....

श्री उपाध्यक्ष : I understand that मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उनका सिलेक्ट कमेटी को जो रेफर करने का प्रस्ताव रह गया है मैंने स्ट्रेस नहीं किया है। मैंने हाउस के सामने रखा नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका बोलने का दूसरा राइट रखा जायगा। माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी के सम्बन्ध में बोलें

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : On a Point of Clarification, Sir, Once a Member is in possession of the floor of the House, can that member be asked to take his seat back because some point was left ? Suppose, I am in possession, it is my right and while I am debating or I am speaking on a motion, can another Member get up and dispossess me from the possession of the floor of the House ?

श्री उपाध्यक्ष : नियमों के अधिकार से माननीय सदस्य को निवेदन नहीं कर रहा हूँ। किसी अधिकार का प्रश्न नहीं निवेदन कर रहा हूँ। चूंकि वह प्रश्न रह गया है यानि श्री अग्रवाल का सिलेक्ट कमेटी के सम्बन्ध का प्रस्ताव। इसलिए यदि माननीय सदस्य उनको मौका देना चाहें तो वह मौका दिया जा सकता है और मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था के आधार पर वह जो कन्फ्यूजन दोनों स्थितियों में हो रहा है वह न होने पाये। ऐसी स्थिति में यदि श्री विजय बोलना चाहें तो बोलें और स्थान ग्रहण करना चाहें तो स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि श्री दयाकृष्ण विजय के बोलने के पश्चात मुझे बोलने का अवसर दिया जाय तो वे बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कन्फ्यूजन नहीं पैदा करें। श्री विजय ने कन्सीड किया है इस पोइंट पर।

श्री श्रीमानसिंह : On a Point of Clarification, it is not a matter of grace that he has conceded; but there by he losses his right to speak on it

श्री उपाध्यक्ष : Not so . . .

श्री श्रीमानसिंह : Second Member can get up and speak, Sir, but when he has resumed his seat . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। माननीय सदस्य दुबारा बोलने का अधिकार रखेंगे, क्योंकि परिस्थिति इस तरह से हो गई है और मैंने श्री अग्रवाल को बोलने की आज्ञा दी है।

श्री श्रीमानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की आज्ञा का क्वेश्चन जो है वह जनसंघ की तरफ से है। उसमें जो श्री दयाकृष्ण विजय बोल लेते तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद बोल सकते हैं। यह परम्परा ठीक नहीं है। एक बार बोलें और माननीय सदस्य खड़े नहीं हों और फिर बीच में उठकर ऑब्जेक्शन उठायें।

श्री उपाध्यक्ष : परिस्थिति विशेष के आधार पर गलत परम्परा नहीं होगी यह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एमेंडमेंट) बिल, १९६० को जो सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा गया है उस संबंध में मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रवर समिति इसी सत्र में १५ दिन के अन्दर अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी और इसीलिये, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एमेंडमेंट) बिल का ताल्लुक है इस बिल के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रभाव कई मामलों पर पड़ने वाला है। यह विधेयक राजस्थान विधान सभा के गत सत्र में प्रस्तुत किया गया था और उस सत्र में पारित नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् राज्य सरकार के सामने संभवतया कुछ ऐसे मामले आये जिनके कारण एक अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता हुई और आज इस विधेयक के द्वारा उस अध्यादेश को भी निरस्त्र किया जाकर एक कानून का रूप देने की दृष्टि से सदन के समक्ष यह विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से जिस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है उसमें एक मूल बात और एक बहुत महत्वपूर्ण मामला जो कि धारा ८५ के अन्तर्गत एक नया क्लॉज़ जोड़ने के सम्बन्ध में है ८५ ए, इस क्लॉज़ के द्वारा राजस्थान की सरकार इस बात का अधिकार लेना चाहती है कि इस कानून के अन्तर्गत जो भी निर्णय उन्होंने किये होंगे उन निर्णयों पर पुनर्विचार करने का अधिकार राज्य सरकार को हो रहा है जो कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में नहीं है। यह उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि आज की परिस्थिति में, और "आज की परिस्थिति". शब्दों का उपयोग मैं इसीलिये कर रहा हूं कि आज के दिन राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जहां तक मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है कि जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार किसी भी प्रकार के मामलों को जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर खड़े होते हैं किसी भी प्रकार की कोई निगरानी सुनने का कोई अधिकार हो। राजस्थान विधान सभा के गत सत्र में इसी विधान सभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसके द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन किया गया था कि किसी भी प्रकार के जुडीशियल और नॉन जुडीशियल मामले, जुडीशियल और नॉन जुडीशियल का डिफरेन्सियेशन लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में पहले दिया था कि जुडीशियल की अपीलें रेवेन्यू बोर्ड में हुआ करती थीं और नॉन जुडीशियल की अपीलें राज्य सरकार को हुआ करती थी, जिसके उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि नॉन जुडीशियल में एलॉटमेंट ऑफ लैण्ड, पेमेंट ऑफ नम्बरदार्स, इस प्रकार के कुछ मामले थे जिन मामलों में राज्य सरकार को निगरानी हुआ करती थी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, संभवत: सदन की भावना का सम्मान करके या इस प्रकार का बारम्बार विचार प्रकट किया गया कि राज्य सरकार कोई इस प्रकार का अधिकार नहीं रखना चाहती है कि रिवीज़नल पॉवर्स राज्य सरकार में वेस्ट हों, मैं समझता हूं कि इसी कारण इसी विधान सभा में गत वर्ष इस प्रकार का कानून पास किया गया जिसके द्वारा राज्य सरकार ने भू-राजस्व अधिनियम में संशोधन किया है कि नॉन जुडीशियल मेटर्स कोई नहीं होंगे, सारे जुडीशियल मेटर्स माने जायेंगे और

Page No.103

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सारे जुडीशियल मेटर्स में फर्स्ट अपील का राइट दिया था और सेकिन्ड अपील का राइट नहीं था। उसमें संशोधन किया गया और हर एक व्यक्ति को दो अपीलों का राइट दिया गया। वह रेवेन्यू बोर्ड में जा सकता है। उसको राज्य सरकार के सेक्रेटेरियेट या रेवेन्यू मिनिस्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वह मेटर चाहे एलॉटमेंट ऑफ़ लैण्ड का हो या अपॉइन्टमेंट ऑफ नम्बरदारस का ६ मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार का संशोधन राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में पास कर दिया गया और इस प्रकार का संशोधन पास करने के बाद आज वर्तमान परिस्थिति में, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, कोई भी मसला आज खड़ा होने वाला नहीं है, जिसके कारण सरकार कह सके कि अमुक मामला हमारे पास निगरानी का आयेगा और अमुक मामला हमारे पास अपील का आयेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि आज पुनर्विचार जिसको उर्दू में नजरसानी और अंग्रेजी में रिव्यू कह सकते हैं, वह पॉवर राज्य सरकार को लेने की क्या आवश्यकता है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि पॉवर आगे के मामलों में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शायद जो मामले डिसाइड हो चुके हैं, जिन मामलों के फैसले किये जा चुके हैं, जिन मामलों में निगरानी नामन्जूर की जा चुकी है, जिन मामलों में निगरानी मन्जूर की जा चुकी है, राज्य सरकार के निर्णय होने के बाद ऐसी कुछ परिस्थिति होती है कि जो मामले नॉन जुडिशियल थे या नॉन जुडिशियल के अन्दर प्रेस्क्राइब्ड किये गये थे और इसलिये हैं कि डिसीजन्स जितने हैं वे शायद जुडीशियल डिसीज़न्स न हों, शायद राज्य सरकार ऐसा महसूस कर रही है और इस कारण से आवश्यकता महसूस कर रही है कि इस प्रकार के पुराने मामलों में रिव्यू करने का अधिकार होना चाहिये। राजस्व मंत्रीजी सदन को जानकारी देते तो अच्छा होता, और आगे जानकारी दे सकते हैं कि ऐसे कितने मामले हैं जिनमें से किन किन में रिव्यू या नजरसानी के लिये एप्लीकेशन फाइल हुई है, जिनको रिजेक्ट करना पड़े। कौनसा मामला उनकी नजर में आया जिससे उनको खतरा नजर आया और इस बात की आवश्यकता हुई कि पुराने मामलों में रिव्यू करना चाहिये? यदि कोई फैसले ३ महीनों से पहले हो गये तो क्या उनमें भी रिव्यू करेंगे? जहां तक मैं कानून समझता हूं इस राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत एक धारा आती है उसमें लिखा है. ८७ धारा में, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत जो अधिकार हैं उनको ही इसके अंतर्गत एप्लाई करेंगे। उसमें नजरसानी का उसी प्रकार से प्रोविज़न होगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि राजस्थान सरकार के पास कोई अपील या रिवीज़न पेन्डिंग है? इसका मतलब क्या होगा? आप रिव्यू के पॉवर्स क्यों चाहते हैं? क्या आप नजरसानी उन मामलों में चाहते है जिनके फैसले आप ६ महीने पहले कर चुके हैं? जहां तक मेरी जानकारी है, हमने जो कानून पास किया उसे पास किये ३ महिनों से ज्यादा हो गया। इसका मतलब यह है कि कोई निर्णय राजस्थान सरकार ने रिव्यू एप्लीकेशन्स पर उसके बाद नहीं किया। पहले किये गये निर्णयों को रिव्यू करने के लिये लिमिटेशन एक्ट की धाराओं से बचने का फायदा राज्य सरकार उठाना चाहती है। जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिमिटेशन धारा ८७ में किया गया है वह बाधक है। राज्य सरकार ने फैसले ३ महीने पहले किये हैं, उसके बाद में उसने कोई फैसला नहीं किया: यदि किये हों तो राजस्व मंत्रीजी उनके बारे में जानकारी दें। जिस कानून के द्वारा नोन-जुडीशियल अपील को एबोलिश करके रेवेन्यू बोर्ड को पॉवर्स दिये हैं उसके बाद कौन से निर्णय राज्य सरकार ने दिये हैं और उनमें से कौन से निर्णय को रिव्यू करना है, इसकी जानकारी दें ? इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक अहम मसला है जिस पर विचार करना होगा। कोई मामला राज्य सरकार के पास रिव्यू या नजरसानी के लिये पेन्डिंग नहीं है, यह मेरी धारणा है। यदि राजस्व मंत्रीजी इस तरफ देखेंगे तो कोई नजरसानी अब मयाद में पेश नहीं हो सकती, यह निश्चित बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात और है जिसके लिये सिलेक्ट कमेटी का मोशन रखा है जिसके बारे में यहां विचार नहीं हो सकता, प्रवर समिति में अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है।

दूसरा मसला और है। जो रिव्यू की पॉवर राज्य सरकार ने दी है, जो जुडीशियल कोर्ट्स हैं उनको अधिकार दिये हैं कि इन कंडीशन्स में रिव्यू करेंगे, किन किन आधारों पर नजरसानी की जा सकती है, फैसले किन आधारों पर बदले जा सकते हैं यह जो सूरत है राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू की धारा ६७ है, जिस धारा में हमने कुछ कंडीशन्स रखी हैं उसकी उपधारा (३) में लिखा है उस आधार पर नजरसानी हो सकती है। सिविल प्रोसीजर कोड इस प्रकार का है कि उसको कोई लाइटली ले नहीं सकता। इसलिये राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो रिव्यू के पॉवर्स हैं उसमें जो प्रोसीजर है उसके अनुसार ४७ (१) की तहत पार्टी को नोटिस दिया जायगा। इतना ही नहीं, उसमें लिखा है कि जब तक पार्टी को राइट एक्यू होगा तब तक कोई रिव्यू एप्लीकेशन नहीं होगी। ऐसा मालूम होता है कि राज्य सरकार ने स्वीपिंग वे में अधिकार लेने की चेष्टा की है। उस पर कोई बंधन और सीमा नहीं होगी, असीमित या अमर्यादित रूप से अधिकार लेने की कोशिश की है। यह कहा है कि राज्य सरकार को यह अधिकार होना चाहिये। इसमें धारा ८५ (ए) जोड़ी है वह पूर्ण नहीं है। उससे यह पता नहीं चलता कि कौन से ऑर्डर की नजरसानी होनी चाहिये, लिमिटेशन क्या होगा आदि बातें स्पष्ट नहीं हैं। केवल चार लाइनें लिखी हैं। राज्य सरकार को रिव्यू के अधिकार दिये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, रिव्यू के अधिकार, नजरसानी के अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई केसेज़ खास प्रकार के हो सकते हैं। कौनसा निर्णय गलत लिया है, कौनसी एप्लीकेशन्स लोगों ने पेश की हैं और कौन से सिंगल और सोलीटरी एग्जेम्पल्स आपके पास हैं जिनके कारण आप ये अधिकार लेना चाहते हैं ! मेरी नजर में ऐसा कोई मामला नहीं आता। यह हो सकता है कि गल्ती से किसी को लम्बरदार नहीं नियुक्त कर सके होंगे और आज वह व्यक्ति किसी दल विशेष का फेवराइट बन गया हो तो उसको अपॉइन्ट कराना होगा। पहले कहा यह गया था कि हम लंबरदारी प्रथा को

Page No.105

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

खत्म करना चाहते हैं लेकिन उसको अब तक मेन्टेन किया जा रहा है। कुछ अपॉइन्टमेन्ट किये होंगे, कुछ आज्ञाएं जारी की होंगी उसमें हो सकता है कुछ गल्ती कर ली होगी या किसी को हटाना होगा तो अब एक बार लम्बरदार अपॉइन्ट करने के बाद हटा नहीं सकते। उसको हटा तभी सकते हैं जब कि उस ऑर्डर को रिव्यू करने के पॉवर्स आपके पास हों वर्ना हाई कोर्ट में रिट हो सकती है। टोडा-रायसिंह का एक ऐसा ही मामला हुआ था। वे चाहते हैं कि उस प्रकार की मिसाल कोई दूसरी नहीं हो। हो सकता है कि किसी को कोई जमीन एलॉट की होगी और इच्छा के विरुद्ध हो गई होगी। और यह भी हो सकता है कि किसी को उस समय एलॉट नहीं की होगी वह आज वे हमारे फेवर में हो गये होंगे। इस प्रकार के मामलों के लिये पॉवर्स अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसमें जो प्रावधान नजरसानी का रखा है उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। विस्तृत रूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कई सवाल प्रोसीजर के खड़े होते हैं। कौनसी कंडीशन्स ले डाउन की जाय कितनी मियाद रखी जाय, क्या प्रोसीजर रखा जाय ? मैं तो निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिये कोई परिस्थिति नहीं है। कोई मामला ऐसा नहीं है जिसके कारण नजरसानी या रिव्यू करने के पॉवर्स दिये जायं। नजरसानी की दरख्वास्त विदिन नाइन्टी डेज में लाई जा सकती है ; लेकिन इस संशोधन के बाद तो लिमिटेशन का कोई सवाल नहीं रहेगा। क्योंकि यह कानून तो अभी पास हुआ है। इसके पास होने की तारीख से ६० दिन के अन्दर अन्दर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, यह इन्टरप्रिटेशन लगाया जायगा। वैसे "90 days from the date of Judgment" रखा गया है। राज्य सरकार ने जो फैसले किये वे उस दिन से पहले हो गये जिस दिन राज्य सरकार ने रेवेन्यू बोर्ड को पॉवर्स दी थी। इसलिये राज्य सरकार का कोई फैसला ऐसा नहीं है जो विदिन लिमिटेशन हो सके। या तो राज्य सरकार लिमिटेसन्स को छोड़ कर सीमा को पार करके जिस केस में चाहेगी, रिव्यू कर देगी, आज्ञा जारी कर देगी। अगर इस प्रकार से करना है, तो फिर कुछ कहना नहीं है। लेकिन सदन को कम से कम इस पर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के अनलेमिटेड पॉवर्स दे या न दें क्योंकि सदन के माननीय सदस्य को इस बात का कटु अनुभव है। राजस्थान सरकार को कई मामलों में शक्तियां दी हैं और उनका दुरुपयोग किया गया है, इस प्रकार के इन्स्टांन्सेज़ हैं। जब कानून बनाने जाते हैं और विधान सभा की मोहर लगाने जाते हैं तो यह आवश्यक है कि इस बात को प्रवर समिति में बैठ कर गम्भीरता से सोचें और इसमें देरी नहीं हो, विलम्ब नहीं हो, जिससे माननीय राजस्व मंत्रीजी इस प्रकार न कह सकें कि यह प्रस्ताव सरकारी काम में देरी करने के लिए रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि अगर हमें कानून बनाना है तो जल्दी नहीं बनाना चाहिए, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि एक दिन में बनाना चाहिए या एक घंटे में बनाना चाहिए। हमको थोड़ा इन्तजार करना होगा और माननीय सदस्य जो प्रवर समिति के सदस्य होंगे वे शांति के साथ, गम्भीरता के साथ और केन्द्रित मस्तिष्क के

(श्री सतीसचन्द्र अग्रवाल)

साथ बिल की धाराओं पर विचार करेंगे और जो प्रश्न इसमें हैं, उनके सम्बन्ध में फैक्ट्स एन्ड फिगर्स रेवेन्यू सेक्रेटरी पेश कर सकेंगे कि लैंड रेवेन्यू में जो अमेंडमेंट पहले किया था, उसके बाद कौनसे डिसीज़न्स राज्य सरकार ने किये हैं और उनका रिव्यू हो सकता है या नहीं। इन सब बातों पर सदन में विचार नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि १५ दिन में प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे दे। एक मसला तो यह है।

दूसरा मसला, उपाध्यक्ष महोदय, और भी है, जो काफी महत्त्वपूर्ण है और वह है, जिसके बारे में एक ऑर्डिनेन्स निकाला और जिसके बारे में इसमें एक क्लॉज़ जोड़ा है और वह है "Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes" यानि खेती योग्य जो भूमि है। उसको गैर कृषि-कार्य के लिए परिवर्तित करना और उसका उपयोग करना। इस दृष्टि से भी एक क्लॉज़ जोड़ा है और राज्य सरकार अधिकार चाहती है कि इस प्रकार की भूमि का जो कन्वर्शन किया जाय उसके बारे में अर्बन असेसमेंट, पीनाल्टी चार्ज करने जा रहे हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। कुछ इस प्रकार के उदाहरण राज्य सरकार के सामने आये, जिनमें लोगों ने खेती योग्य भूमि को किसी दूसरे काम में लिया, मसलन ईंट बनाने के लिए, मसलन भट्टा बनाने के लिए, मसलन इस प्रकार पत्थर डालने के लिए, इस प्रकार के कामों में लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार के नाजायज़ तौर पर किये जानेवाले कार्यों का समर्थन नहीं कर सकता। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता विशेष कर आज की परिस्थिति में, जब राजस्थान ही नहीं, सम्पूर्ण देश खाद्य की विचित्र स्थिति में से गुजर रहा है, जब खाद्यान्न की वजह से केन्द्रीय खाद्य मंत्री को विदेशों में भीख मांगनी पड़ती है। मैं उस परिस्थिति को एप्रीशियेट नहीं कर सकता और देश का कोई भी सच्चा नागरिक पसन्द नहीं करेगा कि देश अनाज की दृष्टि से आत्म-निर्भर नहीं हो। इसलिए देश को अनाज की दृष्टि से आत्म-निर्भर करने के लिये हम इस बात पर जोर देंगे कि सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि पर खेती की जाय और इसी उद्देश्य से विधान सभा ने एक कानून पास किया कि जिन खेतों पर खेती हो सकती है और कोई उन पर खेती नहीं करेगा और उसको पड़ती रखेगा तो उसके पास से भूमि को लेकर दूसरे आदमी को दे देंगे। इस प्रकार का विधेयक विधान सभा ने अभी अभी पास किया है। इसका मतलब यह है कि सदन की मूल भावना यह है कि पड़ती भूमि को, कृषि योग्य भूमि को खेती के काम में लाया जाय, उस पर अनाज पैदा हो; इसमें दो राय नहीं हो सकती है। अब सवाल खड़ा होता है कि जिस भूमि को कन्वर्ट किया जाय, जिस भूमि को गैर खेती के कामों में ले लिया जाय उसका प्रीमियम क्या हो, अर्बन असेसमेंट क्या होना चाहिए, क्या पीनाल्टी होनी चाहिए, उस ज़मीन को किस प्रकार इजेक्ट करना चाहिए, जिससे भूमि पर से उस काश्तकार को बेदखल किया जाय? राज्य सरकार ने उद्देश्यों और कारणों में लिखा है कि इस प्रकार के उदाहरण आये हैं, जो खेती की भूमि थी उसको नाजायज़ रूप से कब्जा कर गैर खेती के कामों में लिया। इसलिए यह जरूरी है कि राज्य सरकार को यह अधिकार

Page No.107

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिया जाना चाहिए कि उसके खिलाफ कार्यवाही कर सके। इसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि सारी कार्यवाही करने के लिए प्रोसीज़र क्या होना चाहिए ? उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रोसीजर क्या हो जिस आदमी ने कन्वर्शन किया है, जिस आदमी ने खेती योग्य भूमि को गैर खेती के कामों में लिया है ? मैं समझता हूं कि इसका निर्णय करने के बाद उसके लिए डिटरेन्ट पुनिशमेंट रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने इस प्रकार का प्रावधान पहले रखा और उसने कहा है कि किसी आदमी को इजाज़त देने का राइट रहेगा। उसमें लिख दिया है कि कोई आदमी प्रीमियम, अर्बन असेसमेंट पे कर देगा उसको इजेक्ट नहीं किया जायगा। राज्य सरकार ने, जहा तक मेरी जानकारी है, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक रूल्स नहीं बनाये कि किस आधार पर जमीन ली जायगी, किस प्रकार दख्र्वास्त ली जायगी, किस प्रकार कन्वर्शन होगा और दख्र्वास्त का डिस्पोज़ल कब तक होगा। आपने कानून बना दिया और उसको कार्यान्वित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाये। इसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने, तहसीलदार, एस. डी. ओ. और कलेक्टर ने जितने आदेश दिये इजेक्टमेंट के बारे में वे अपील के बाद रद्द हो गये; इस कारण से रद्द हो गये कि राजस्थान सरकार और राजस्व विभाग उस बारे में सोते रहे कि कितनी पीनाल्टी होगी, कितना अर्बन असेसमेंट होगा, कौनसी भूमि से इजेक्टमेंट होगा। इस प्रकार गल्ती तो हमारी और हमारा विभाग सोता रहे, हमारा राजस्व विभाग नियम नहीं बनाये और बाद में लोगों के लिए कहें कि लोगों ने नाजायज़ फायदा उठाया ! हमें चाहिए तो यह था कि तुरन्त नियम बनाते, उसके बाद अगर कोई अवहेलना करे तो उस पर कार्यवाही करते। आप कानून बना कर तो रख देते हैं लेकिन उसको कार्यान्वित कर नहीं सके। फिर लोगों पर आरोप लगाते हैं! मैं समझता हूं कि यह सही एप्रोच नहीं है। जहां राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में अधिकार देने चाहिए वहां राज्य सरकार ने एक डिस्क्रीशन रखा है। मैं समझता हूं कि कानून की नजर में हर एक आदमी बराबर है और इसलिए मैं मानता हूं कि जिस आदमी ने भी खेती योग्य भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए परिवर्तित किया है, उस आदमी के लिए कानून में लिख दें कि उसको इजेक्ट कर दिया जायगा, किसी हालत में उसको बरी नहीं किया जायगा, उस पर रहम नहीं किया जायगा, तो मैं उस बात को समझ सकता। लेकिन आपने एक तरफ तो लिखा है कि उनको इजेक्ट किया जायगा लेकिन साथ ही में यह भी लिखा है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो रियायत दे सकती है और वह कन्वर्शन कर सकता है। मैं समझता हूं कि अगर कानून सब के लिए एकसा है, अगर किसी आदमी ने कन्वर्शन किया है तो वह कितना ही अर्बन असेसमेंट, कितना ही प्रीमियम दे, कितनी ही पीनाल्टी दे, उसको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि संविधान की भावना यही है कि कानून के सामने सब आदमी बराबर हैं, वही भावना इसमें होनी चाहिए और जो नियमों का उल्लंघन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करेगा उसको पीनाल्टी देनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप उसको माफ नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने इसमें डिस्क्रीशन रखा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस डिस्क्रीशन के आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, क्या होगा, कि जो कृपा पात्र हैं, जिनका एप्रोच है, जो सिफारिश कर सकते हैं, जो सिफारिश करवा सकते हैं उनका इजेक्टमेंट नहीं होने वाला है। जो गरीब हैं, जो एप्रोच नहीं रखते हैं, जो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जो हिसाब-किताब नहीं बैठा सकते हैं उनका क्या होगा ? उनका इजेक्टमेंट हो जायगा, उनका एविक्शन होगा। जो ताकतवर हैं, जो पैसे के बूते पर दुनिया में जीते हैं, और दुनिया में जीना चाहते हैं, वे सारी की सारी भूमि का कन्वर्शन कर लें, ईंटों का भट्टा खोल लें, कृषि योग्य भूमि को बेकार पड़ी रहने दें, उनका इजेक्टमेंट नहीं होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि हम सबके लिए एक सा कानून बनायें।हम कहें कि जो आदमी कानून का उल्लंघन करेगा और इस प्रकार की धाराओं को तोड़ेगा वह कानून की नजर में बराबर है और सब के साथ एक सा व्यवहार किया जायगा। अगर राज्य सरकार सही मायने में चाहती है, जैसा कि लिखा है, अगर सरकार चाहती है कि इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले लोगों को रोका जा सके तो मैं समझता हूं कि वह तब ही रोका जा सकता है जब कि एक सा कानून बनायें। और इसीलिये उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में राज्य सरकार में एक अधिकार और दिया गया है। आप राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की दफा २१२ को देखें तो उसमें इन्जेक्शन, हुकम इम्तनाई का अधिकार राज्य सरकार को नहीं दिया गया और न्यायालयों को दिया गया है। उस अधिकार को राज्य सरकार चाहती है कि वह अधिकार भी उनको दे दिया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के इन्जेक्शन का अधिकार राज्य सरकार को नहीं देना चाहिये। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले यह अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को नहीं दिया गया था, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के आने के बाद में यह अधिकार दिया गया है। अब राज्य सरकार यह चाहती है कि उनको यह पॉवर्स दे दिये जावें। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप किसकी रिपोर्ट पर इंजेक्शन करेंगे ? आप किस प्रकार से उसकी इन्क्वायरी होल्ड करेंगे, कहां ट्रायल सेन्टर होगा, उसकी अपील कहां पर होगी ? इन सब बातों के लिये आपने कोई प्रोसीजर ले डाउन नहीं किया है। अगर आप ये सारे के सारे अधिकार अपने पास ही रखना चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि किस प्रकार से इन्क्वायरी होगी, इसके लिये आपका कौन सा प्रोसीजर होगा ? अपील होगी या नहीं ? अगर अपील होगी तो कहां होगी ? इसलिये सारा का सारा प्रोसीजर रखने की जरूरत है। आपने दफा २१२ की तहत इन्जेक्शन जारी कर दिया। पार्टी को नोटिस दिया जावेगा या नहीं ? एक ईंटों का भट्टा लगा है और मकान बनाने के लिये ईंटों की जरूरत है। आपने जून के महीने मे इंजक्शन जारी किया और वह भी २५ जून को कि आप ईंटों के भट्टे को काम में नहीं ले सकते या हटा नहीं सकते। आपने इंजेक्शन जारी कर दिया। ईंटों का भट्टा लगा हुआ है। बरसात होने वाली है और ईंटें उस भट्टे में पड़ी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं। वर्षा, मान लें शुरू हो गई और आपने इंजेक्शन जारी कर रखा है ' वे ईंटें खराब हो जाएंगी और कन्सट्रक्शन अधूरा पड़ा है उसको भी नुकसान होगा। मगर आप टीनेन्सी एक्ट में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपने उसमें प्रोविजन रखा है कि खड़ी फसल बर्बाद नहीं की जावे। जब आपने उसमें प्रोविजन रखा है तो अगर ईंटे खराब होंगी तो इससे जो कन्सट्रक्शन होने वाला है उस पर बहुत असर पड़ेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि इस प्रकार के केसेज़ हजारों की संख्या में नहीं हैं, कुछ हिस्सों में हैं। उनकी मुझे भी जानकारी है मगर आज जिस प्रकार के प्रोसीजर से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे जो एस. डी. ओ. और कलेक्टरों के जजमेंट होंगे वे आगे चल कर सेट-एसाइड होंगे। इसके लिये कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस प्रकार के अधिकार देना जरूरी नहीं है। मैं स्वयं इस सिद्धान्त को मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ कर इस प्रकार का काम करना चाहे जो कानून के खिलाफ हो तो उसको दंड दिया जावे। मगर दंड सबको बराबर दिया जावे और जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है इसमें कई प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ हैं। इसलिये मैंने इस बिल को प्रवर समिति को भेजने की बात रखी है जिससे कि कानूनी मसलों और प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ जो हमारे सामने आवेंगी उन पर समिति विचार करेगी और विचार करने के बाद यह आवश्यक है कि इसी सदन में इसको विचारार्थ ले लिया जावे। प्रवर समिति में इसको भेजा जावे और प्रवर समिते इस पर १५ दिन में, विचार करके सदन में रखे और सदन इसको पारित करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आनेवाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातों पर इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला है। मैं इस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत जो संशोधन दो लाये गये हैं उनके पीछे मैं किसी की मंशा पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी राज्य सरकार के पास कुछ ऐसे केसेज़ पेन्डिंग पड़े हैं जिन पर उन्होंने फैसला दिया है लेकिन किसी कारण से ऐसे प्रभाव बाहर के पड़ रहे हैं, वे इन कन्सट्रक्शन्स या कामों को जो एग्रीकल्चरल लैन्ड पर हैं रोकना चाहता है। इसी कारण से यह संशोधन लाये गये हैं। लेकिन मूल एक्ट में यह क्लिअर प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति काश्तकारी की भूमि को आबादी में परिवर्तित नहीं कर सकता। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले संशोधन किया गया था कि कोई काश्तकार काश्त की भूमि में इरेक्शन नहीं कर सकता, अगर करे तो १।५ भूमि पर तहसीलदार से इजाजत लेनी होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस प्रकार के प्रावधान दफा ८९ और ९० में पहले से ही मौजूद हैं और अगर कोई बगैर इजाजत मकान बना लिया है और कोई उसका विरोध करता है तो उसको दंड जरूर दिया जाना चाहिये। इतना होते हुए भी इस प्रकार की दो बातें और वे भी गोलमाल इसके बारे में, कह नहीं सकता कि हमारे सामने क्यों लाई गई हैं ? आप यह कहना

(श्री दयाकृष्ण विजय)

चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल लैन्ड को आबादी में परिणत होने से इंजेक्शन आॅर्डर से रोकना चाहते हैं और इसीलिये आप इंजेक्शन पॉवर लेना चाहते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आपकी मंशा उनको रोकने की नहीं है। जैसा मैं अभी कह रहा था कि कुछ लोगों ने कन्सट्रक्शन्स और कन्वर्शन शुरू कर दिये हैं और कुछ पक्ष के लोगों की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। इसलिये जब तक आपके पास इंजेक्शन का अधिकार नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपने दफा ६० में अधिकार दिया है उनको आप दुबारा सुनने का अधिकार लेना चाहते हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं है। इसलिए यह सारा का सारा ही अनावश्यक है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिन बातों को मेरे पूर्व वक्ता ने बताया उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक सरकार के पास रिव्यू के पॉवर्स नहीं रहे हैं। आज यह एक नई बात है। राज्य सरकार गल्तियें करती होगी, उसको रिव्यू करेगी। मैं यह कहूंगा कि आज एक प्राथना-पत्र पर आप रिव्यू करेंगे और कल दूसरे प्रार्थना-पत्र पर। आखिर फाइनल फैसला तो कोई होगा? लेकिन आज हमारी राजस्थान सरकार अपने फैसलों पर विश्वास नहीं करती और उनको बदलने के इस प्रकार के प्रावधान सदन में लाई है। आप, अगर कोई गलती करता है तो उस पर फाइन कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान पहले से ही हैं। फिर समझ में नहीं आता कि सरकार यह बात क्यों लाई है और इन्जेक्शन के पॉवर्स क्यों लेना चाहती है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा अन्याय कर रहे है। जहां आपने यह एक प्रोविजन बढ़ा दिया तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं लोगों की भलाई के लिये करना चाहते हैं, उस पर पानी फिर जायगा। मैं यह कहूँगा कि आप जो कुछ नाजायज़ तरीकों से करना चाहते हैं उन पर विधान सभा और लेजिस्लेचर की मोहर लगाना चाहते हैं। अगर राज्य सरकार किसी गलत बात को रोकना चाहती है तो कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं की जा सकतें कि हम रकम ले लेंगे और इजाजत दे देंगे। यह तो अप्रत्यक्ष रूप में रिश्वत खाने की बात है। मैं यह कहता हूँ कि इसके पीछे रकम नहीं होकर, कुछ दंड होना चाहिये। दंड हो सकता है। लेकिन जहां यह समझते हैं कि बिना आॅर्डर नहीं बना या आॅर्डर का उसने पालन नहीं किया, आप उसको रिव्यू में आॅर्डर दे देंगे, पैसे लेकर। यह प्रोविजन कॉन्ट्रडिक्ट्री प्रोविजन है। मैं इसको पढ़ कर सुनाता हूं और आशा है आप उसको वापिस ले लेंगे। "(c) after such permission having been refusdd under sub-section (3)" जब permission refuse कर दिया गया है तब आप इसमें यह जोड़ते है '. .on payment to the State Goverment, in addition to the urban assessment and premium payable under sub-section (4), of such fine by way of penalty as may be prescribed." कोई आॅर्डर के खिलाफ कार्यवाही की, उसको हटा दिया जावेगा, जहां कभी इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। अगर यह होता तो बिल्कुल सामाजिक न्याय कई बात होती। मगर ऐसा नहीं है। रिश्वत का तरीका और क्या होता है? इसी तरह से होता। हम किसी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

से काम कराना चाहते हैं हमने गल्ती तो कर ली है, अब कहते हैं कि हम इतना रुपया दे देंगे। आज हमारी सरकार रिश्वत की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर किसी ने गल्ती की है तो गल्ती करने वाला यह समझता है कि इसको ठीक करा लेंगे। मैं यह कहूंगा कि गलत कार्यवाही से समाज को कितना नुकसान हो रहा है। अब लोग यह देखेंगे कि कोई उन पर आपत्ति आने वाली है तो लोग यही सोचेंगे कि अफसरों का क्या रुख है। सारी गुडविल सेक्रेटरीज़ की इच्छा पर हो जावेगी।

इस प्रकार का कानून जिसमें रिश्वत खाने की गुन्जाइश हो, × × × ×

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार बार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वे इस बात को समझे ही नहीं हैं कि इसके पार्लियामेंटरी इम्प्लीकेशन्स हैं या नहीं। दस दफा वे इस प्रकार के शब्द कह चुके हैं। शायद उनको ज्ञान ही नहीं कि वे किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस प्रकार के शब्द न काम में लावें। जो शब्द वे काम में ले रहे हैं वे अशोभनीय हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रकार के शब्दों को प्रासिडिंग्स में से निकाल देना चाहिये। उनकी भावना कुछ भी हो सकती है लेकिन जिस प्रकार से बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वे उचित नहीं हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : राज्य पर आक्षेप है।

श्री उपाध्यक्ष : The reflections be expunged from the proceedings.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सक्सेशन्स रखी गई हैं उनसे ऐसा आभास हो सकता है। रिव्यू करने का प्रोविज़न लैंड रेवेन्यू एक्ट में रख रखा है। मैं आपको पहले की धाराओं को पढ़ कर सुनाऊं और अब जो संशोधन किया गया है उसको देखने से ऐसा लगेगा कि किस कारणवश यह लाया गया है :
"90-A. Use of Agricultural land for non-agricultural purposes—

(5) If any such land is so used without the written permission of the State Government being first obtained or in contravention of the terms and conditions of such permission, the person holding the land as well as his transferee, if any, shall be liable—

(a) to pay to the State Government, in addition to the assessment and amount specified in sub-section (4), such fine by way of penalty as may be prescribed..."

यदि उसने किसी कानून की खिलाफ-वर्जी करके आबादी लैंड में उस जमीन को परिवर्तित कर दिया और किसी काम में काश्तकारी भूमि को ले लिया तो उस पर प्रीमियम और असेसमेंट करके पीनाल्टी लगाई जा सकती है।

× × × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

"(b) failing such payment, to be summarily evicted from the land so used." और फाइन का पेमेन्ट नहीं करता है तो वह जमीन से हटाया जा सकता है। दोनों प्रोविज़न्स हैं। दंड दिया जा सकता है, नाजायज़ कार्यवाही की है उसके लिए और दंड का पेमेन्ट नहीं करता है तो उसको जमीन से हटाया जा सकता है। इस प्रकार का प्रोविज़न है तो तीसरा प्रोविज़न श्रीमान् जोड़ सकते थे तो यह था कि जो कार्यवाही की है उसके कारण से उसको उस जमीन से हटाया जाय। इजेक्टमेंट और डिमोलिशन में दो चीजें हैं। डिमोलिशन की बात उसमें लाते हैं तो उपयुक्त हो सकता है। यदि एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में वापिस परिवर्तित किया जाय तो भ्रम होता है। आज काश्तकारी भूमि पर बड़ा भारी प्रेशर है; यह सब मानते ही हैं। काश्तकारी करने वाले लोग ज्यादा हैं और जमीन थोड़ी है। कुछ लोगों के पास जमीन ज्यादा हो सकती है और वह तो सीलिंग बिल लाने पर प्रश्न दूर हो सकता है। उस बिल को लाने में अभी देरी हो रही है। कन्वर्शन को रिमूव किया जाय उसकी आवश्यकता थी, इस प्रकार के अमेंडमेंट की आवश्यकता थी न कि इसको लाकर इजाजत दे दी जाय। जिस मंशा से माननीय मंत्री महोदय इसको लाना चाहते हैं वह उन प्रोविज़न्स पर ही पानी फेर देता है। मैं माननीय मंत्री महोदय की भावना की दाद देता हूं कि कन्वर्शन करने वाले को दंड मिलना चाहिये। मैं उनकी भावना की प्रशंसा करता हूं और समर्थन करता हूं लेकिन जिस रूप में इसको लाना चाहते हैं, जो अच्छी चीज़ करना चाहते हैं वह शायद विपरीत फल दे सकती है। ८५ के अन्दर रिव्यू के पॉवर्स दिये गये हैं। नियम बाद में बनते हैं। एक्ट के अनुसार बनते हैं और आप उनको बनायेंगे। कभी भी बने। लिमिटेशन का प्रोविज़न है। ६० दिन के अन्दर, श्रीमान् के पास, राज्य सरकार के पास वह एप्लीकेशन दे सकता है। यह लागू होना चाहिये। मैं मानता हूं, लिमिटेशन का प्रावधान किसी कानून पर लागू होता है। इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये, यह साफ कर देना चाहिये। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि जैसे कि मुझसे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य जो जौहरी बाजार से आये हैं उन्होंने कहा, इसके लिए रूल्स नहीं बने हैं, रिपीटिशन नहीं करना चाहिये और कहना चाहूंगा कि इसके लिए डेफिनिट रूल्स बनने चाहिये। यदि उसके अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी तो वह उपयुक्त होगी।

इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, जैसा कि प्रस्ताव किया गया है जिससे कि जो कमियां हैं और जिनसे गलतफहमी फैलने की गुन्जाइश है, और जो प्रोविजो है जिसके द्वारा सारा ही पानी फेर दिया गया है। इसलिए सदन के सब ही माननीय सदस्य एक होकर यह कहें कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाय जिससे कि यह प्रावधान किया जा सके कि जो कन्वर्शन होगा इस तरह से तो काश्तकारी जमीन से हटाया जा सकेगा और वापिस उस जमीन को एग्रीकल्चरल लैंड में परिवर्तित किया जा सकेगा। यदि इस प्रकार के प्रावधान के बजाय इसको लाकर इजाजत देते हैं तो इससे एक प्रकार की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह फिर बढ़ेगी। हर व्यक्ति सोचेगा कि उसके पास पैसा है और पैसे से वह खरीद

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सकता है। हर आदमी सोचेगा कि सरकार इजाजत दे ही देती है, हो या न हो, भावना आपकी अच्छी है। सरकार ने इंजेक्शन ऑर्डर इश्यू कर दिया है, लेकिन इंजेक्शन ऑर्डर के बावजूद भी, और मना कर देने के बावजूद भी कन्सट्रक्शन कर देता है और कर देने के बाद जुर्माना जो होगा, हजार, दो हजार रुपया, पैसेवाला आदमी जुर्माना देकर, पैसे के बल पर बर-करार कर लेगा। मैं उस प्रकार की बातें बताना चाहता हूं। गांवों में प्रायः दो पक्ष होते हैं। एक व्यक्ति ने कन्वर्शन कर लिया। दूसरे व्यक्ति को हानि होती है। नगर में भी इस प्रकार के कन्सट्रक्शन होते जाते हैं और अनियमिततायें बढ़ती जाती हैं। गांव और सिटी को जैसा आप बढ़ाना चाहते हैं वे नहीं बढ़ पाते। इस प्रोविज़न से ऐसे लोग स्वतन्त्र हो जाते हैं। आज लोगों से जुर्माना ले लेते हैं और इजाजत दे देते हैं तो वह समझ जायगा कि नाजायज़ कार्यवाही करके भी जुर्माना देकर बच सकते हैं और अपने पैसे के बल पर नाजायज़ कार्यवाही को बर-करार रख सकते हैं। इस दृष्टि से एग्रीकल्चरल लैंड का जो प्रोविज़न है वह खत्म हो जायगा। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रोविजो की भावना है, और लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो कार्यवाही आप करना चाहते हैं वह इस एक्ट की भावना के विपरीत पड़ती है और उसके प्रोविज़न को ही समाप्त करने वाला है। मंत्री महोदय इसकी गहराई को समझें और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दें। यदि सिलेक्ट कमेटी के लिए माननीय मंत्री महोदय स्वीकार नहीं करते हैं तो इसके लिए संशोधन प्रस्तुत करने के लिए किसी माननीय सदस्य को आज्ञा दें कि वे कर सकें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का सवाल है मैं उसका विरोध करता हूं। माननीय सदस्य जिनका सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव है वे इस बिल की भावना को ही नहीं समझे हैं। उन्होंने गलतफहमी में बहुत सारे 'इफ्स एन्ड बट्स' लगा दिये। सरकार को एग्ज़िस्टिंग प्रोविज़न के अन्तर्गत अधिकार है। एक उसमें लेकुना रह गया था। ८५ में रिव्यू के पॉवर्स ले रही है सरकार। किसी अदालत में हर ऑफिसर को जजमेंट को रिव्यू करने का अधिकार है और यह कानून में दिया हुआ है कि किन ग्राउन्ड्स पर वह हो सकता है। जिस तरह के पॉवर्स हैं, हर ऑफिसर को अधिकार, right from below and right upto the Board of Revenue वह रिव्यू कर सकता है on the grounds mentioned in the law. राज्य सरकार को पहले से अधिकार रहे हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट बना जब यह गलती से दर्ज होना रह गया था। एक मुकदमा हाईकोर्ट में गया और उसमें यह कहा गया कि रिव्यू के पॉवर्स नहीं हैं इसमें, इसलिए नहीं कर सकते। उस लेकुना को दूर करने के लिए हमने यह किया है। कौनसे मुकदमें पड़े हैं, यह तो माननीय सदस्य के लिये सोचने की बात हो सकती है! मैं तो केवल उसी जजमेंट के बेसिस पर यह संशोधन लाया हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आपने उसका रिव्यू किया है क्या?

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't

(श्री दामोदरलाल व्यास)

want to be disturbed. आपको भी जजमेंट को पढ़ लेना चाहिये और समझ लेना चाहिये। आपने देखा होगा, किसी भी कानून को रिव्यू करने के अधिकार राज्य सरकार के पास रहते हैं। इस प्रकार का प्राव-धान हर कानून में रहा है। यह तो एक प्रकार का लेकुना उसमें रह गया था, इस-लिये यह संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार के पॉवर्स सम्बन्धित ऑफिसर्स को हमेशा से रहे हैं। इसमें यह लेकुना रह गया था इसलिये ये पॉवर्स लिये जा रहे हैं। रिव्यू के पॉवर्स होना बहुत जरूरी है। There may be a mistake on the face of the Record. किसी के पॉवर्स-ऑर्डर्स हो जायं, वैसी हालत में हर एक ऑफिसर को डिस्क्रीशन होना चाहिये जिससे इस प्रकार की हुई गलती को दुरुस्त कर सके। राजस्थान सरकार के पास कोई केसेज़ पेन्डिंग नहीं हैं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि उसके लिये इस प्रकार के पॉवर्स गवर्न-मेंट अपने पास रखना चाहती है। सेक्शन १६ में अमेंडमेंट है, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उन्होंने ईंटों के भट्टे का उदा-हरण भी दिया। लेकिन मैं उनको यह निवे-दन करना चाहता हूं कि ऐसा मामला एक जरूर है। उसका सम्बन्ध किसी पार्टी विशेष से हो सकता है, लेकिन मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे दिमाग में यह मामला कतई नहीं कि उसको किसी तरह से नुकसान पहुँचे, उसके लिये यह नहीं लाया गया है, उसके लिये तो ऑर्डर्स इश्यू हो गये हैं। वे इससे बचने वाले नहीं हैं इसके पास होने पर। इजेक्शन ऑर्डर्स इश्यू करने के पॉवर्स राज्य सरकार के पास रहने चाहिये। इजेक्शन ऑर्डर किन हालतों में इश्यू होगा यह सब उसमें बता दिया गया है और ये पॉवर्स वे ही ऑफिसर्स यूज़ करेंगे जिनको इस प्रकार के पॉवर्स दिये जायेंगे ; यह राज्य सरकार को पॉवर नहीं है। इसलिये यह अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता पड़ी। यह इसलिये कि लॉ में जो एक प्रकार को खामी रह गई थी वह पूरी की जा सके। आज के कानून के अनुसार हम इजेक्ट नहीं कर सकते जिसके कारण भरतपुर, जयपुर, अजमेर जो वेल्युएबल लैण्ड थी शहर के बीच में जिनको आबादी लैण्ड में कन्वर्ट करते जाते हैं बाद में सरकार द्वारा किसी प्रकार से एतराज किया जाता है तो आप इसके लिए प्रीमि-यम ले लेना। मौजूदा कानून के अन्तर्गत हम उनको इजेक्ट नहीं कर सकते। जो कुछ प्रीमियम और अर्बन असेसमेंट है उसके अनुसार जो जमीन २५ रुपया गज के हिसाब से डिस्पोज़ ऑफ हो सकती है वहां केवल आठ आना प्रति गज के हिसाब से कम्प्रो-माइज़ करना पड़ता है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल लैण्ड आबादी लैण्ड में कन्वर्ट होती जा रही है। इसके अभाव में हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जल्दी जल्दी आबादी लैंड में कन्वर्ट होती जा रही है। इस बारे में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेन्स में भी विचार हुआ, कलेक्टर्स ने भी इस बात पर जोर दिया है कि according to provision in law, you cannot eject and you cannot restrain.

प्रीमियम लेने के बाद भी यह रुक नहीं सकती, इसी वजह से इस प्रकार के पॉवर्स लेने पड़े हैं। यह ठीक है कि बहुत सारी जमीन जिसको आबादी में कन्वर्ट करना जरूरी है वह ली जा सकती है। राज्य सर-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कार की यह पॉलिसी है कि जितनी भी जमीन है, अर्बन एरियाज़ में जितनी भी सरकारी जमीन है वह सब स्थानीय लोकल बॉडीज़ को दे दी जायगी जिसके वे प्लॉट बना कर बेच सकें। आज हो यह रहा है कि अर्बन एरियाज़ में जिनके पास जमीन है वे खुद प्लॉट बना कर बेचते जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास अभी ऐसा कोई अधिकार नहीं जिसके जरिये उनको रोका जा सके। केवल अर्बन असेसमेंट लेकर ही इसको छोड़ने की रियायत होगी तो होगा क्या कि जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड होगी वह आबादी लैंड में कन्वर्ट होती जायगी। इसलिये जरूरी है कि राज्य सरकार इस पर रोक लगाये। जहां तक डिमोलिशन आदि का सम्बन्ध है उसके लिये कानून में प्रोविजन है। इजेक्टमेंट के साथ बहुत सी बातें हैं, किन हालतों में उसको डिमोलिश करवाया जायगा आदि सब बातें कानून में दी हुई हैं। माननीय सदस्य यदि इस कानून को ध्यान से देखते तो उनको इतना कहने की नौबत नहीं आती। बिल में डिमोलिशन के बारे में, Ejectment etc. everything is there. The ejectment carries with it all the consequences.

इसके लिये हमें अलग से प्रोविजन रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये जो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I am putting the question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अब राइट ऑफ रिप्लाई नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राइट ऑफ रिप्लाई नहीं है, इसको तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में एक तरीका और परम्परा बन चुकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में प्रस्ताव पेश किया, क्या मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता? जो कुछ जवाब माननीय मन्त्री महोदय ने दिया है उसका तो मैं जवाब दे सकता हूं, वैसी हालत में मैं अपने मोशन को विथ्ड्रा नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न इसमें यह है कि राइट ऑफ रिप्लाई का अधिकार होता है या नहीं? इस सम्बन्ध में यह परम्परा बन चुकी है और यह निश्चित है कि राइट ऑफ रिप्लाई ऐसी स्थिति में नहीं पैदा होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे जहां तक पता है वह उन मोशन्स के बारे में है जिनको वापिस ले लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। इस बारे में निश्चित परम्परा और निर्णय है।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बारे में रखा है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

Page No.116

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजे दिनांक २३ अगस्त १९६०, के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, २२ अगस्त, १९६०)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

भरतपुर जिले में जल-विद्युत योजना।

कोटा जिले में कम तोल के बांटों के पंजीबद्ध मामले।

डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के पद पर नियुक्ति।

तहसील रतनगढ़ की शिक्षण संस्थाएं।

गांधी अध्ययन केन्द्र, कोटा को सूतांजलि की भेंट।

तहसीलदार, किशनगंज द्वारा ग्राम छत्रपुरा की पड़त जमीन का अलॉटमेंट।

रतनगढ़ से राजलदेसर, चूरू, सालासर तथा सुजानगढ़, राजलदेसर से डूंगरगढ़ तथा रींगस से खाटू तक की सड़कों की निर्माण योजना।

सन् १९५९ में ज़िला टोंक में अति-वृष्टि तथा अनावृष्टि से खरीफ की फसल को हुई क्षति।

उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं में प्रधानाध्यपाकों की नियुक्तियां।

डिग्री कॉलेज, टोंक।

राजनैतिक पीड़ितों को सहायता।

जागीर एडवाइज़र की नियुक्ति के आधार।

आयरन-ओर पर रॉयल्टी की दर।

सवाई माधोपुर होकर गांधी सागर और जयपुर के बीच टॉवर्स लगाने की आज्ञा।

विद्यालयों में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य-रक्षा हेतु प्राकृतिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेने के सम्बन्ध में।

हनुमानगढ़ जंक्शन से हनुमानगढ़ टाउन तक सड़क।

विकास खण्ड लाडपुरा (कोटा) द्वारा सिंचाई हेतु मोरियों तथा पुलियों का निर्माण।

पाली जिले का सेटलमेंट रेकॉर्ड।

स्कम्भ

चेटन्स आयात करने का लाइसेन्स ।

श्री जमनालाल अग्रवाल का प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स ।

समाज कल्याण विभाग, बांसवाड़ा द्वारा आदिवासी बस्तियां बसाना ।

भिक्षुक समस्या ।

श्री पूसाराम बिश्नोई, जैतपुरा द्वारा डेगाना में चीनी का विक्रय ।

मकराना मार्बल्स पर रॉयल्टी की दर में वृद्धि ।

आबू में सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के लिये सब–डिवीज़न की स्थापना ।

विजयसागर ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत पाठशाला, तलाब गांव (लालसोट) को ग्रान्ट–इन–एड ।

भूमि सीमा निर्धारण से सरकार को मिलने वाली भूमि ।

सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल, जिला जालोर में पढ़ाये जानेवाले ऐच्छिक विषय ।

वैदिक कन्या पाठशाला, आबूरोड को दी गई अर्थ–सहायता एवं उसे हाई स्कूल बनाना ।

स्कम्भ

सदन की मेज पर रखे गए पत्र । ६५

(१) राजस्थान सरकार विद्युत प्रतिष्ठान (प्राप्य-राशियों की वसूली) अध्यादेश, १६६० एवं उसको जारी करने के कारणों का विवरण ।

(२) राजस्थान पशु रोग (संशोधन) अध्यादेश, १६६० ।

(३) अत्यावश्यक वस्तु (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, १६६० ।

(४) राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) अध्यादेश, १६६० ।

(५) राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, १६६० एवं उसको जारी करने के कारणों का विवरण ।

(६) राजस्थान मनोरंजन कर अधिनियम, १६६० के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या

Page No.119

एफ. ७ (८) ई. टी. । ६० दिनांक १-४-१९६० ।

(७) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाए गए निम्नांकित नियमः—

"The Rajasthan Panchayat Samitis (Terms & Conditions of deputation of Vikas Adhikaris, Extension Officers & Other Officers) Rules, 1959."

(८) निम्नांकित नियमों को भी पुनः सदन की मेज पर रखा गया:—

(i) The Rajasthan Panchayat Samitis (Loans) Rules, 1960.

(ii) The Rajasthan Panchayat Samitis Taxation Rules, 1960.

(iii) The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Administration Report Rules, 1960.

(ये नियम गत सत्र में दिनांक ७-४-१९६० को सदन की मेज पर रखे गये थे)

(९) विनियोग लेखा १९५८-५९ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६० ।

(१०) नेशनल प्रोजेक्ट कॉन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड १९५८-५९ का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन ।

(११) राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण ८१

सचिव, विधान सभा ने सदन की मेज पर गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी, रखा ।

विधेयकों के नाम इस प्रकार हैं:—

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

(i) The Rajasthan Land Acquisition (Amendment) Bill, 1959.

(ii) The Rajasthan Ware-Houses (Amendment) Bill, 1958.

(iii) The Rajasthan Weights and Measures (Enforcement) Amendment Bill, 1959.

(iv) The Rajasthan Seeds

and Seedlings Bill, 1959.

(v) The Rajasthan Gau-shala Bill, 1958.

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(i) The Rajasthan Appropriation (No. 1) Bill, 1960.

(ii) The Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Bill, 1960.

(iii) The Rajasthan Jagir Decisions and Proceedings (Validation) Amendment Bill, 1960.

(iv) The Rajasthan Entertainments Tax (Amendment) Bill, 1960.

(v) The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1959.

(vi) The Rajasthan Appropriation (No. 2) Bill, 1960.

(vii) The Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation (Amendment) Bill, 1960.

(viii) The Rajasthan Non-Trading Companies Bill, 1959.

(ix) The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Amendment Bill, 1960.

(x) The Rajasthan Armed Constabulary (Amendment) Bill, 1958.

(xi) The Rajasthan Agricultural Income Tax (Amendment) Bill, 1960.

(xii) The Rajasthan Land-Revenue (Surcharge) Bill, 1960.

(xiii) The Rajasthan Sales Tax (Amendment) Bill, 1960.

(xiv) The Rajasthan Irrigation and Drainage (Amendment) Bill, 1960.

(xv) The Rajasthan Tenancy (Amendment) Bill, 1959.

विधायी कार्य

१. वापस लिये गये विधेयक ८३

निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् वापस ले लिये गये:—

(१) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पुलिस विधेयक, १९५७।

(२) राजस्थान सरकार विद्युत्

प्रतिष्ठान (प्राप्य राशियों की वसूली) विधेयक, १९५९ ।

२. पुरःस्थापित किये गये विधेयक ६३

निम्नांकित विधेयक पुरःस्थापित किये गये:—

(१) राजस्थान पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

(२) राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

(३) अत्यावश्यक वस्तु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६० एवं उसको जारी करने के कारणों का विवरण ।

(४) राजस्थान पशु-रोग (संशोधन) विधेयक, १९६० एवं उसको जारी करने के कारणों का विवरण ।

(५) राजस्थान बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० ।

३. विचारार्थ लिये गये विधेयक

१. आवश्यक वस्तु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६० ६४

संकल्प :—श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किये आवश्यक वस्तु (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, १९६० को अस्वीकृत करता है ।"

इसके पश्चात् श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री, ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अत्यावश्यक वस्तु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय । इस पर श्री पी. के. चौधरी ने यह संशोधन प्रस्ताव रखा कि विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय. ।

संकल्प तथा विधेयक से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर साथ साथ की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. रावराजा श्री सरदारसिंह
२. डॉ॰ बहादुरसिंह
३. श्री शंकरलाल
४. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
५. श्री रामचन्द्र (१२९)
६. श्री श्रीमानसिंह

स्तम्भ

७. रावत श्री नरेन्द्रसिंह

८. श्री लच्छूराम

९. श्री सूबेदारसिंह

वाद-विवाद के पश्चात् श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प तथा विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने से सम्बन्धित श्री पी० के० चौधरी का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२. राजस्थान भूमि एकीकरण-कर्म वैधकरण विधेयक, १९६० १४७

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

३. राजस्थान कृषि भूमि उपभोग (संशोधन) विधेयक, १९६० १४९

उपरोक्त विधेयक को पारित

स्तम्भ

किये जाने से सम्बन्धित राजस्व मन्त्री द्वारा जो प्रस्ताव दिनांक २-४-१९६० को प्रस्तुत किया गया था, उस पर आज अग्रेतर विचार किया गया। बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री भैरोंसिंह (१४)

२. श्री सोहनलाल भटनागर

३. श्री रामचन्द्र (१२९)

४. श्री किशनसिंह बाटड़

५. श्री लच्छूराम

६. दयाकृष्ण विजय

७. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

कृषि मन्त्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

४. राजस्थान बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० १७१

मन्त्री, आबकारी तथा कर विभाग, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

विधेयक पर विचार स्थगित रखा गया।

स्तम्भ

५. राजस्थान पशु-रोग (संशोधन) विधेयक, १९६० १८०

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

६. राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६० १९७

राजस्व मन्त्री ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन रखा।

स्तम्भ

वाद-विवाद के पश्चात् श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

सदन की बैठक ठीक ५ बजे मंगलवार दिनांक, २३-८-१९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मंगलवार, दिनांक २३ अगस्त, १९६०
की संक्षिप्त कार्य-सूची

(१) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९६० (विचार-विमर्श एवं पारित)।

(२) राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

———

परिशिष्ट

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE SCHOOLS

Ratangarh Tehsil.

1. Govt. Multipurpose H. S. School, Ratangarh.
2. „ Middle School, Ratangarh.
3. „ „ „ Gogasar.
4. „ „ „ Parihara.
5. „ „ „ Satra.
6. Middle School, Rishikul Brehamcharya Asharam, Ratangarh.
7. Gramodog Shiksha School, Khichiwala.
8. Govt. Girls Middle School, Magaldeser.
9. Shri Hanuman Balika Vidhyalya, Ratangarh.
10. Govt. Primary School, Alsar.
11. „ „ „ Binadesar.
12. „ „ „ Bachharara.
13. „ „ „ Bandwa.
14. „ „ „ Bhojasar.
15. „ „ „ Bhanuda.
16. „ „ „ Bukhredi.
17. „ „ „ Bhanwandesar.
18. „ „ „ Biramsar.
19. „ „ „ Champasi.
20. „ „ „ Charanwasi.
21. „ „ „ Dawatsar.
22. „ „ „ Ghumanda

23. Govt. Primary School, Golsar.
24. " " " Gorisar.
25. " " " Hudera.
26. " " " Hamoosar.
27. " " " Jegnia.
28. " " " Jandwa.
29. " " " Jaleu.
30. " " " Kanger.
31. " " " Khothari.
32. " " " Loonasar.
33. " " " Loha.
34. " " " Ladhasar.
35. " " " Lachharsar.
36. " " " Loonch.
37. " " " Molusar.
38. " " " Malasar.
39. " " " Monasar.
40. " " " Molisar Station.
41. " " " Parsnau
42. " " " Pabusar.
43. " " " Payeli.
44. " " " Nuwan.
45. " " " Ratansara.
46. " " " Simsia.
47. " " " Sulkhania.
48. " " " Shela.
49. " " " Seetsar.
50. " " " Tidiasar.

51. Govt. Primary School, Thathawata.

AIDED & RECOGNIZED

52. Hanuman Gramya Pathshala, Sangasar.

53. " " " Khari Chhabari.

54. " " " Bharpalsar.

55. " " " Kadwari.

56. Distt. Board School, Ratnadesar.

57. " " " Kusumdesar.

———

Page No.127

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर देखिए)

नक्शा नुकसान फसल खरीफ, डिस्ट्रिक्ट टोंक सम्वत् २०१५

क्रम संख्या	नाम तहसील	नाम जिन्स जुवार रकबा काश्तशुदा	जुवार खराबा	जुवार खराबा प्रतिशत	बाजरा रकबा काश्तशुदा	बाजरा खराबा	बाजरा खराबा प्रतिशत	मक्का रकबा काश्तशुदा	मक्का खराबा	खराबा प्रतिशत	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१.	टोंक	५०,६७४	२००	—	३,६६३	३०	—	५,४१७	२७	—	
२.	उनियारा	१६,३१७	२४	—	८४६	२	—	१,०६८	३०	३ प्रतिशत	
३.	निवाई	५,५३३	१००	२ प्रतिशत	८,३५७	१४४	२॥ प्रतिशत	५,०७२	१६०	३ ,,	
४.	मालपुरा	२८,५२२	५६६	२। ,,	३,७८४	७२	२ ,,	१७,४१२	७७६	४॥ ,,	
५.	टोडारायसिंह	३१,६२८	१,१६१	३॥ ,,	१,७५४	१६	१ ,,	१२,१०२	१,२१७	१० ,,	
६.	देवली	३७,६४४	६४६	२ ,,	१,८४७	८	—	१०,१५६	२०६	२ ,,	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर देखिए)

LIST OF THE HEADMASTERS. (RESERVE)

	Name	Present posting.
1.	Shri Sardar Singh,	H. M., Bhawani Niketan H. S. Jaipur (On deputation—M. A., B. T.
2.	,, Jagdish Prasad.	A. T. H. S. S. Ajmer—M. A., B. T.
3.	,, DharmDass SunderDass.	A. T. M. O. S., Sardhana—M. A., B. T.
4.	,, Yashpal.	A. T. H. S., Bhilwara—B. A., B. Ed.
5.	,, Vithal Dass.	A. T. H. S., Rajnagar—M. A., B. Ed.
6.	,, Madan Mohan Mathur.	Hindi Teacher, Central Government-M. A., B. Ed.
7.	,, Suraj Prasad	Oswal Jain H. S., Ajmer—M. A., B. Ed.
8.	,, Ram Krishan Dass.	S. T. M. P. S., Dholpur—M. A., B. Ed.
9.	,, Ganeshi Lal.	R. M. M. P. S., Ganganagr—M. A., L. T.
10.	,, N. R. Daniel.	H. M. H. S., Makrana—B. A., C. T.
11.	,, Kanhaiya lal.	City H. S. S., Bikaner—M. A., B. Ed.
12.	,, Nagendra Bhushan.	A. T. S. T. C., Partapur—B. Sc., B. T.
13.	,, Kanak Mal.	S. T. H. S. S., Vaillabhanagar—M.A., B.Ed.
14.	,, Hari Singh.	A. T. H. S. S., Mandar—M. A., B. Ed.
15.	,, Jaideo Prased.	A. T. H., S. Beawar—B. Sc., B. T.
16.	,, Gopinath Dave.	A. T. Fateh H. S., Udaipur—B. A., B. Ed.
17.	,, Sohan Lal	A. T. S. P. S., Bikaner—B. A., B. Ed.
18.	,, S. S. Jai Singhani.	A. T.Rajendra H. S., Ajmar—M. A. B. T.
19.	,, Tej Singh Dangi.	A. T. H. S., Sirohi--M. A., B. Ed.
20.	,, Radha Krishan.	A. T. S. T. C., Udaipur--M. A., B. Ed.

1	2
21 „ Upendra Nath	S. T. C. Bharatpur, B. A., B. Ed.
22. „ Nihal Singh.	A. T. S. T. C. Khetri, M. A., B. Ed.
23. „ Laxmi Narain	A. T. S. T. C. Tonk, B. A., B. Ed.
24 „ Suraj Narain Rao.	A. T. D. H. S. Jaipur, M. A., B. Ed.
25. „ Suraj Singh.	A. T. Pratap H. S. Jaipur. M. A. B. Ed.
26. „ Mod Singh.	A. T. H. S. Keshoraipatan, M. A., B. Ed.
27. „ Nand Lal	A. T. S. T C. Parasramdwara, M.A.,B.Ed.
28. „ Shriniwas.	A. T. S. T. C. Inderagarh, B. A., B. Ed.
29. „ Brijraj Sharma,.	A. T. New H. S. Kota, M. A., B. Ed.
30. „ Radha Krishan.	A. T. H. S. Gangapur, M. A., B. Ed.
31. „ Ladu Shankar	A. T. H. S. Pali, M. A., B. Ed.
32. „ Nana Nath Yogi.	A. T. H. S. Kapasin, B. A., B. Ed.

LIST OF THE HEADMASTERS IN RESERVE

Name.	Qualification.
1. Shri Ram Krishan Dass	M. A., B. Ed.
2. ,, Nand Lal Gupta.	M. A., B. Ed.
3. ,, Diwan Chand.	M. A., B. Ed.
4. ,, Fakir Chand.	M. A., B. Ed.
5. ,, Gulzari Lal Mathur.	-do-
6. ,, Ram Prakash.	-do-
7. ,, Tulsi Ram Shrimali.	-do-
8. ,, Laxmi Lal Nalwaya.	-do-
9. ,, Ganeshi Lal.	M. A., L. T.
10. ,, Krishan Gopal Vijai	M. A , B Ed.
11. ,, Udai Lal Pareek.	-do-
12. ,, H. L. Kaka.	-do-
13. ,, Shiv Dutt Sharma	M. A., B. T.
14. ,, Zahoor Hussaina.	M. A., B. Ed.
15. ,, Ishwari Prasad.	M. Com., B. Ed.
16. ,, Ram Narain Sharma	B. A., B. Ed.
17. ,, N. R. Daniel	B. A. C. T.
18. ,, Kanhaiya Lal	M. A., B. Ed.
19. ,, Madan Gopal Soral.	B. A., B. Ed.
20. ,, Nagendra Bhushan	B. Sc., B. T.
21. ,, Takhat Singh Chodhari	B. A., B. Ed.
22. ,, Madhav Lal Trivedi.	B. A., B. Ed.
23. ,, Raghu Nandan.	M. A., B. T.
24. ,, Khushri Ram.	M. A., B. T.

1	2
25. „ P. N. Dravid.	M. A., B. Ed.
26. „ Pyare Lal Premi.	M. A., B. T.
27. „ Roop Raj Bohra.	M. A., B. Ed.
28. „ Hari Singh.	M. A., B. Ed.
29. „ Jaideo Prasad.	B. Sc., B. T.
30. „ Banwari Lal.	M. A., B. Ed.
31. „ Gopi Nath.	B. A., B. Ed.
32. „ Som Prakash.	B. A., B. Ed.
34. „ Kanak Mal.	M. A., B. Ed.
35. „ Shambhu Singh.	M. A., B. Ed.
36. „ Takhat Singh Bhatnagar.	M. A., B. Ed.
37. „ Babu Lal.	M. A., M. Ed.
38. „ Amba Lal Nagar.	M. Sc., B. Ed.
39. „ Sohan Lal	B. A., B. Ed.
40. „ Purushottam Lal Sukhwal.	M. A., B. Ed.
41. „ Kishan Lal Bhatnagar.	M. A., B. Ed.
42. „ S. S. Jaisinghani.	M. A., B. T.
43. „ Roop Kishore Sharma.	B. A., B. Ed.
44. „ Onkar Narain Mathur.	M. A., B. Ed.
45. „ Tej Singh Dangi.	M. A., B. Ed.
46. „ Radhe Krishan Sharma	M. A., B. Ed.
47. „ Radhe Sharan Mathur.	M. A., B. Ed.
48. „ Upendranath Soral.	B. A. B., Ed.
49. „ Nihal Singh.	M. A., B. Ed.
50. „ Laxmi Narain Srivastave	B. A., B. Ed.

1	2
51. „ Suraj Naraian Rao.	M. A., B. Ed.
52. „ Suraj Singh.	M. A., B. Ed.
53. „ Mool Chand Goswami.	M. A., B. Ed.
54. „ Bhanwar Lal Garg.	M. A., B. Ed.
55. „ Mod Singh.	M. A., B. Ed.
56. „ Gopalal Badgujar.	M. A., B. Ed.
57. „ Nand Lal.	M. A., B. Ed.
58. „ Ghanshyam Lal	M. A., B. Ed.
59. „ Sriniwas.	B. A., B. Ed.
60. „ Sadul Singh.	B. A., B. Ed.
61. „ Brij Raj Sharma.	M. A., B. Ed.
62. „ Ganpat Lal.	M. A., B. Ed.
63. „ Radha Krishan.	M. A., B. Ed.
64. „ Bhawani Shankar.	M. A., B. Ed.
65. „ Radha Krishan Tripathi.	B. A., B. Ed.
66. „ Ladhu Shankar.	M. A., B. Ed.
67. „ Mool Singh.	B. A., B. Ed.
68. „ Mazhurul Huq.	M. A., B. Ed.
69. „ Chiranjeev Lal.	M. A., B. Ed.
70. „ Nana Nath Yogi.	B. A., B. Ed.
71. „ Dhanpat Singh Mehta.	B. A., B. Ed.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर देखिये)

THE LIST OF IRONORE WHICH IS DESPATCHES FROM THE MINES FOR THE YEAR 31-3-59 to 31-3-60

S. No.		Name of the party.	Location of lease. village.	Railed from.	Railway station to.	Tons.
1		2	3	4	5	6
1.	Shri	M/s. C. Didwania.	Narda Nanowas mines.	Neemka thana.	Kandla port.	8500
2.	„	Rameshwar Das Sodhani	Kalajpuri mines.	Dausa.	„	5132
3.	„	Gyarsilal Agarwal.	Paparna.	Neemka thana.	„	1200
4.	„	M/s. C. Didwania.	Toda mines.	Nizampur.	„	24474
5.	„	Damodar Das Khandelwal.	Morija.	Chommu,	„	22833
6.	„	„ „ „	„	„	Jamshedpur.	100
7.	„	M/s. Khemka & Co.	Kalipahari Mine Dabla.	Dabla.	Kandla port.	10804
8.	„	Sohan lal Vyas.	Baniyakabas.	Neemka thana.	„ „	1549

1	2	3	4	5	6
9. Shri	M/s. Murlidhar Jhunjhunuwala.	Raisola.	Dausa.	—	6333
10. „	Vijay Kumar.	Bagolisarai.	Neemka thana.	Kandla port.	821
11. „	Murlidhar Jhunjhunuwala.	Nimla.	Dausa.	„ „	14938
				Total.	96684

Note:--Despatches shown as per statistical returns submitted by the party.

Mining Engineer, Jaipur.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर देखिये)

विकास खण्ड (पंचायत समिति) लाडपुरा में सिंचाई के लिए बनाई गई मोरियों व पुलियों पर किए गए व्यय की सूची:—

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	व्यय हुई रकम
१.	पदमपुरा तालाब	३८१४
२.	वक्सपुरा तालाब	३८३४
३.	हरिपुरा तालाब	३६६२
४.	रांवठा बड़ा तालाब	५५६०
५.	रांवठा छोटा तालाब	६१६४
६.	डडवारा पुलिया	३०१५
७.	कालिया खेड़ी एनीकट	४५१६
८.	डाबरा पुलियां	५५१५

————

(संख्या २)

क्रम संख्या	नाम ग्राम	वर्तमान में होने वाली सिंचाई (एकड़ में)	प्रस्तावित सिंचाई (एकड़ में)
१.	पद्मपुरा तालाब	–	४०
२.	बक्सीपुरा तालाब	–	५०
३.	हरिपुरा तालाब	–	४०
४.	रांवठा बड़ा तालाब	१६	२००
५.	रांवठा छोटा तालाब	–	४०
६.	डडवारा पुलियां	६	५०
७.	कालियाखेड़ी एनीकट	–	४०
८.	डाबरा पुलियां	–	३०

———

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर देखिए)

सूची 'अ'

समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १६५६-६० तक बांसवाड़ा जिले में जो आदिवासी बस्तियां बसाई गईं

क्रमांक	बस्ती का नाम	तहसील	सन्
१.	आदर्श नगर, गोरड़ी	बांसवाड़ा	१६५४-५५
२.	सुन्दर गांव, मचड़िया	,,	१६५५-५६
३.	आदर्श बस्ती, जाजुपुरा	गढ़ी	,,
४.	आदर्श बस्ती, भूदानपुरा	,,	,,
५.	आदर्श बस्ती, अलोपेश्वर	,,	,,

———

सूची "ब"

क्रमांक	नाम बस्ती	तहसील	स्वीकृत परिवार पुनर्वास हेतु.	पुनर्वासित परिवार	स्वीकृत अनुदान प्रति व्यक्ति	वर्ष
१.	आदर्श नगर, गोरड़ी	बांसवाड़ा	३०	३०	रु० ६३०	५४–५५
					रु० १५०	५६–५७
					(अतिरिक्त सहायता)	
२.	सुन्दर गांव, भेचड़िया	,,	७५	३३	रु० ४५०	५५–५६
					रु० १००	५८–५६
					अतिरिक्त सहायता	
					रु० ५००	५८–५६
					(अतिरिक्त सहायता)	
३.	आदर्श बस्ती, बाजुपुरा	गढ़ी	३६	३६	रु० ६५०	५५–५६
					रु० १००	५८–५६
४.	आदर्श बस्ती, भूदानपुरा	,,	३०	३०	रु० ७८०	५५–५६
					रु० १००	५८–५६
					(अतिरिक्त सहायता)	
५.	आदर्श बस्ती, अलोपेश्वर	,,	३६	२७	रु० ४५०	५५–५६
					रु० १००	५८–५६
					(अतिरिक्त सहायता)	

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर देखिये)

अ—रॉयल्टी की दरें जो दिनांक २५-१-६० को थीं

संगमरमरः—

(क) चूना तैयार करने के लिए	१० न.पै. प्रति मन
(ख) छँटाई किया हुआ, खुदाई किया हुआ, खुरदरा संगमरमर और शिलापट	१ रु० प्रति मन
(ग) संगमरमर खण्डा और बैलास्ट।	१२ न.पै. प्रति मन
(घ) कुमारी मारबल	५० न.पै. प्रति मन
(च) कोर्स पाउडर।	६ न. पै. प्रति मन

ब—रॉयल्टी की दरें जो २५–१–६० के पहले थीं व नई दरें जो लागू की गई थीं

	पुरानी दरें	नई दरें
संगमरमर (मकराना)		
चूना तैयार करने के लिए		
(१) संगमरमर	०–१–० प्रति मन	६ नए पैसे प्रति मन
(२) चूना	०–१–६ ,,	
(३) चूने का पत्थर	०–०–६ ,,	
(ख) अन्य प्रयोजन के लिए :—		
(१) छँटाई किया हुआ, खुदाई किया हुआ और खुरदरा संगमरमर।	०–१२–० ,,	१ रु० प्रति मन १५ प्रतिशत वृद्धि
(२) संगमरगर शिलापट	०–६–०	००. ५० न.पै. २५ प्रति शत
(३) मशीन से बनी हुई संगमरमर की टाईल्स	०–३–०	००. २५ न. पै. २५ प्रति शत वृद्धि
(४) हस्त निर्मित संगमरमर की टाईल्स	०–२–०	नहीं बढ़ाई
(५) संगमरमर के टुकड़े, चूरा, खंडे, और निमार		१२ न.पै.
(६) कोर्स पाउडर २० मेश से ज्यादा नहीं हो		६ न.पै प्रति मन

———

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, २२ अगस्त, १९६०)

स्कम्भसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१-२	१	अंक १०] द्वितीय विधान सभा के दसवें	अंक६] द्वितीय विधान सभा के नवम्
४	१०	in apositicn	in a position
१६	२४	खरीफ का फसल	खरीफ की फसल
१७	अन्तिम	ब ढांढे चर गये	वहां सब ढांढे चर गये
२८	अन्तिमसे३	he ore	the ore
२९	७	as giveni n	as given in
४३	१९	वितरण समिति जो	वितरण समिति को जो
४५	१	यप उसके	यह उसके
४६	अन्तिमसे२-३	धारीवाली	धारीवाल
५२	१८	मत्री	मंत्री
५३	४-५	धारीवाली	धारीवाल
६१	८	मारत सरकार	भारत सरकार
६२	६	अजमेर में	आबू में
६३	१	तलाब गांव	तालाब गांव
७३	८	wnt	want
८०	८	प्रक्रिया तथ	प्रक्रिया तथा
८८	२७	निर्दयतापूर्वक । पीटा	निर्दयतापूर्वक पीटा
८९	२१-२२	अग्रेवाल	अग्रवाल
९४	६-७	पुर स्थापित	पुरःस्थापित
९६	१४	परिस्थितियों हों	परिस्थितियां हों
१००	२१	था	थी
१०९-१०	शीर्षक	२२ अगस्त, (राजस्थान ६०-संशोधन) विधेयक, १९६०	-२२अगस्त, ६० (राजस्थान संशोधन) विधेयक,१९६०
१११	८	cominodity	Commodity
११५	१	देया कि	दिया कि
१२२	२२	बनाया जया ।	बनाया जाय ।
१२७-२८	शीर्षक	२१ अगस्त	२२ अगस्त

१	२	३	४
१२८	४	कमी रह गई है	कमी रह गई है
१२६	२८	सेल्फस फीशियेन्ट	सेल्फ सफीशियेन्ट
१३४	५	तो वह	तो उसका
१४१	१	उन्होंने कि कहा	उन्होंने कहा कि
१४३-४४	शीर्षक	२२ अगस	२२ अगस्त
१४६	३	(ारित)	(पारित)
,,	४	श्री अध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
१५६	२३	की जमीन	की जमीनें
१५७	५	यों ही	यों की यों ही
१६०	१७	बटड़	बाटड़
१६१	११	बाठड़	बाटड़
१७४	शीर्षक	(संशीधन)	(संशोधन)
,,	६	से ज्याद जमीन	से ज्यादा जमीन
१७६	अन्तिम से ४	जमीन छाड़	जमीन छोड़
१७७	११	(द्वतीय संशोधन)	(द्वितीय संशोधन)
,,	२०-२१	in regard I raise ona Point of Order, Sir, this	I raise a Point of order Sir, in regard to this
१७८	२०	Provso	Proviso
१८०	शीर्षक	विधेयक, १६६०	विधेयक, १६६०
१८२	१४	फेलने वाले	फैलने वाले
१८६	अन्तिम से ४	चाहे ता	चाहे तो
१८७	१-२	पैदा उनको भी	पैदा होती हैं उनको भी
१८८	४	हर्माल पॉक्स	स्माल पॉक्स
१६१	२८	काटोटेलिटेरियन	का टोटेलिटेरियन
१६३	११	जेर से	जोर से
१६७	शीर्षक	पशु-पालन विधेयक	पशु-रोग विधेयक
२०१	१६	deoating	debating
२०४	१	उपयोग	उपयोग
,,	१२	ाक	कि
२११	शीर्ष	श्री सतीसचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
,,	१३	आर भा है, जो	और भी है जो
२१२	१४	ओर कोई	और कोई
२१३	१०	पुनिशमेंट	पनिशमेंट
२२०	२३	refusdd	refused
,,	अन्तिम से ३	न्याय कई बात हाती।	न्याय की बात होती

(३)

१	२	३	४
२२३	१६	परिवतित	परिवर्तित
२२८	शीर्षक	(संशोधन)	(संशोधन)
२३४	८	आयरन-ओंर	आयरन-ओर
२४१	अन्तिम से४	विधयेक	विधेयक
२६२	शीर्षक	परिशिप्ट	परिशिष्ट